राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का २७वां दिवस [संख्या १५

बुधवार, दिनांक १९ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्रमिक हितकारी समिति सवाई माधोपुर

५८९. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Labour Minister be pleased to state :

Is it a fact that officials of the Shramik Hitkari Samiti, a registered trade union of Sawai Madhopur Cement Factory workers have been dismissed from the services of the company for making speeches ni furtherance of the Trade Union Rights of the workers ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : No. The officials of the Shramik Hitkari Samiti were not dismissed from the services for making speeches in furtherance of the Trade Rights of the workers, but there were some charges against them for making speeches against the mangement.

श्री पी० के० चौधरी : Does the making of speeches against the management come under the Act...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The matter has been decided by the Tribunal and it is now pending before the High Court. I, therefore, don't want to go in to its details.

प्रश्न संख्या ५९०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, जयपुर के कार्यालय अधीक्षक

५९१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of transport be pleased to state :

(1) Is it not correct that Shri Shiv Singh, U. D. C., has been made office Supt. in the office of the Director of Transport, Jaipur ?

(2) Is it correct that Shri Shiv Singh has been imported into this

Page No.2

(श्री पी० के० चौधरी)

office from the Secretar at against the provion of Ministerial 'staff service rule 25 (2) ?

(3) Is it also correct that this promotion has been made against the provison of Ministerial service rule 14 (6) ?

(4) Is it correct that Shri Shiv Singh was once suspended for mis conduct ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(1) Yes.

(2) No

(3) There is no such rule as 14 (6) in the subordinate Ministerial staff Service Rules.

(4) No

श्री पी० के० चौधरी : It is 26 (2) not 14 (6).

श्री नाथूराम मिर्धा : It my be there but is it not against the rules.

श्री पी० के० चौधरी : पार्ट (२) के रिप्लाई में आपने 'नो' कहा, तो क्या उसको बाहर से नहीं लाया गया, रूल्स के अगेन्स्ट।

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स के अगेन्स्ट में नहीं लाया गया। हां मगर बाहर से जरूर लाया गया।

श्री पी० के० चौधरी : What are the provisions of 26 (2) ? You have said that you have not imported him against the rules.

श्री नाथूराम मिर्धा : So what is there ?

श्री पी० के० चौधरी : रूल २६ (२) में क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : There is. Provided that no transfer from another department would be made if it involves a promotion to a higher grade unless no such suitable person is available within the Department.

श्री पी० के० चौधरी : Did the authorities ascertian that there was no such suitable paierson ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो डाइरेक्टर ने ऐसा ही महसूस किया और ठीक समझकर ही किया है।

श्री पी० के० चौधरी : ठीक समझ कर करने का सवाल नहीं है। रूल्स में साफ है जैसा अभी आपने पढ़ा कि दूसरे डिपार्टमेंट्स से प्रमोशन पर नहीं लायेंगे जब तक कि यह असर्टेन नहीं कर लेंगे कि ओरीजिनल डिपार्टमेंट में जहां लेने का है वहां कोई सूटेबिल पर्सन नहीं होगा तो, क्या असर्टेन कर लिया था कि डिपार्टमेंट में कोई सूटेब्ल पर्सन नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल असरटेन करके ही किया है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या आपने अनसूटेब्ल असर्टेन करके ही लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि he was under suppension ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उसका जवाब 'नो' में दिया है।

Page No.3

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि विजय मंदिर, अलवर के केस में उसको चार्ज-शीट दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई चार्ज-शीट नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : He said no.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, he does not say this. Let him say that he was not charge sheeted.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने सवाल पूछा कि वह सस्पेन्ड हुआ। मैंने जवाब दिया, नहीं हुआ। अब आपने कहा कि क्या उसको चार्ज-शीट दी। तो इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : उसका ट्रान्सफर हुआ तब क्या चीफ सेक्रेटरी ने यह नोट पुट अप किया था कि जब उस आदमी के संबंध में एन्क्वायरी पेंडिंग है और मिस्लेसिंग फाइल्स उसका ट्रान्सफर नहीं करना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई नोट चीफ सेक्रेटरी ने पेश नहीं किया।

केकड़ी के एन्टी मलेरिया ऑर्गनाइजेशन में मोटर ड्राइवर द्वारा चोरी

५६२. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर शहर, पश्चिम): Will the Minister for Health be please to answer

(a) Is it a fact that the motor driver in Anti-Malaria Organisation at Kekri has made charges of theft of motor parts etc. against the Doctor in charge at Ajmer in writing in the month of June, 5819, to the Director of Medical and Health Services, Jaipur ?

(b) If so, have these charges been enquired into ?

(c) Whether before the start of the enquiry, the complainant motor driver has been ordered by Director of Medical and Health Services to be transferred to Jalore by his order dated 22.7.58 ?

(d) Whether the Government has ordered that the transfer should not be made during the months of July to March ?

(e) Would the Government take immediate steps to get the motor driver retained at Kekri ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता):

(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(स) स्थानान्तर प्रशासन के आधार पर किया गया है।

(द) जी हां।

(ई) सरकार के विचाराधीन है।

श्री अर्जुनदास : How does the Government appreciate the documentary evidence to show that the complaint was made in writing.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have searched out the complaint referred to, but it is not available in the department.

श्री अर्जुनदास : Should I submit a copy of the same to the Hon'ble Minister ?

Page No.4

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : If there is a copy and is made available to me, I shall see to it.

श्री अर्जुनदास : What action will the Hon'ble Minister take?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : As is provided under the rules.

श्री अर्जुनदास : What action will he take for the wrong information supplied to him?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have searched out in the office of the Director Medical and Health Services and that petition is not available there. If a copy of it is there, I will take action.

श्री अर्जुनदास : Possibly a complaint might have been made but it is not now traceable in the office of the Director Medical & Health. Is that so?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I cannot say whether it has been made there or not. But the petition of that particular date is not available in that office.

श्री जनार्दनराय नागर : Is it missing or not available.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is not certain that the application has been received.

श्री जनार्दनराय नागर : Is it not a fact that so many papers are missed in the offices?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I don't know.

श्री जनार्दनराय नागर : Has the Hon'ble Minister enquired about this misplacement or non-placement or....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have already made that enquiry in the office and there is no such application.

गांधी सागर से सवाई माधोपुर होती हुई बिजली की लाइन

५६३ रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या विद्युत् मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि गांधी सागर से सवाई माधोपुर होती हुई निवाई तक बिजली की लाइन ले जाने की योजना है ?

(२) क्या इस योजना में टौंक भी आता है ? अगर हां, तो सवाई माधोपुर से कहां कहां होकर टौंक बिजली की लाइन जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सवाई माधोपुर से एक ३३ के. वी. लाइन निवाई तक जावेगी।

(२) टौंक को निवाई से थर्मल स्कीम के अन्तर्गत मिलाया जा रहा है। चम्बल से निवाई को पॉवर मिलने पर टौंक भी चम्बल ग्रिड में आ जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : निवाई रेलवे स्टेशन से जा रही है या सवाई माधोपुर से टौंक जा रही है या टौंक से निवाई जा रही है। टौंक से निवाई रेल के जरिये मिलाया जायगा या सवाई माधोपुर टौंक रोड से मिलता है उसके जरिये ?

Page No.5

श्री रामकिशोर व्यास : रेल के जरिये नहीं मिलाया जायगा, वह तो बिजली के तार की लाइन मिलाई जायगी। निवाई से टौंक जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब तार निवाई से टौंक जायेंगे और सवाई माधोपुर से टौंक रोड बन रही है तो इतना डिस्टेन्स किस आधार पर लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल्स में इस वक्त अर्ज नहीं कर सकता हूं। सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक रूट्स तय किये हैं उसके मुताबिक जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सर्वे किस आधार पर हुआ है ? वहां से डिस्टेन्स कम पड़ता है या उधर से विरोधी दल के सदस्य का क्षेत्र उनियारा आता है इसलिए उस रूट को छोड़ दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : उनियारा आता है, यह तो उस वक्त दिमाग में नहीं था और जब स्कीम बनी और जिन लोगों ने बनाई थी, उनके दिमाग यह नहीं था। आप इसका अलग से स्पेसिफिकली पूछें कि सवाई माधोपुर से टौंक डाइरेक्ट क्यों नहीं लाई गई ? तो जानकारी करके दे सकता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : लाइन के कब तक आने की संभावना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी उसमें वक्त लगेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सप्लाई का सेन्टर टौंक रहेगा और वहां से मालपुरा या देवली किधर जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां जाना तय है वहां जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा को छोड़ दिया जायगा क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनियारा को नहीं छोड़ेंगे।

प्रश्न संख्या ५६४

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

अमरपुरा तथा अमर सागर टैंक; जिला उदयपुर

५६५ श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला उदयपुर के अमरपुरा तथा अमर सागर टैंक कब बने थे और इन बांधों के बनने से किस किस आदिवासी की भूमि बांधों के अन्तर्गत आई है ?

(२) क्या यह सही है कि कई लोगों को अमर सागर तालाब के बंधने से वहां से बेघरबार होना पड़ा और उनको अब तक मुआवज़ा भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को मुआवजा दिया गया है ? उनकी नामावली सदन की मेज पर रखें।

(३) अमरपुरा बान्ध के केनाल पर किस किस ठेकेदार को कहां से कहां तक का ठेका दिया गया था ? मय नाम के तालिका सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अमरपुरा उर्फ सोम बिक अप वियर व अमर

Page No.6

(श्री रामकिशोर व्यास)

सागर अनुक्रम में सन् १६५७ व १६५५ में बने। इन बांधों के बनने से सिर्फ धन्ना मीना की जमीन अमर सागर तालाब की डूब में आई।

(२) नहीं। सिर्फ धन्ना मीना की जमीन व कुआँ जो डूब में आये, उनके मुआवजे के चुकारे की कार्यवाही जारी है।

(३) सूची निम्नलिखित है :

१. लेफ्ट केनाल पूरी श्री किशनचन्द ठेकेदार ने बनाई।

२. राइट केनाल २ मील तक श्री गोरधनदास मुखी ठेकेदार ने बनाई।

३. राइट केनाल पूरी बकाया श्री मोहन दास एन्ड कं० ने बनाई।

४. हां, कुछ मजदूर जो पेमेन्ट के समय मौके पर नहीं मिले उनकी मजदूरी बकाया है, उसके चुकारे के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है।

बसों की संख्या

५६६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सरकारी बसें और प्राइवेट बसें कितनी कितनी है, और किस किस रूट पर चलाई जाती हैं ?

(२) क्या सरकार प्राइवेट बसों को नेशनलाइज़ करने का इरादा रखती है ?

(३) अगर हाँ तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री **नाथूराम** मिर्धा) : (१) स्टेट ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिंग की बसें ४६। राजस्थान में कुल बसों की संख्या ३८६८ रूटों की लिस्टें ए व बी संलग्न हैं।

(२) कुछ मुख्य मार्गों को नेशनलाइज़ करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(३) निश्चित तारीख बताना कठिन है। (सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पी० के० चौधरी : कौन कौन से रूट्स राष्ट्रीयकरण करने के लिए विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके अभी बताने की गुन्जाइश नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सुनिये साहब, लिस्ट ए तो मिल गई लेकिन लिस्ट बी नहीं मिली। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इसमें सरकार की क्या कठिनाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कठिनाई तो नहीं है, लेकिन मामला विचाराधीन है। पहले से कई चीजें बताने पर गड़बड़ हो सकती है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या इस बीच में सरकार परमिट सिस्टम को समाप्त करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकार के 'विचाराधीन' की बात नहीं है, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन की बात है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह केन्द्रीय सरकार की बात कैसे है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोटर विहिकल एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है। उसमें हम

Page No.7

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कुछ नहीं कर सकते हैं। वे ही बदल सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : इसका मतलब यह हुआ कि यदि राज्य चाहे राष्ट्रीयकरण करना, तो वे नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें ऐसा कोई ओब्लीगेटरी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा ; राष्ट्रीयकरण का प्रोविज़न कानून में ऑलरेडी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल है कि राष्ट्रीयकरण करें, तब तक पर्मिट प्रणाली खत्म की जाय; उसके लिए कहा गया है कि हमारे हाथ की बात नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : इसके मायने यह हैं कि जब तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं करे तब तक पर्मिट सिस्टम जारी रहेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : यही है।

श्री जनार्दनराय नागर : यही जवाब देना चाहिए था।

श्री पी० के० चौधरी : कौन सी रूट्स विचाराधीन हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देने से इन्कार करना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। There appears to be nothing secret in it. I don't know why the Hon'ble Minister should refuse to tell us what are the routes for nationalisation.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको ठीक नहीं लगता है पर मुझे ठीक लगता है।

श्री अर्जुनदास : What is the criteria laid down by the Government for nationalisation. Whether a particular route be nationalised or not?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में तय नहीं किया गया है, अतः इस बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री श्रीभानसिंह : इस बारे में तय करने के लिए क्या कोई कमेटी एपोइन्ट की गई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री श्रीभानसिंह : उसके सदस्य कौन कौन है?

श्री नाथूराम मिर्धा : होम सेक्रेटरी, डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, फाइनेन्स सेक्रेटरी, डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि नेशनलाइज़ करने के निर्णय लेने से पहले ही कुछ पर्मिट देना बन्द कर दिया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कानून के तहत में नहीं कर रहे है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि उदयपुर से अजमेर रूट को बन्द कर दिया गया है?

श्री अध्यक्ष : No individual routes please.

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली।

५६७ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) महाराजा श्री उम्मेद मिल्स पाली में तीसरी पाली कब शुरू हुई?

(ख) तीसरी पाली चलने से कपड़े का उत्पादन कितना बढ़ा?

Page No.8

(श्री मूलचन्द डागा)

(ग) क्या तीसरी पाली के चलने से मजदूरों का काम (वर्क लोड) बढ़ा ? यदि हां, तो कितना ?

(घ) इस तीसरी पाली के चलने से कितने नये मजदूर काम पर लगाये गये ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) तारीख ७ मार्च, १६५८ है।

(ख) तीसरी पाली में केवल स्पिनिंग खाता शुरू किया गया, जिसमें लगभग ७००० पौंड प्रतिदिन सूत के उत्पादन की वृद्धि हुई।

(ग) हां, डोफ का वर्कलोड १७८५ से २५०० डोफ स्पिन्डिल्स प्रतिदिन (८ घंटे) तक बढ़ गया।

(घ) लगभग २०० मज़दूर।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी समझ में एक भी नहीं बढ़ाया गया। लेकिन आपने लगभग कैसे कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २०० से कम या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन २०० के लगभग काम करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ये आंकड़े आपको किस प्रकार प्राप्त हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझको विभाग से जो सूचना मिली है, उसी के आधार पर कहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : वर्क लोड बढ़ने के बाबत मजदूरों ने शिकायत की है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एग्रीमेन्ट किया है, उसके आधार पर चल रही है।

श्री मूलचन्द डागा : मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया या नहीं कि वर्क लोड ज्यादा बढ़ गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मजदूरों और मेनेजमेन्ट के बीच में एग्रीमेन्ट हुआ है तभी तो तीसरी पाली चली।

श्री मूलचन्द डागा : उस एग्रीमेन्ट का विरोध २१०० मजदूरों ने किया है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विरोध जरूर किया है लेकिन कितनों ने किया है यह नहीं कह सकता।

श्री मूलचन्द डागा : विरोध किया है, उसकी जांच करवा रहे हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस एग्रीमेन्ट को इम्पलीमेन्ट कराने के लिये इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बनी है उसके पास भेज दिया है।

चोरियां, जिला सीकर

५६८. **श्री नारायणलाल** (नीम-का-थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर ज़िले में १६५७-५८ में कितनी चोरियां हुई हैं ?

(ख) उक्त चोरियों में से कितनी चोरियां पकड़ी गई और कितना सामान बरामद हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १६५७ में कुल ३६७ चोरियां और नकबजनी के केसेज़ सीकर जिले में हुए और सन् १६५८ में ३०-६-५८ तक ३१२ केसेज़ हुए।

(२) सन् १६५७ में १४८ चोरियों का पता लगाया और १,२६,४१६ रु० १२

(श्री रामकिशोर व्यास)

आ० ३ पा० के माल में से ५१,५३३ रु० का माल बरामद हुआ। सन् ५८ में ६३ चोरियों का पता लगाया और १,१६,-१५३ रु० की चोरियां हुई, जिनमें से ५१, ४८० रु० का माल बरामद किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : जिन मुकद्दमों में चालान हुआ और माल बरामद नहीं किया गया उनमें क्या सुपीरियर ऑफिसर्स ने माल बरामद करने की कोशिश की ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोशिश नाकामयाब रही।

श्री मूलचन्द डागा : जिन मुकद्दमों में चालान हुआ और सजा हुई, उनमें से कितनों में माल बरामद नहीं हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३०० चोरियां हुई हैं उनमें से किन के बारे में आप जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक बताइये।

श्री मूलचन्द डागा : जिनके चालान पेश किये गये उन मामलों में पहले सुपीरियर ऑफिसर ने दुबारा इन्क्वायरी की या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास: इसमें सुपीरियर ऑफिसर्स का सवाल पैदा नहीं होता जिनको इन्क्वायरी करने का अख्तियार है वे ही करते हैं।

श्री तनसिंह : ३६७ केसेज़ चोरियों के हुए हैं उनमें से केवल ११३ का ही पता लगा है और दो तिहाई केसेज़ का पता नहीं चला है तो उनका पता लगाने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं निवेदन कर दूँ कि ३६७ केसेज़ में से १३३ का चालान हुआ और १२ केसेज़ साबित नहीं हुए और २२२ में फाइनल रिपोर्ट दी गई है और बाकी की इन्क्वायरी चल रही है।

श्री तनसिंह : २०० केसेज़ में फाइनल रिपोर्ट दी गई है और कुछ ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल रहा है यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दो तिहाई चोरियों का पता नहीं चल रहा है, इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए पेट्रोलिंग का इन्तज़ाम करते हैं।

श्री रामचन्द्र : जो चोरियां हुई हैं उनकी कितनी रकम बनती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप कौन से सन् की पूछ रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र : ५७–५८ में चोरियों की संख्या तो फरमाई लेकिन यह नहीं फरमाया कि कितने की चोरियां हुई हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५७ और ५८ दो साल हैं, आप कौन से साल की पूछ रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र : दोनों ही साल की फरमा दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : सन् ५७ में १,२६,४१६ रु० १२ आ० ३ पा० की चोरियां हुई उनमें से ५१,५३३ रु० का माल बरामद हुआ और सन् ५८ में १,१६, १५३ में से ५१,४८० रु० का माल बरामद हुआ।

श्री रामचन्द्र : यह रिकवरी कितने पर्सेन्ट हुई ?

Page No.10

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों ही तरह के फिगर्स बतला दिये हैं पर्सेन्टेज़ आप निकाल लीजिये।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

उदयपुर से पाली होती हुई जोधपुर वाली सड़क का निर्माण

६००. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर से पाली होती हुई जोधपुर आने-जाने के लिये नजदीकी रास्ता बनाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है तथा कोट दिवेर होकर सड़क निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा होगा ?

(२) क्या यह भी सही है कि उदयपुर से जोधपुर व पाली का रास्ता कोट दिवेर से आगे वाया फुलेरा से मारवाड़ जंक्शन होते हुए निकाला जायगा ? यदि हां, तो यह रास्ता कितने मील होगा ?

(३) क्या यह भी सही है कि बूसी पंचायत ने सरकार से मांग की है कि उपरोक्त रास्ता कोट दिवेर से वाया खींमाड़ा, सोमेसर, बूसी, सोनाई, हेमावास होते हुए पाली मिलाया जाय, तो नजदीक होगा ? यदि हां, तो दोनों रास्तों में से नजदीकी रास्ता कौन सा होगा तथा उक्त प्रार्थनापत्र पर सरकार द्वारा क्या आदेश दिये गये हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। इस कार्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पूरा हो जाने की आशा है।

(२) जी नहीं।

(३) बूसी पंचायत की मांग के बारे में जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मण हीरात : जो रोड उदयपुर को जोधपुर से मिलाने वाली है, वह कितनी बाकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर के हिस्से में काम शुरू नहीं हुआ है। कुल रोड ८७ मील बनाई जायगी।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि १०-१२ मील ही बाकी है और क्या सरकार यह कोशिश करेगी कि यह जल्दी ही बन जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी जगह ?

श्री लक्ष्मण हीरात : उदयपुर को जोधपुर से मिलाने वाली।

श्री नाथूराम मिर्धा : उदयपुर जोधपुर से रोड के द्वारा मिला हुआ है। ये तो दूसरे रास्ते की बात कर रहे हैं।

श्री मनरूपराम परिहार : यह रोड किधर जा रही है। उदयपुर से जोधपुर जा रही है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका जो प्रपोजल है वह यह है दिवेर से कोट, कोट से जकातड़ा, अबजी का गुडा, आउवा, मारवाड़ जंक्शन और फिर लोडवास और उसके बाद जाडन आकर मिलेगी और जाड़न से पाली होती हुई जोधपुर को गई है और जाड़न से जोधपुर का सीधा कनेक्शन भी है।

Page No.11

श्री लक्ष्मण हीरात : तो फिर उदयपुर से कहां का रास्ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि उदयपुर से ढ़िबेर तक मिलाई जायगी।

श्री जनार्दनराय नागर : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक बनने की आशा है या सरकार को अभीष्ट है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं क्वेश्चन के साथ में आशा शब्द को ही काम में लेना चाहूंगा।

श्री जनार्दनराय नागर : जब आशा शब्द को काम में लेंगे तो किसी काम को समाप्त करें या न करें, लेकिन जब "अभीष्ट" शब्द काम में लिया जायगा तो निश्चित रूप से ही कार्य को समाप्त किया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : काम करने की इच्छा तो पूरी है, फिर भगवान् जाने।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार इच्छाओं पर नहीं चला करती, सरकार के तो संकल्प होते हैं। सरकार यदि इच्छा की बात कहे तो निराशा होती है, उसको तो निर्दिष्ट अवधि में काम पूरा करना है।

श्री श्रीभानसिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कौन से साल तक काम पूरा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अंतिम साल तक।

प्रश्न संख्या ६०१

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

कालोखां बांध का निर्माण

६०२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) दौसा तहसील स्थित कालोखां के बंध का निर्माण कब किया गया था और उसमें कितनी रकम लगी थी ?

(ख) इस बांध से कितनी जमीन की सिंचाई होती है ?

(ग) क्या जनता की दरख्वास्त यह बराबर पेश होती है कि उसे बंध से जनता को हानि होती है और फायदा कोई नहीं है ?

(घ) यदि हां, तो उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इस बांध का पानी खराब है तथा इससे खेती को नुकसान पहुँचता है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) दौसा तहसील स्थित कालोखां बांध का निर्माण सन् १९५३-५४ में हुआ था और उसमें ६,२७,००० रु० लगे थे।

(ख) सिंचाई योग्य एरिया ४५६२ एकड़ है सन् ५३-५४ में ६६ एकड़, सन् ५४-५५ में ३२० एकड़, सन् ५५-५६ में ५०४ एकड़ व सन् ५७-५८ में १००० एकड़ की सिंचाई हुई है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इस बन्ध की नहर से जिन गांवों ने पानी लिया है उनकी फसल बहुत ही

(श्री रामकिशोर व्यास)

अच्छी हुई है और पिलाई बढ़ती ही जा रही है। इसका पानी एग्रीकल्चर विभाग द्वारा टैस्ट किया गया तो यह साबित हुआ कि इसका पानी बहुत अच्छा है।

कृषि विभाग चूरू द्वारा किसानों को खेती के औज़ारों का वितरण

६०३. **श्री रावतराम** (चूरू): क्या कृषि मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला कृषि विभाग, चूरू की ओर से खेती के लिए नए किस्म के औज़ार किसानों को दिए गए हैं ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में कहां कहां दिए गये ?

(२) क्या उक्त औज़ारों में नए किस्म के हल भी दिए गए हैं ?

(३) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना ध्यान में रखते हुए जिला कृषि विभाग ने रासायनिक खाद तैयार करवाई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

(४) इस जिले में कृषि विभाग की ओर से कितनी फील्डमैन कार्य कर रहे हैं और उनकी गांवों में क्या ड्यूटी है ?

(५) गत तीन साल में इस जिले में उन्नत बीज कितना दिया गया और उस बीज से अन्न उत्पादन में क्या फर्क पड़ा है ?

(६) क्या सरकार बीज वितरण से पूर्व बीज का परीक्षण करती है और क्या उसकी उपज के परिणाम पर भी विचार करती है ?

उप-कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण):

(१) जी हां, कुट्टी काटने के २६८ औजार दिये गये।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) इस समय चार फील्डमैन कार्य कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी में निम्न प्रकार के कार्य समाविष्ट होते हैं :

(१) वैज्ञानिक रीति से भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने में किसानों को मदद देना। (२) इसकी पूर्ति के लिए वे उन्नतिशील बीज, रासायनिक खाद, यन्त्र, कीट-नाशक औषधियों आदि का वितरण करते हैं और उनका प्रयोग किसानों को बताते है। (३) कृषकों की प्रतिदिन की समस्याओं को प्रयोगशालाओं तक पहुँचाना और उनको हल करवाकर वापिस किसानों तक पहुँचाना। (५) गत तीन वर्षों में इस जिले में निम्न उन्नतिशील बीजों का वितरण किया गया।

१. गेहूँ आर. एस. ३१.१ ६ मन

२. बाजरा बसराना १६० मन

३. बाजरा का छटा हुआ बीज ५५३ मन २० सेर

(६) जी हां।

श्री रावतराम : इन औज़ारों में क्या हल को आप नया औज़ार नहीं समझते ?

श्री दौलतराम सारण : समझते हैं, लेकिन जो दिये गये हैं वे बताये हैं ?

श्री जर्नादनराय नागर : बीज आर. एस. हैं या आर. ए. एस. है ?

Page No.13

श्री दौलतराम सारण : बीज आर. एस. हैं।

श्री श्रीभानसिंह :- यह प्रश्न नहीं है जिसका आपने आन्सर दिया। प्रश्न है कि बीज से अन्न उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ा ?

श्री दौलतराम सारण : जितना बीज बाँटा गया है उससे अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई समझनी चाहिए। इस जिले में पिछले वर्ष ही कृषि विभाग की स्थापना हुई है, इसलिए इतनी जल्दी परिणाम निकालना सम्भव नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक बीघा जमीन के लिए कितना बीज बाँटा और कितनी कितनी उपज हुई ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो सम्भव नहीं होगा बतलाना।

एक माननीय सदस्य : ३१.१. बीज का एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा कितना बीज वितरित किया गया है और उससे प्रोडक्शन कितना होता है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): आर. एस. बीज ६ मन दिया गया है पूरे जिले में और बाजरे का बीज छटा हुआ और भकराने का बीज बांटा गया है, जिन लोगों को बीज दिया है, उनका रिजल्ट उनको अच्छा महसूस हुआ है, इसलिए उस बीज की डिमान्ड है, लेकिन अब बीज उपलब्ध नहीं है। डिमान्ड ज्यादा है और उससे संतोष है, इसका मतलब है कि बीज काबिल है।

श्री रावतराम : बाजरे का बीज कहां से खरीदा गया है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अलवर से खरीदा गया है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, अभी एक प्रश्न का जवाब सबसे पहले माननीय उपमन्त्रीजी ने दिया, उसके बाद माननीय कृषि मन्त्री जी ने जवाब दिया है और दोनों से काम नहीं चला तो स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने उत्तर दिया। मैं समझता हूँ कि यह प्रैक्टिस एक प्रकार से गलत है। जो मन्त्री पहले उत्तर देना प्रारम्भ करें, उनको अन्त तक जो सप्लीमेन्टरी प्रश्न किये जाय, उनका उत्तर देना चाहिए। यह बात तो हो सकती है कि सारे मिनिस्टर्स पर सरकार की रेस्पोन्सिबिलिटी है और सरकार की तरफ से उत्तर मिलता है। लेकिन इससे उत्तर में मुगालता होता है। इसलिए मैं आपका निर्णय चाहूँगा कि जो माननीय मन्त्री शुरू में उत्तर देना प्रारम्भ करें, वे अन्त तक सप्लीमेन्ट्री का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी की एक अच्छी मिसाल है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : अनप्रिपेयर्ड होकर यहां आते हैं, इसलिए मिल कर जवाब देते हैं।

श्री रावतराम : एक क्वेश्चन बीच में रह गया।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्माणकारी कार्य के लिए तहसील चाकसू में धनराशि का वितरण

६०४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(१) जिला बोर्ड, जयपुर के द्वारा तहसील चाकसू के कितने निर्माणकारी कार्यों के लिए जनवरी ५७ से दिसम्बर ५७ तक कितनी कितनी राशि गुलाबचन्द जैन पाटनी को दी गई?

(२) क्या यह सच है कि जिन जिन गांवों के निर्माणकारी कार्यों के लिए रकुमात दी गई उन ग्रामों का यह व्यक्ति उस समय न तो नागरिक ही था और न प्रतिनिधि ही? अगर हां, तो फिर यह रकुमात किस आधार पर दी गई?

(३) क्या यह सच है कि उक्त व्यक्ति को दी गई रकुमात में से अभी तक सार्वजनिक उपयोग में नहीं आई अथवा अधूरी आई और उक्त व्यक्ति स्वयं उक्त रकमुात का लाभ उठा रहा है? अगर हां, तो क्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध बोर्ड ने अथवा सरकार ने कोई कार्यवाही की? यदि की, तो क्या और नहीं तो क्यों?

(४) क्या यह सच है कि जिला बोर्ड द्वारा दी गई आर्थिक सहायताओं का दुरुपयोग हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) श्री पाटनी ग्राम रूपाहेड़ी तहत पंचायत कोटखावदा तहसील चाकसू के निवासी हैं। उस समय से कोटखावदा पंचायत के उपसरपंच थे। जिन ग्रामों के लिए इनको रकुमात दी गई थी वे कोटखावदा के इर्द-गिर्द है।

(३) ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(४) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जैसा सूची में बताया है, ये रकुमात वापस कब तक ले ली जायगी?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसके लिए जल्दी कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रत्येक पत्र की विज्ञापन सम्बन्धी निर्धारित दरें

६०५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा प्रत्येक पत्र की विज्ञापन सम्बन्धी निर्धारित दरें (पर कॉलम) क्या क्या हैं, और यह किस आधार पर निर्धारित की गई हैं?

(ख) "नवजीवन" समाचार की दर क्या है और किस आधार पर निर्धारित की गई है? क्या यह सही है कि ये दरें बाकी के पत्रों की तुलना में अधिक हैं? यदि हां, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा राज्य के जितने पत्रों को विज्ञापन दिए जाते हैं, उनकी दरों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

यह दर निर्धारित करने में मुख्य ध्यान

Page No.15

(श्री रामकिशोर व्यास)

पत्र की बिक्री संख्या तथा उसकी प्रचलित दरों को रखा जाता है।

(ख) नवजीवन के साधारण अंक की दर ५. रुपया और विशेषांक की विज्ञापन दर ७ रु० प्रति कॉलम इंच हैं। यह दर उसी आधार पर निर्धारित की गई हैं जिस आधार पर दूसरे पत्रों की दरें निर्धारित की जाती हैं।

संलग्न सूची से प्रकट होगा कि यह दर बाकी पत्रों की तुलना में अधिक नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : नवजीवन की बिक्री संख्या क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर ५ रु० प्रति इंच कॉलम निश्चित किया गया है ? आपने उत्तर दिया है कि बिक्री संख्या का आधार करके यह दर रखी गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें हम देखते हैं कि पत्र की कम बिक्री है या ज्यादा बिक्री है।

श्री भैरोंसिंह : यह किस आधार पर देखा जाता है, जो डिक्लेरेशन पत्र की तरफ से होता है, उससे देखते हैं या इन्क्वायरी होती है कि सर्क्युलेशन इतना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो सूचना वे देते हैं, वह माननी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है। हम सोचते हैं कि ऑडिट ब्यूरो से इस तरह की जानकारी मांगेंगे, उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि सरकार के पास पत्रों की तरफ से डिक्लेरेशन आते हैं, उनकी सरकार जांच करवाती है और जो बिक्री के आंकड़े दिये जाते हैं, उनको आधार मान कर रेट निश्चित की जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात अभी तक है जो आंकड़े देते हैं उसी पर रेट फिक्स करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि राजस्थान में कई साप्ताहिक पत्रों ने विज्ञापन प्राप्त करने के लिए बिक्री संख्या झूठी दर्ज करा रखी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सम्भव हो सकता है। आपने कहा है उसकी जांच हम करना चाहते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आपने इस सम्बन्ध में विचार किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुश्किल यह है कि सरकार के पास साधन नहीं है, एक्चूअल सेल वेरीफाई करने के साधन नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि दूसरे पत्रों की तुलना में 'नव जीवन' को ज्यादा दर नहीं दी गई है, क्या यह सही है कि कुछ पत्रों ने डिक्लेरेशन दिये हैं, उनमें ज्यादा सर्क्युलेशन है, इसके डिक्लेरेशन दिये हैं, उसके बावजूद भी कम रेट्स मिली हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास ; आप कोई इन्डीविज्युअल केस के बारे में पूछें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने 'नवजीवन' के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए पूछा कि दूसरे पत्रों की तुलना में दर ज्यादा दी गई है, आपने कहा है 'नहीं'।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब में निवेदन किया कि ये दरें काफी पत्रों की तुलना में अधिक नहीं है। हो सकता है कुछ के मुकाबले में ज्यादा हों, कुछ के मुकाबले में कम हों।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि पत्र का सक्युंलेशने रेट्स निश्चित करने का मुख्य आधार है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, और भी बातें हैं।

श्री भैरोंसिंह : और बातें बता दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : बिक्री संख्या कितनी है, उसका स्तर क्या है, स्टैंडिंग कितनी है; इत्यादि, इत्यादि।

श्री भैरोंसिंह : इन सब चीजों की जांच करने के बारे में और रेट्स निश्चित करने के बारे में क्या सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि पत्र डिक्लेरेशन देते हैं कि किस पत्र का कितना सक्युंलेशन है, उसको हम मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न के उत्तर में आपने इत्यादि, इत्यादि बातें कह कर यह बताया कि ये आधार हो सकते हैं, क्या इस प्रकार के आधार रूल्स के जरिये, या स्टेडिंग ऑर्डर के जरिये प्रेसक्राइब्ड हैं कि जिनके आधार पर रेट्स निश्चित की जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी रूल्स नहीं बनाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को एप्लाई करने का किसको अधिकार है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डाइरेक्टर को।

श्री भैरोंसिंह : क्या डाइरेक्टर को इस प्रकार का निर्देश है कि अमुक चीजों को आधार मान कर रेट्स निश्चित की जायं ?

श्री अध्यक्ष : वह सब इत्यादि, इत्यादि हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या डाइरेक्टर को इस प्रकार का निर्देश है......

श्री अध्यक्ष : रूल्स में नहीं है, तो डाइरेक्टर को क्या होगा।

श्री भैरोंसिंह : जो बातें बताई गई हैं, उनके आधार पर रेट निश्चित करने का काम डाइरेक्टर का है या सरकार का है ? यह जो क्राइटेरिया फिक्स किया है, यह डाइरेक्टर ने किया है या सरकार ने किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह डाइरेक्टर का काम है और जो प्रिन्सिपल हैं वे रख दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि डाइरेक्टर को अधिकार है रेट्स फिक्स करने का, या सरकार को ?

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्टर सरकार इत्यादि इत्यादि।

(हंसी)

नेक्स्ट।

Page No.17

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह 'इत्यादि' का प्रश्न थोड़ा साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष : ये साफ कह चुके हैं रूल्स नहीं हैं। फिर आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूं कि रेट्स निश्चित करने का जो तरीका है, इसमें बिक्री संख्या को आधार माना जाय, यह डाइरेक्शन है सेक्रेटेरियट की तरफ से या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट ने यह डाइरेक्शन तय कर रखा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दनराय नागर : क्या समाचार पत्रों को विज्ञापन देने का जो सरकारी सदावर्त है, उसको निश्चित नीति के रूप में परिणत करने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कई दफा उत्तर आ चुका है।

श्री भैरोंसिंह : 'इत्यादि, इत्यादि' में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : वही तो उत्तर है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : यह विज्ञापन देने का सदावर्त्त है, नीति नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित

दौसा-लालसोट रोड

६०६ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि दौसा-लालसोट रोड पर बड़ा गांव के पास बंध बनाने से सड़क पर गले तक पानी भर जाता है तथा उससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सड़क पर पानी भरने की वजह से एक नई अस्थायी सड़क निकाली गई है, तथा सड़क कच्ची होने से मोटरें फंस जाती हैं और यातायात रुक जाता है ?

(३) क्या यात्रियों को दो मील पैदल चल कर दूसरी मोटर में बैठना पड़ता है ?

(४) क्या सरकार उक्त पानी भरने के स्थान पर पुल बनवायेगी ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। सड़क के कुछ भाग में ३॥ फुट पानी भर जाता है जिससे यातायात बरसात में अवरुद्ध हो जाता है।

(२) जी हां।

(३) बरसात के दिनों में कुछ तकलीफ जरूर होती है।

(४) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(५) निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक विचाराधीन रहेगा साहब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोशिश जल्दी करने की करेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : यह विचाराधीन है, सक्रिय विचाराधीन है या तात्कालिक विचाराधीन है या सम्पूर्ण रूप से विचाराधीन है; क्या स्थिति है ?

श्री अध्यक्ष : आप हिन्दी छांट रहे हैं ?

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : यह ऐसा उत्तर है, कि सरकार दावा करती है कि विचाराधीन है, तो जैसा प्रधान मंत्री ने कहा कि जो गवर्नमेंट के एक्टिव कन्सीडरेशन की चीज़ है, तो यह समझ ले कि कुछ नहीं हो रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्यों को इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सब एश्योरेन्स कमेटी के पास जाता है, और विचाराधीन से क्या मतलब है ? इसका मतलब वहां निकलता है, कि इम्प्लीमेन्टेशन हुआ या नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार जब विचाराधीन कहती है तो में थर्रा जाता हूं। मैं समझता हूं कि फाइल पड़ी हुई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप शब्दों से थर्रा जायं तो क्या किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

जन सम्पर्क विभाग, जिला झालावाड़

६८७. **श्री रामचन्द्र (डग) :** क्या मंत्री जन सम्पर्क विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे ;

(१) जिला झालावाड़ में जन सम्पर्क विभाग कब खोला गया ?

(२) अब तक इस विभाग पर किस किस मद में कितना कितना धन व्यय किया गया ?

(३) इस विभाग द्वारा प्रचार करने के क्या क्या साधन जुटाए गए ? क्या इस विभाग के जेनरेटर और प्रोजेक्टर ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो कब से ?

(४) अब तक इस विभाग के अधिकारी ने कुल कितने व कब कब डिमोस्ट्रेशन दिये ?

मंत्री जन सम्पर्क विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जिला झालावाड़ में जन सम्पर्क कार्यालय का काम १ अक्टूबर, १६५६ से प्रारम्भ हुआ।

(२) इस कार्यालय पर १६५६–५७ व १६५७–५८ के वर्ष में और चालू वित्तीय वर्ष में (सितम्बर, १६५८ तक) जो खर्चा हुआ वह निम्न प्रकार है :

१६५६–५७,	१६५७–५८,	१६५८–५६ (सितम्बर, ५८ तक)
२,१२८, रु० १२ आ० ३ पा०	५,६६५ रु० ७६ न० पै०	५,१४६ रु० ६० न० पै०

(३) इस विभाग के लिए एक प्रोजेक्ट जनवरी, १६५७ में भिजवा दिया था। मशीन खराब थी, जो कोटा और जयपुर से ठीक करवा कर नवम्बर १६५७ में वापिस भेज दी गई। जनवरी १६५८ में प्रोजेक्टर खराब रहा। मार्च के बाद जून ५८ तक भी प्रोजेक्टर काम नहीं आया, क्योंकि प्रोजेक्शन

लैम्प फ्यूज़ हो गया था और दूसरा उपलब्ध नहीं हो सका। मशीन में गड़बड़ी हो जाने से ठीक करवाने के लिये इसे जुलाई ५८ में पुनः जयपुर भेजा गया था। अब प्रोजेक्टर चालू हालत में है, परन्तु उसमें आवाज देने वाला पुर्जा थोड़ा घिस जाने से ठीक काम नहीं देता है। इस पुर्जे को भी बदलवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(४) इस प्रोजेक्टर से अब तक २४ फिल्म प्रदर्शन किये हैं।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि किस किस मद में कितना कतना धन खर्च किया, यह नहीं बताया मंत्री महोदय ने।

श्री रामकिशोर व्यास : और सुन लीजिये, सुनने से रह गया है तो।

श्री रामचन्द्र : मद फर्मा दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मद सुन लीजिये :

"अधिकारियों का वेतन ५६–५७ में ६३२ रु० ४ आ०, ५७–५८ में ८७१ रुपये, ५८–५६ में २१८५ रु०...."

श्री अध्यक्ष : करीब करीब वे ही फिगर्स हैं......

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन है कि जन-सम्पर्क कार्यालय का काम लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का है। पर उस कार्यालय के पास साधन नहीं हैं, सम्पर्क स्थापित करने के लिये एक बीमार प्रोजेक्टर भेजा गया जो बराबर बीमार पड़ा रहा, कई बार इन्जेक्शन्स लगाये, पर फिर भी बीमारी नहीं गई। उसकी जगह नया क्यों नहीं भेजा जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत पुराना प्रोजेक्टर है, कुछ काम देगा इस लिहाज़ से वहां भेजा। अगर माननीय सदस्य उसे वापिस भेजना चाहें तो भेज दें।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, होस्पिटल की परिभाषाओं में बात नहीं की जाय तो अच्छा है।

श्री रामचन्द्र : वापिस तो भिजवा दें, पर मैं मन्त्री महोदय से आशा रखता हूं कि नया प्रोजेक्टर मेरे इलाके के लिये भेजा जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर आशा करें। आशा को पूरी करने की कोशिश जितनी हो सकेगी की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खास तौर से झालावाड़ के लिये ही बीमार क्यों भेजा ?

प्रश्न संख्या ६०८

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

जिला झालावाड़ की सड़कों का निर्माण-कार्य

६०६ **श्री रामचन्द्र** (डंग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष झालावाड़ जिले की किन किन सड़कों पर काम चल रहा है ?

(२) पिछले छः महीनों में इन सड़कों पर कितना कार्य पूरा हो चुका है ?

(श्री रामचन्द्र)

(३) क्या ये सड़कें इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेंगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (१) सुलिया सुनेल, चौमहला सीतामऊ, झालावाड़ खानपुर, मोहतरपुरा ऊड़वा तथा पचपहाड़, डग गंगधार सड़कों पर ।

(२ १७३३४रु०,७५ रु०,१५२८३रु०, ६४३६ रु० तथा २५५०१ रु० ।

(३) पचपहाड़ डग गंगधार को छोड़कर बाकी सब सड़कों का कार्य इस वर्ष समाप्त होने की आशा है ।

श्री रामचन्द्र : माननीय मंत्री महोदय से मैं निम्नलिखित बात मालूम करना चाहूँगा कि ८ महीनों का समय निकल गया है, उसमें इतनी थोड़ी रकम खर्च की गई है । क्या मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि बाकी की सब रकम इन बचे हुए चार महीनों में खर्च कर दी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कह दिया कि एक सड़क को छोडकर बाकी पूरी हो जायेंगी ।

प्रश्न संख्या ६१०

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

झालावाड़ नगरपालिका की आय-व्यय

६११ **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५७-५८ में झालावाड़ नगरपालिका की कितनी आमदनी हुई और इसे कितनी सहायता सरकार से मिली ?

(२) इसमें से कितना धन (१) सफाई खर्च खाते (२) कितना धन शासन व्यवस्था खर्च खाते और (३) कितना धन विकास खर्च खाते खर्च किया गया ? खर्चों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) आमदनी ४२,७१४ रुपये ३२ नये पैसे हुई और सहायता सरकार से १०,२५६ रुपये की मिली ।

(२) सफाई खर्च खाते २१६७६ रुपये । शासन व्यवस्था खर्च खाते १३१८२ रुपये और विकास कार्यों में कुछ नहीं खर्च किया गया ।

श्री रामचन्द्र : नगरपालिका में विकास कार्यों का स्थान नहीं है या धन नहीं है, कारण क्या है जो विकास कार्यों पर खर्च नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके पास साधन नहीं हैं ।

प्रश्न संख्या ६१२

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१३

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामचन्द्र : माननीय अध्यक्ष मेरा थोड़ा सा प्रश्न रह गया है........

प्रश्न संख्या ६१४

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१५

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

तहसील हिन्डौन में लैंड एक्विजिशन एक्ट के अन्तर्गत एक्वायर की गई भूमि

६१७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम धनवाली तहसील हिन्डौन में कुछ भूमि लैंड एक्विज़िशन एक्ट के अन्तर्गत एक्वायर कर गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल फॉर्म खोला गया था?

(ख) यदि हां, तो अब उसको क्यों बन्द किया गया और इसमें अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

(ग) यह जमीन किन किन के अधिकार से इस फॉर्म के लिए ली गई थी और अब वापिस किन किन को कितनी कितनी दी गयी, कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां ।

(ख) हरिजनों के निवेदन करने पर उन्हें जमीन लौटाने के लिये फॉर्म का कार्य बन्द किया गया । इस कार्य पर १६,५०३ रु० २४ नये पैसे व्यय हुए ।

(ग) जमीन जिनसे ली गई थी उन्हीं को वापिस दे दी गई । तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो जमीन एक्वायर की गई थी वह हरिजनों की थी ?

श्री दौलतराम सारण : हां, अधिकांश ज़मीन पर हरिजन काश्त करते थे ।

श्री भैरोंसिंह : तो जिस समय हरिजनों से जमीन ली गई, उन्होंने यह मांग नहीं की थी कि यह जमीन हमसे नहीं ली जाय ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय हरिजनों का उतना विरोध नहीं था, बाद में उन्होंने विरोध प्रकट किया । उसके बदले दूसरी जमीनें लेकर उन्हें देने में दिक्कतें मालूम हुई, इसलिये फॉर्म बन्द करके वे ही जमीनें उनको वापिस दे दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जमीनों को एक्वायर करने के लिये जमीन के मालिकों की कन्सेन्ट ली गई थी ?

कृषि मन्त्री श्री नाथूसिंह मिर्धा : नहीं, उनकी कन्सेट नहीं ली गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि लैंड एक्विज़िशन एक्ट के मातहत ज़मीन के मालिक की कन्सेन्ट नहीं लेने पर भी लैंड एक्वायर की जा सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कन्सेन्ट सब मामलों में नहीं ली जा सकती और न लेना ही आवश्यक है। लैंड एक्विज़िशन तो तभी किया गया जब वहां के सम्बन्धित अधिकारियों ने कहा कि यह बहुत अच्छी लैंड है, इससे अच्छी और ज़मीन नहीं मिल सकती। यह बहुत अच्छी ज़मीन है, इसको ले लेना चाहिये। इसीलिये वह जमीन ली गई और उसमें फॉर्म खोला गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात के लिये, गवर्नमेंट के एग्रीकल्चरल फार्म के लिये हरिजनों से जमीन ली गई, उसके लिये १६ हजार रुपया खर्च करना उचित था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १६ हजार का खर्चा ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां, माननीय अध्यक्ष, इसीलिये तो मैं कहता हूं कि प्रिपेयर होकर नहीं आते, अनप्रिपेयर्ड होकर आते हैं।

श्री दौलतराम सारण : १६,५०३ रु० २४ नये पैसे कुल खर्चा बताया है। इसमें से अधिकांश खर्चा ऐसा है जो ट्रेक्टर, बैल, औजार वगैरह के लिये किया गया और जो दूसरी जगह काम में आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय जो खर्चा बता रहे हैं, उसमें कोई ट्रेक्टर नहीं खरीदा गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वास्तव में १६ हजार का जो खर्चा बताया गया है, उसमें ट्रेक्टर की कोई रकम शामिल नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस फॉर्म के लिये ट्रेक्टर खरीदा गया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक एक फॉर्म के लिये अलग अलग एक एक ट्रेक्टर है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि इस पर्टिक्युलर फार्म के लिये कोई ट्रेक्टर खरीदा गया था कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, जो खर्चा बताया गया है उसमें कोई ट्रेक्टर की रकम शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : साफ कह रहे हैं कि १६ हजार का खर्च बताया गया है उसमें ट्रेक्टर की रकम शामिल है, आप कह रहे हैं; नहीं.......।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्पष्ट कहा है कि बैलों की जोड़ियों का, ट्रेक्टर का, मूवेबल प्रोपर्टी खरीदने का सब खर्चा १६,००० में शामिल हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं पूछना चाहूंगा कि सारे खर्च में ट्रेक्टर की कीमत शामिल है ?

(कुछ क्षण विराम)

अपने पीछे पूछ लीजिये।

श्री अर्जुनदास : जीओ।

(हंसी)

Page No.23

श्री नाथूराम मिर्धा : वे अलग अलग फिगर्स हमारे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास हिसाब है, आप देख लीजिये, मैं चैलेंज देता हूं कि जो उत्तर दिया गया है, गलत दिया है, कोई ट्रेक्टर नहीं खरीदा गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सूचना दे रहे हैं तो और जांच कर लेंगे, झगड़ा क्या है इस बात में ?

श्री अर्जनदास : On a point of order, Sir, he has given wrong information to the House and giving of wrong information to the House is contempt of the House.

श्री अध्यक्ष : He has said that he would re-consider the matter and re-examine it in the light of what you have said.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको दुबारा पूछने की अनुमति दी जावे तब इस पर विचार हो जाए ।

श्री अध्यक्ष : That we will see. If it is necessary, we shall do it. next.

पुलिस स्टेशन का टोडगढ़ में पुनः स्थापन

६१८. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा) : Will the Home Minister be pleased to state:-

(1) Whether the Government is considering the reversion of the Police Station at Todgarh ?

(2) Whether any orders have been passed in this respect ? If so, when they are going to be implemented ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) विषय विचाराधीन है व शीघ्र निर्णय किया जावेगा ।

श्री नारायण सिंह : निर्णय कब तक दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समय तो नहीं बता सकता कि निर्णय कब तक दिया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

भरतपुर रोड पर सिकन्दरा स्टेशन से गुढ़ा चन्द्रजी तक पक्की सड़क का ठेका ।

६१९. **श्री गज्जा पटेल** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर रोड के सिकन्द्रा स्टेशन से गुढ़ाचन्द्रजी तक पक्की सड़क का ठेका लगभग तीन वर्ष पूर्व दिया जा चुका है ?

(२) यदि हां, तो वह सड़क अब तक तैयार क्यों नहीं हुई एवं अब कब तक तैयार होने की संभावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं ।

(२) कार्य चालू है, तृतीय योजना काल में ।

प्रश्न संख्या ६२०

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

चोरियां, जिला सवाई माधोपुर

६२१. **श्री रिद्धीचन्द पालीवाल** (गंगापुर) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सवाई माधोपुर जिले में इस वर्ष सितम्बर के महीने में कहां कहां कितनी चोरियां हुई तथा उनमें से कितनी बरामद हुई ? क्या ये चोरियां पिछले वर्ष के सितम्बर माह से अधिक है ?

(२) गंगापुर में चोरियों को रोकने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) सवाई माधोपुर जिले में ३३ चोरियां और नकबजनियां माह सितम्बर १६५८ में निम्नलिखित गांवों में हुई :

कस्बा गंगापुर	४	मन्डी मंडावर	१
सहार	१	साल मलारना	१
महू	१	एग्रीकल्चर फॉर्म	
सुन्दरपुर	१	सवाई माधोपुर	२
चांदजी गढ़ा	१	सीमेन्ट फैक्ट्री	१
कस्बा हिन्डौन	५	फलौदी	१
रानौली	१	टोडाभीम	१
पली का पुरा	१	पखार	१
करनपुर	१	जंगल सप्टोडा	१
पाटोली	१	जंगल गोथराह	१
पाटोएडा	१	सीवार	१
किदारा	१	रणथम्भोर	१
मलारना	१	गढ़ मोरा	१

इन ३३ मुकदमों में से ८ मुकदमें सफल हुए इस वर्ष में गत वर्ष माह सितम्बर के मुकाबले में ६ मुकदमे अधिक हुए ।

(२) गंगापुर और सवाई माधोपुर जिले के अन्य भागों में चोरियों की रोकथाम हेतु पर्याप्त गश्त एवम् दुराचारियों पर दृष्टि रखी जाती है । सन्देह जनक व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी रोक थाम की कार्यवाही की जा रही है । एवं इस समय फरार आशंकित अपराधियों का निश्चित पता देने के लिये मुखबिर नियुक्त किये हुए हैं ।

श्री सरदार सिंह : २५ रही, ८ बरामद हुई; बाकी का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : बरामद नहीं हुई ।

रामकिशोर व्यास : १० का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ।...

प्रश्न संख्या ६२२

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट

गंगापुर में लेडी डॉक्टर की कमी

६२३. **श्री रिद्धिचंद पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

गंगापुर में लेडी डॉक्टर तथा बौली में डॉक्टर कब से नहीं है ? सरकार इस सम्बन्ध में कब तक उक्त डॉक्टरों की नियुक्ति करके वहां भेजने की व्यवस्था कर रही है तथा इस देरी का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गंगापुर में लेडी डॉक्टर ८.४.५६ से व बौली में

Page No.25

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डॉक्टर २०.६ ५८ से नहीं है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां नहीं भेजे जा सके हैं। बौली के लिये व एक नये डॉक्टर की नियुक्त की गई थी, जिसने अभी तक कार्य नहीं संभाला है। अगर वह इस माह में वहां नहीं पहुंचता तो दूसरा डॉक्टर उपलब्ध होने पर वहां भेज दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिह : जिस डॉक्टर की नियुक्ति की गई है वह क्या छुट्टी पर है या जा नहीं रहा है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : उसकी नियुक्ति २८.८.५८ को की गई थी, मगर अभी तक उसने जोइन नहीं किया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इनका क्या कारण है कि उसने अभी तक जोइन नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे मालूम नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने से क्या फायदा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पी. एस.सी. ने सिलेक्ट करके भेजा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

डाक बंगला सिकराय का निर्माण

३२४. श्री गज्जा पटेल (दौसा) : क्या आबपाशी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सिकराय में एक डाक बंगला का भवन लगभग १० वर्ष से अधूरा पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो वह भवन अब तक क्यों अपूर्ण पड़ा रहा ?

(३) क्या सरकार इस अपूर्ण भवन को वर्तमान बजट में पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(४) यदि नहीं, तो क्या वह अपूर्ण भवन किसी सार्वजनिक कार्य में दिया जायगा जिससे कि जनता इसको पूर्ण करवा कर उपयोग में ले सके ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) इसका कार्य भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय में रोका गया था और इसके कारणों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

(३) हां।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब उसको बनाने का विचार है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अपने उत्तर में (हां) कहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

वर्तमान डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा किये गये मुअत्तिल कर्मचारी

६२५. श्री भैरोंसिह (श्री जोधपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) आयुर्वेदिक विभाग के वर्तमान डाइरेक्टर की नियुक्ति के बाद इस विभाग के किन किन कर्मचारियों को १५-७-५५ से लेकर अब तक मुअत्तिल किया गया है ?

Page No.26

(श्री भैरोंसिंह)

(२) ऐसे कर्मचारियों को कौन कौन सी तारीख को मुअत्तिल किया गया था और और कौन कौन सी तारीख को बहाल या डिसमिस किया गया था ?

(३) ऐसे किन किन कर्मचारियों को सस्पेन्शन पीरियड में १।४ तनख्वाह दी गई और किन किन को नहीं दी गई और क्यों ?

(४) जिन कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया गया, वे सस्पेन्शन पीरियड में कहां रहे और उनको नियमानुसार कहां रहना चाहिये था ?

(५) जो कर्मचारी एक महीने से ज्यादा मुअत्तिल रहे, उसके क्या क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) आयुर्वेदिक विभाग के वर्तमान डाइरेक्टर की नियुक्ति के बाद इस विभाग के निम्न कर्मचारियों को दिनांक १६-७-५५ से लेकर अब तक मुअत्तिल किया गया है :

(१) श्री बन्शीलाल कम्पाउन्डर औषधालय, डूंगरा ।

(२) श्री भुवनेश्वर वैद्य औषधालय जानवी ।

श्री भैरोंसिंह : यह लिस्ट मेरे पास आ गई है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (२) उक्त कर्मचारियों को जिस तारीख से मुअत्तिल किया गया था व जिस तारीख को बहाल किया गया है उनका तिथिवार विवरण संलग्न है ।

(३) निलम्बन काल में प्रायः सभी कर्मचारियों को चतुर्थांश वेतन दिया गया है। केवल निम्नलिखित ५ कर्मचारियों को सस्पेन्शन काल से चतुर्थांश नहीं दिया गया है, जिसका कारण यह है कि सम्बन्धित व्यक्तियों के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर उनके निरीक्षकों के पास उन्हें सस्पेन्ड करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु सम्बन्धित निरीक्षकों ने सस्पेन्शन आदेश जारी करते समय चतुर्थांश का उल्लेख नहीं किया । अब उन्हें बहाल होने पर सारी तनख्वाह दे दी ।

(१) श्री वैद्य भुवनेश्वर औषधालय, जानवी ।

(२) श्री वैद्य भूरामल, औषधालय, ललाना ।

(३) श्री वैद्य मदनलाल औषधालय आसकुट ।

(४) श्री वैद्य बसन्तकुमार औषधालय भगवानपुरा ।

(५) श्री वैद्य रामकृष्ण औषधालय वसईनवाब ।

(४) जिन कर्मचारियों को सस्पेन्ड किया गया वे अपने हैड क्वार्टर पर ही रहे हैं । हां, श्री अब्दुल हक जिनको सस्पेन्ड किया था वे अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण हैड क्वार्टर अजमेर में न रह कर सरकारी आज्ञानुसार जयपुर रहे हैं ।

(५) जो कर्मचारी एक माह से ज्यादा मुअत्तिल रहे हैं उसमें खास कारण यही रहा कि उनके केस में जो इन्क्वायरी की गई उसमें कई व्यक्तियों के बयानात लेने से व पूछताछ करने में काफी समय लग गया ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अब्दुल हक को मिनिस्टर महोदय की सिफारिश से बहाल किया गया था ? मगर डाइरेक्टर ने फिर से सस्पेन्ड कर दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि गवर्नमेन्ट के आर्डर कब हुए हैं। बल्कि मुझे याद है कि एक व्यक्ति बहाल जरूर हुआ था। सस्पेन्ड करने की तारीख मुझे याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस मामले में उसको पहले मुअत्तिल कर रखा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा तो नहीं है। मैं डेफिनिट नहीं कह सकता हूं। मुझे याद है कि उसने कोई टी. ए. और डी. ए. गलत चार्ज किया उसके कारण सस्पेन्ड किया था और बाद में उसको बहाल कर दिया था। मगर दूसरी बार किस मामले में उसको सस्पेन्ड किया, मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पहले मंत्री श्री राम-करण जोशी के ऑर्डर से बहाल हुआ और श्री बद्री प्रसाद के ऑर्डर से मुअत्तिल किया गया। उसकी जांच हुई। मुझे यह बता दिया जाए, जांच में क्या समय लगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा कोई ऑर्डर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : स्वास्थ्य मंत्रीजी का ऑर्डर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच के लिये इन्क्वायरी हो रही है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मामले की बात पूछते तो केस जरूर लाता।

श्री भैरोंसिंह ; एक महीने से ज्यादा समय किन किन कारणों से लगा। आपने कारण बताये उसमें अब्दुल हक के बताये। कुछ लोगों की आवश्यक जानकारी इसलिये नहीं ली कि कहीं उनको जांच में कोई बात साबित न होने पर बहाल करना पड़े।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नहीं कह सकता। मुझे डिटेल्स याद नहीं हैं। लेकिन कारण यह था कि डिफेन्स में समय लगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात को ठीक समझती है कि जिन लोगों को इन्क्वायरी में १॥ साल का समय लगे तो क्या इस प्रकार की कार्यवाही को सरकार बर्दास्त करती रहे और क्या सरकार उसको प्रोत्साहन देगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी इन्क्वायरी होनी चाहिये, मगर मेरे पास ५ साल पुरानी इन्क्वायरी पड़ी हुई है। प्रोसीज़र इतना लम्बा चौड़ा है कि पहले प्राइमरी इन्क्वायरी होती है, उसके बाद नोटिस देना पड़ता है तथा और कई तरह के लम्बे-चौड़े रास्ते हैं उसमें समय लग ही जाता है। यह मैं देखूंगा कि जल्दी कार्यवाही हो जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जावर माइन्स को चम्बल योजना से बिजली की प्राप्ति

६२६. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या विद्युत् मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जावरा माइन्स को चम्बल योजना से बिजली प्रथम भाग में देने का विचार है ?

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(२) यदि हां, तो ट्रान्समिशन लाइन कहां कहां होकर ले जाई जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) गांधीसागर से नीमच, नीमच से उदयपुर और उदयपुर से जावर।

श्री सोहनलाल भटनागर : नीमच से उदयपुर किधर से होकर जावेगी। फर्स्ट कौन सी होगी, शुरू कहां से होगी और खत्म कहां होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : राणा प्रताप-सागर.......

एक माननीय सदस्य : जो बिजली दी जावेगी वह किस हिसाब से दी जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक पता नहीं किस हिसाब से दी जावेगी ।

एक माननीय सदस्य : नीमच से बिजली आवेगी उसका क्या रूट होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : नीमच से उदयपुर जाने को है।

एक माननीय सदस्य : कोई रूट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगर से खेड़ली होकर जयपुर तक आने वाली सड़क का शिथिलतापूर्वक निर्माण कार्य

६२७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नगर से खेड़ली होकर जयपुर तक आने वाली सड़क को बनते हुए कितना समय व्यतीत हुआ है ?

(२) इस अर्से में उसका कितना काम पूरा हुआ ?

(३) बाकी भाग के पूरा होने में कितना समय और लगेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) लगभग ३ वर्ष।

(२) ६।। मील।

(३) लगभग ८ माह।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या कोई इसकी अवधि निश्चित की गई थी कि सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर्स का टाइम बाकी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अवधि में यह पूरी हो रही है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक कॉन्ट्रेक्टर ने टाइम पर काम पूरा कर दिया और दूसरे ने नहीं किया, उस पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष ; श्री धन्नालाल हरित।

ग्राम पंचायत, फतेहपुरा (तहसील बारां) को हरिजनों के लिए कुए के निर्माण हेतु दी गई धन-राशि

६२८. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री धन्नालाल हरित)

(१) तहसील बारां के ग्राम फतेहपुर की ग्राम पंचायत को हरिजनों के लिए कुए के निर्माण हेतु जल बोर्ड से कितना रुपया दिया गया ?

(२) कितनी राशि उक्त कुए के निर्माण में खर्च हुई एवं कितनी बचत में रही तथा अब वह राशि किस जगह जमा है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कुए की ऊपर की मोरी नहीं बनवाई गई ? यदि हां, तो अब कब तक बन जाने की आशा है ?

उप-स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) सन् १९५४-५५ में ३०००)रु० पंचायत विभाग से ग्राम फतहपुरा को कुए के निर्माण के लिये दिये गये ।

(२) ३०००) रुपये जो राज्य द्वारा दिये गये, खर्च हुए और १२०१)रु० गांववालों के कन्ट्रिब्यूशन के खर्च हुए । कोई राशि बाकी नहीं है ।

(३) यह उस ग्राम के निवासियों के सोचने की बात है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर,

मलेरिया विरुद्ध अभियान, जिला उदयपुर

६२९. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर जिले में मलेरिया विरुद्ध अभियान कहां कहां चल रहा है ?

(२) उदयपुर जिले की सलूम्बर, सरांड़ा व गिरवा तहसील काफी मलेरिया ग्रसित होते हुए भी इन तहसीलो में मलेरिया विरुद्ध अभियान क्यों नहीं चलाया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) उदयपुर ज़िले में मलेरिया विरुद्ध अभियान निम्नलिखित तहसीलों में सन् १९५५ से आरम्भ है :

कोटड़ा, सायरा, फलासिया, कुम्भलगढ़ व सेरवाड़ा ।

(२) मलेरिया युनिट जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है, उसमें सलूम्बर, सराड़ा व गिरवा तहसीलें सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर जिले के वही क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए है जिनमें मलेरिया का भीषण प्रकोप रहा करता था । अगले वर्ष इन तहसीलों में भी यह कार्य आरम्भ हो जावेगा ।

श्री भानसिंह : जो मोरिक्वटोज़ उदयपुर डिविजन से एस्केप होकर दूसरे डिविजन्स में आ गए हैं, उनको कॉम्बेट करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आजकल भरतपुर में पहुंच गए, इसलिए सरकार ने वहां भी एक युनिट भेज दी है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर ।

भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में बैटरमेंट रेट्स

६३०. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में बैटरमेंट रेट्स भूमि पर निर्धारित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा गया ?

Page No.30

(श्रीमती सतवन्तकौर)

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस क्षेत्र में भूमिपतियों से भूतपूर्व बीकानेर सरकार ने सन् १६४२ में सनद हक मौरूसियत देते समय लिखित रूप में यह वचन दे रखा है कि नहरी पानी लगने पर इस क्षेत्र में आठ व पन्द्रह रुपए से अधिक बैटरमेन्टरेट्स वसूल नहीं किया जा सकता ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस वायदे को पूरा करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) भाखरा क्षेत्र में बैटरमेन्ट लेवी की दरें निर्धारित करने में राजस्थान लैंड स्पेशल इर्रिगेशन चार्जेज़ एक्ट, १६५३ एण्ड रूल्स १६५५ में सूचित सब बातों को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) उक्त सनद में ऐसा कोई जिक्र नहीं है ।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय यह निश्चित रूप से कहते हैं कि तत्कालीन बीकानेर सरकार की ओर से ऐसी कोई सनद नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : सनद में शर्त की बात है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उस सनद में यह नहीं लिखा है कि ८) रुपए से १५) रुपए से अधिक बैटरमेन्ट रेट्स नहीं लेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : तशरीफ रखिये । जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर यही है ।

श्रीमती सतवन्तकौर : बीकानेर सरकार के द्वारा ८) रुपए से लेकर १५) रुपये तक ही लिया जावेगा, उससे अधिक नहीं, ऐसी शर्त हैं उस सनद में, जो मेरे पास है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका प्रश्न यह है कि क्या सरकार के ध्यान में यह है कि इस क्षेत्र के भूमिपतियों से भूतपूर्व बीकानेर सरकार ने सन् १६४२ में सनद हक मौरूसियत देते समय लिखित रूप में यह वचन दे रखा है कि नहरी पानी लगने पर इस क्षेत्र में आठ रुपए से अधिक बैटरमेन्ट रेट्स वसूल नहीं किया जा सकता । इसका मैंने जवाब दिया कि उस सनद में ऐसा कोई जिक्र नहीं है ।

श्रीमती सतवन्तकौर : इसमें लिखा हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि सनद में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए बैटरमेन्ट रेट्स ज्यादा ली हैं और होता तो नहीं लगती ।

श्री रामकिशोर व्यास : होने पर भी कोई बाइन्डिंग नहीं है ।

प्रश्न संख्या ६३१

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.६ म०प०

विधायी कार्य

अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधान सभा (श्री धर्मेन्द्र परिहार) : मैं विधान सभा द्वारा पारित उन

(श्री धर्मेन्द्र परिहार)

विधेयकों का विवरण जिनको राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) The Rajasthan Land Revenue (1st Amendment) Bill, 1958.

(2) The Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (8th Amendment) Bill, 1958.

(3) The Rajasthan Tenancy (3rd Amendment) Bill, 1958.

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक ।

राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेंटेशन) विधेयक, १६५८

(पुरःस्थापन)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेन्टेशन सेकिंड अमेंडमेंट) बिल, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बिल को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ?

(विराम)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयको पुरःस्थापित करता हूँ ।

१२.७ म० प०

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० सम्बन्धी पुनः अनुपूरक प्रश्न

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो अभी सनद रखी थी उसमें ऐसी कौन सी शर्तें है जिसको माननीय मंत्री महोदय नहीं बताते । इसलिए यदि कोई प्रोविज़न उसमें है तो वह माननीय मंत्री महोदय को बता दिया जाय, ताकि वे उसको टेली कर लें ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दिया था कि यह कोई बाइन्डिंग नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : लेकिन जब उसमें कोई टर्म नहीं है और कहते हैं कि नहीं है तो फिर उसकी टेली करने में क्या एतराज हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि उनके पास भी कॉपी है ।

श्री रामकिशोर व्यास : बाइन्डिंग नहीं है, मैंने यह कहा था और मैं फिर कहता हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : बाइन्डिंग है या नहीं, यह दूसरी चीज़ है । आप कहते हैं कि उसमें ऐसी कोई टर्म ही नहीं है । आप उसको टेली कर लीजिए ।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : इन्क्वायरी का नहीं । सवाल यह है कि जो जवाब आप देते हैं वह कहां तक ठीक है ? ऑफिसर्स ने शायद गलत इन्फोर्मेशन दी हो । जब वे ओरिजिनल सनद पेश कर रहे हैं तो उसको देखने में क्या हर्ज है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न यह है कि इसको मन्सूख करने के गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या आपके पास लिखा हुआ आया है उसको सही मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कानूनी मसला हो गया। इस सनद को कहां तक तरजीह दी जाय। माननीय सदस्य कहते हैं कि ओरोजिनल सनद वह है। आप उसको देख लीजिए और उसके उसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेन्सेज़ हों उन पर विचार करें।

(विराम)

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री श्रीभानसिंह : सारे पोर्टफोलियोज़ आप ही ले लेंगे नाथूरामजी।

१२.८ म० प०

राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाईटीज़ (संशोधन, विधेयक, १९५८

(अग्रेत्तर विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी, You would reply ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes, Sir.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव रखा था, उसके जवाब में मंत्री महोदय ने, मैंने जो पोइन्ट्स रेज किए उनका जवाब दिया, वह कन्विंसिंग नहीं लगता है। उन्होंने जितनी बातें कहीं उनमें से एक बात जचती है। वह यह है कि एक कश्योरेन्स दिया है कि क्लॉज़ वाइज डिस्कशन के समय सदन कीन हो तो एक्सेप्ट करें बाकी जितने पोइन्ट्स रेज किए थे, उनमें से किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पहली बात तो यह थी कि रेवेन्यु को प्रिफरेन्स दिया जाता है जो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको डिफेन्ड किया है। दूसरी बात क्लॉज़ २३ है। नया क्लॉज़ इन्क्ल्यूड किया जाता है उसका पोइन्ट रेंज किया। उसमें इतना एश्योरेन्स दिया हालांकि ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में इसका जिक्र नहीं था और मैं मानता हूं कि वह काफी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट था और ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में उसका जिक्र नहीं किया जो कि करना चाहिए था, फिर भी कहा कि इसको क्रोपलोन्स के लिए प्रोपर्टी पर फर्स्ट चार्ज क्रीयेट करने के उपयोग में नहीं लावेंगे और साथ ही साथ यह भी इशारा किया कि मार्केटिंग और प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए लोन दिया जावेगा उसमें इसका उपयोग किया जावेगा, लेकिन हम समझते हैं, इसके लिये इसका उपयोग करना ठीक नहीं होगा। इसमें शोर्ट टर्म लोन है, चाहे मार्केटिंग या प्रोसेसिंग को दिया गया हो या क्रोप प्रोडक्शन के लिए दिया गया हो, दोनों जगहों पर प्रोपर्टी की सिक्योरिटी लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा खटकने वाली जो बात है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय कल जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा था डिक्लेरेशन है, फर्स्ट चार्ज प्रोपर्टी लोग टर्म लोन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो आपने इस धारा का क्या मतलब है इसको समझा ही नहीं। लोंग टर्म तो सिर्फ क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उन पर लागू होगा। क्रेडिट सोसाइटीज़ को लोंग टर्म लोन देते नहीं। हमेशा लोन मोर्टगेज़ बैंक देता है। हमारे राजस्थान में जो लैंड मोर्टगेज़ कानून लागू है, उसमें लोंग टर्म लोन लेने का प्रोविजन रखा है, उसके ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स

(श्री पी० के० चौधरी)

में कहा है : The scheme of the second Five Year Plan embodies a recommendation for the establishment of co-operative land mortgage banks and a central co-operative land mortgage bank in every State for the purpose of providing long term facilities to holders of land in order to enable them to discharge their debts and carry out agricultural improvements and to acquire land for the formation of economic holdings"......

यानि लोंग टर्म लोन जो है वह सिर्फ लैन्ड मोर्टगेज़ बैंक ही देता है। आप धारा २६ ए जो लाए हैं उसको लोंग टर्म लोन देने में इस्तेमाल करेंगे ऐसा माननीय मंत्री महोदय का खयाल है, वह गलत है। वे फिर जानकारी हासिल कर लें लोंग टर्म लोन की जरूरत रहती नहीं वह ऑर्डिनेरी क्रेडिट सोसाइटीज़ नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इसमें जो एक्स्प्लेनेशन दिया गया है उसको यदि पढ़ लिया जाय तो सब शंकाओं का निराकरण हो जाता है। इसके पीछे जो एक्स्प्लेनेशन दिया गया है उसमें कहा गया हैं :

"For the purpose of this section, a society shall mean,

(a) any resource society the majority of the members of which are agriculturists and the primary object of which is to obtain credit for its members, or,"......रिसोर्सेज सोसाइटीज की डेफिनिशन दी है मार्केटिंग सोसाइटीज़ वगैरह होंगी उन पर यह लागू नहीं होगा, क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए है। जब माननीय मंत्री महोदय ने कहा तब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मार्केटिंग सोसाइटीज और रिसोर्सेज़ सोसाइटी को डिफाइन करेंगे तो मालूम होगा कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ के लिए प्रीकाशन लेना हो उसमें यह बात नहीं है। मार्केटिंग सोसाइटीज़ के सदस्य लोंग लोन लेते हैं इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं। रिसोर्सेज़ सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी नहीं। मैं समझता हूं या तो मंत्री महोदय इस बात को समझे नहीं कि रिसोर्सेज सोसाइटीज के क्या फंक्शन है। उनके दिमाग में एक प्रकार का कन्फ्यूजन है। इस धारा को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि it is for advancing of credit to members. आपने खुद ने डिफाइन कर दिया है कोई मार्केटिंग सोसाइटी क्रेडिट नहीं देती उसका फंक्शन है क्रेडिट करना, माल खरीद कर फरोख्त करना उसका फंक्शन है मैटीरियल आदि इकट्ठा कर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना मार्केटिंग सोसाइटीज़ का काम है। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं २६ ए भी उन सोसाइटीज़ पर लागू करेंगे। उन्होंने अपना रिप्लाई समाप्त करते हुए बड़े जोरों से यह बात कही थी २६ ए का एक्स्प्लेशन देखने के बाद सब शंकाओं का निराकरण हो जायगा। लेकिन क्रेडिट के लिए यह लागू नहीं होगा। मुझे तो उनका रिप्लाई कन्विंसिंग नहीं लगता है मेरा तो खुद का इम्प्रेशन यह हुआ है कि उन्होंने इस बिल का अध्ययन नहीं किया, रिसोर्सेज़ सोसाइटी क्या है उस पर इसको लागू करेंगे या नहीं। बिना सोचे-विचारे लेजिस्लेशन लाना अच्छा नहीं है इस बारे में स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। उनको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। जब माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में कन्फ्यूज़न है तो जब इसका इम्प्लीमेन्टेशन होगा तो कन्फ्यूज़न के आधार पर मिसमेनेजमेन्ट भी हो सकता

Page No.34

(श्री पी० के० चौधरी)

है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किये हैं वे सब मानने योग्य हैं जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद ने आश्वासन दिया है अमेन्डमेन्ट्स जो उनको कन्विन्सिग होंगे और सदन की राय होगी उसको वे मन्जूर कर लेंगे। इन शब्दों के साथ मेरा जो मोशन सिलेक्ट कमेटी में भेजने का है उसको विथड्रॉ करने की सदन से अनुमति चाहता हूं और जो मैंने अमेन्ड-मेंट्स मूव किये हैं वे सब के सब वाजिब हैं। आशा है, माननीय मंत्री महोदय उन्हें स्वीकार करेंगे।

(श्री दयाकृष्ण विजय के बोलने लिए के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : सिर्फ एक ही मोशन सदन के सामने आया था।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने भी एक मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : उसको मूव करने की इजाजत नहीं दी गई थी।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ २

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move "that part (a) be re-numbered as (aa) and a new part (a) be inserted as follows:-

'In sub-section [1] of section 29 of the principal Act as so re-numbered the words or of a landlord in respect of sentor any money recoverable as rent' appearing in second and third line shall be omitted'.

इसको डिलीट कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, अगर हम प्रिन्सिपल एक्ट को देखेंगे तो मैं जो अमेंडमेंट लाया हूं उसको समझने में आसानी रहेगी। प्रिन्सिपल एक्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रायर क्लेम किस हालत में दिया है। इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में यह कहा गया है सोसाइटीज़ है उनको जो क्रोप लोन दे रहे हैं उसमें किसी प्रकार भी उसके टोटल को ख्याल न करके सिर्फ प्रोड्यूस के ऊपर रिकवर करने की सिक्योरिटी लेते हैं। यह अमेंडमेंट जो लाया गया है वह सोसाइटीज़ को प्रायर क्लेम देने के के लिए विदाउट एनी सिक्योरिटी उनको रिकवर करने के लिए है। इसमें हम प्रायर क्लेम सोसाइटीज़ को देना चाहते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो सोसाइटी है वह पब्लिक प्रोपर्टी है। नये कानून के अन्तर्गत जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इसमें गवर्नमेन्ट की यह पॉलिसी है कि पचास प्रतिशत शेयर्स सरकार अपना रखती है। कोऑपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक के करीब के पचास प्रतिशत शेयर्स सरकार खरीदती है इस तरह से सरकार के

(श्री पी० के० चौधरी)

करोड़ों रुपयों की शेयर कैपिटल इसमें लगी हुई है। The state is a partner in the society.

आज तक सोसाइटीज़ के प्राइवेट इन्डिविजुअल्स शेयर होल्डर्स थे। लेकिन आज जो रिजर्व बैंक की नई पॉलिसी, नई इन्टीग्रेटेड स्कीम है उसकी सबसे पहली कन्डीशन यह है कि कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट को सक्सैसफुल बनाने के लिए स्टेट पार्टनरशिप हो, जो आज तक नहीं था और इस बेसिस पर सरकार ने तमाम लार्ज स्केल सोसाइटियों के शेयर्स ले लिए हैं। मेरे ख्याल से ५० परसेन्ट शेअर्स सरकार के होंगे। इस तरह से सोसाइटियां अपेक्स बैंक में Government is a partner. तो सोसाइटीज़ को ओरिजिनल एक्ट में थर्ड प्रिफरेन्स दिया हुआ था। फर्स्ट प्रिफरेन्स सरकार द्वारा प्रोड्यूस को दिया हुआ था, दूसरा लैंड लार्ड्स को था। दूसरी प्रायोरिटी लैंड लॉर्ड्स को अपना रेन्ट कलेक्ट करने की प्रायोरिटी दी जावेगी और फिर तीसरा प्रिफरेन्स आता था सोसाइटीज़ का।

The Government is a partner. Government money is also there.

दूसरी बात जिसे मन्त्री महोदय ने एक्सेप्ट भी किया है कि लैंड लॉर्डिज्म करीब करीब खत्म हो गया है और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वह जल्दी ही खत्म हो जावेगा। ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आया कि लैंड लॉर्डिज्म के खत्म होने के बाद दूसरी प्रायोरिटी उनको क्यों दी गई? वह तो हाइपोथेटिकल रह जाती है और एब्सोल्यूट भी रहती है। समय के अनुकूल नहीं है। प्रिन्सिपल एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि लैंड लॉर्ड को दूसरा और सोसाइटीज़ को तीसरा प्रिफरेन्स मिलेगा। उसमें कहा गया है :

"Subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or of a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent.

(a) any debt or outstanding demand owing to a society by any member past member or the estate of a deceased member shall be first charge".

यह सोसाइटी का क्लेम जो है वह एग्जीक्यूट तब होगा जब पहले स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जावेगा लैंड लॉर्ड का रेन्ट या और money recoverable as rent जो होगा वह भी पहले दे दिया जावेगा। Any money recoverable as rent. यह आज जो बिल है, इसमें जो प्रोविजन है सोसाइटी के क्लेम को प्रायोरिटी देने के लिए इसको मंजूर करें तो भी आज लैंड लॉर्ड को प्रायोरिटी पहले मिलती है। यह प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए उसे और देनी भी क्यों चाहिए जब कि माननीय मंत्री महोदय खुद मानते हैं कि यह तो एक डाइंग इन्स्टीट्यूसन है landlordism is a dying institution; और वह पूरी तरह से रह भी नहीं गई है। कहीं होगी भी तो जहां भूमि का सैटलमेन्ट बाकी रह गया है वहां होगी। पर कहीं अगर सैटलमेन्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि लैंड लॉर्ड को आप उस हैसियत से अब भी अपना राइट वही पुराने जमाने का राइट एक्सर्साइज़ करने दो।

Why should he get preference over the society in which the Government is a partner?

(श्री पी० के० चौधरी)

तो इसलिए मेरा यह छोटा सा अमेंडमेंट है कि इस लैंड लॉर्ड का सोसाइटी से पहले जो क्लेम रखा है वह नहीं रहना चाहिए और इसके लिए एक शब्द डिलीट कर देने से पर्पज़ सर्व होता है, जिसका मैंने जिक्र किया है अपने अमेंडमेंट में। आशा है, सदन उसे स्वीकार कर लेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल के वक्त इसके बारे में चर्चा की थी। माननीय सदस्यों की जो दलीलें इस संशोधन के बारे में हैं उनको भी मैंने सुना। पहली बात तो यह है कि यह अमेन्डमेन्ट इस बिल के स्कोप में भी नहीं आता जो ओरिजिनल क्लॉज़ २९ है वह अब हम नये कानून को सब-क्लॉज़ 'ए' बनाना चाहते हैं। इसलिये ओरीजिनल क्लॉज के वर्ड को चेन्ज करने के लिये जो बिल यहां इन्ट्रोड्यूस किया गया है उसकी प्रव्यु में उनका यह संशोधन नहीं आता।

दूसरी बात, जो उन्होंने दलील दी है उससे भी मुझे पूरा यकीन नहीं हुआ कि इन शब्दों, को हटा देना अच्छा होगा। जो लैंड लॉर्ड हैं चाहे वह खातेदार टिनेन्ट हो, खुदकाश्त होल्डर हो, उसको अगर यह भी यकीन रहेगा कि मेरा जो रेन्ट है, जो ड्यू है वह मुझे मिल जावेगा तो वह किसी को जमीन भी देने वाला नहीं होगा और अगर जमीन नहीं देगा तो वह किसान जो उससे जमीन लेना चाहता है और अपना गुजारा करना चाहता है, लोन भी नहीं ले सकेगा और इस तरह से अपना भरण-पोषण भी करने की उसकी क्षमता नहीं रहेगी।

इसलिये हम एक बेसिक चीज की जिसकी सैंक्टिटी मानते हैं, लैंण्ड रेवेन्यु सरकार की है और रेन्ट दूसरे आदमी का है चाहे फिर वह खातेदार हो चाहे किसी प्रकार का टिनेन्ट हो उसकी सैंक्टिटी अगर नहीं मानेंगे और यह बेसिक आइडिया उस जमीन देने वाले के दिमाग में रहेगी कि सबसे पहले तो मेरे लगान की सुरक्षा की ही कोई गारन्टी नहीं है तो जमीन उस किसान को मिलने वाली नहीं है और परिणाम इसका यह होगा कि जिस इरादे से हम इस बिल को बनाना चाहते हैं वही डिफीट हो जावेगा।

इसलिये यह संशोधन, मैं महसूस करता हूँ काफी विचार किया है मैंने इस पर, किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, इसके प्रव्यू में भी नहीं आता है। इसलिये मैं इसको मंजूर करने में असमर्थ हूँ।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कल जब बहस हो रही थी तो मन्त्री महोदय ने स्पेशल तौर पर इसका मेंशन किया था और कहा था कि अगर ऐसी बात होगी और सदन की यह राय होगी कि सेकिंड क्लेम लैंड लॉर्ड को नहीं रहेगा, सोसाइटी का रहेगा तो हम अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। आपने इसका जिक्र किया था। You can see the proceedings उन्होंने यह भी कहा था कि यह तो एक डाइंग इन्स्टीट्युशन है लैंड लॉर्ड की। दो–चार जगहों पर सिर्फ शेष रही है। कोई खास मतलब की नहीं है। सदन की राय होगी तो क्लॉज़वाइज़ जब डिस्कशन करेंगे तो अमेंडमेंट को देख लेंगे।

कल तो यह पोइन्ट आपने अरेन्ज नहीं किया जो आज आप कर रहे हैं कि यह जो अमेंडमेंट है वह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वह अकोर्डिंग टू दी रूल्स नहीं आता है। आप यह टैक्नीकल पोइन्ट रेज करते हैं कि इसको मूव नहीं कर सकता। मैं समझता

Page No.37

(श्री पी० के० चौधरी)

हूं कि यह इश्यू अगर लाना था तो कल लाना था, पर कल बिल को सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजना था इसलिए यह दलील दी और इस पर बोलते हुए कहा था कि क्लॉजवाइज डिस्कशन के टाइम पर सदन की राय होगी तो तो करेंगे और स्पेशली इसका मेंशन करते हुए यह बात कही थी। मैं समझता हूं कि इस तरह से मिसगाइड तो किसी मूवर ऑफ दी बिल को नहीं करना चाहिए। या तो कल स्पेशली मेंशन करते हुए यह नहीं कहना चाहिए था कि आपका यह अमेंडमेंट कल क्लॉजवाइज़ डिस्कस करते समय देख लेंगे। या फिर आप यह कल कहते कि on technical point you can't move it. क्योंकि कल सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजे जाने के फेवर में सबसे बड़ा आग्युमेन्ट आपका यह था कि अमेंडमेंट कर लेंगे क्लॉजवाइज डिस्कस करते समय कल। स्पेसिफिकली जिक्र किया था आपने। कल यह दलील जो आज आप दे रहे हैं, आपके सामने नहीं थी। कल तो आपने बोलते हुए कहा था कि क्लॉज वाइज डिसक्सन में होगा तो अमेंडमेंट ले सकते हैं। कल टैक्निकल पोइन्ट रेज नहीं किया था। दूसरी बात जो उन्होंने रेंट की सैंक्टिटी के लिए कहा था तो मैं तो इसको नहीं मानता हूं और आज के जमाने में इसको हम मानते ही नहीं हैं।

Rent is an un-earned income, जिसके ऊपर किसी का हक नहीं है। यह तो एक तरह का पहले से जमाकर रख देते हैं, इसी तरह का एक इन्स्टीट्यूशन कायम होता है। Simply from scarcity of land, रेंट का जो इन्स्टीट्यूशन है वह स्केयरसिटी ऑफ लैंड से डेवलप होता है। Nobody has earned rent by labour or any thing. It is simply scarcity value of land and you have no title to it.

अगर सही माने में देखा जाय तो आपको कोई हक नहीं रहता है। स्केयरसिटी के कारण आप ब्लेकमार्केटियर्स की तरह फायदा उठाते हैं। आज व्हीट का जो इतना वैल्यु है वह स्केयरसिटी वैल्यु है। यहां जो रेंट के ऊपर डिटर्मिन होता है उसको आप सैंक्टिटी मानते हैं और उसको हम नहीं मानते हैं। अगर आप रेन्ट की बात करते हैं तो आपने उनकी जमीन क्यों रोक ली है। They are owners of the land. तो यह जो दलील देते हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि किसी भी बिल में, किसी भी बहस में जो दलील समय समय पर दी जाती है मुझे उसमें कोई कॉन्सिस्टेन्सी नजर नहीं आती है। यानी एप्रोच ऑफ कॉन्सिस्टेंसी नहीं है। कभी तो यह दलील देते हैं और कभी वह दलील देते हैं, तो मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि यह जो अमेंडमेंट है जो टेक्निकली बार्ड नहीं है मूव करने के लिए तो उसको मंत्री महोदय मन्जूर करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि इससे पर्टीक्युलर स्माल एरिया अफेक्टेड है। वह खुद भी कीन नहीं है; इसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह लैंडलेस को प्रायर क्लेम सोसाइटी के ऊपर देने के लिए खुद कीन नहीं हैं। तो इस हालत में टैक्नीकली मूव हो सकता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए माननीय मंत्री महोदय तैयार हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया कि नहीं कर सकते।

श्री पी० के० चौधरी : I May be allowed to withdraw,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के चौधरी : I withdraw the amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

श्री अध्यक्ष : Clause 3, Shri P. K. Chowdhary.

श्री पी० के० चौधरी : I first move the amendment which is given in the list. "Substitue the words 'land or interest in land' in place of the words 'imm ovable property'' wherever they occur in the clause".

अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ इस बिल में है, यह सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और वह इसलिए है कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में यह साफ नहीं होता है कि यह सिर्फ लोन के लिए है या किस चीज के लिए इसका उपयोग किया जायेगा ? फर्स्ट चार्ज ऑफ दी प्रोपर्टी क्रियेट किया जायेगा वह किस के लिए करेंगे, यह इस के आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में साफ नहीं किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने अपनी इन्ट्रोडक्टरी स्पीच के बाद यह कहा था कि हम क्रेडिट लोन्स के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यह हमें और भी ज्यादा कनफ्यूज़ कर देता है और उन्होंने यह कहा था कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह सब से ज्यादा कन्ट्रोवर्शियल है और यह जो इम्मूवेब्ल प्रोपर्टी के बारे में जो सारा का सारा क्लाज़ २६ (ए) है it is a reproduction Section 24-A of the Bombay Co-operative Societies Act; जो १६४८ में अमेन्डमेन्ट हुआ था उसका एग्ज़ेक्ट रिप्रोडक्शन है। यहां तक कि कोमा और सेमीकोलन सब ऐसे के ऐसे ही हैं। सिर्फ लैण्ड और इन्टरेस्ट इन लैण्ड को हटाकर इम्मूवेब्ल प्रोपर्टी कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि इन्टेन्शनली जानबूझकर इसको लैण्ड और इण्टरेस्ट इन लैण्ड को हटाकर इम्मूवेब्ल प्रोपर्टी किया है ताकि जमीन के इन्टरेस्ट पर ही नहीं, बल्कि अगर किसी के पास मकान हो तो मकान के ऊपर भी यह लागू हो सकता है। इसका मतलब यह होता है कि आज तक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टाइटल को देखती थी और लैण्ड और इन्टरेस्ट इन लैण्ड को देखती थी, वह मकान के ऊपर नहीं मानते थे, मकान की सिक्योरिटी के ऊपर नहीं मानते थे, परन्तु अब मकान के ऊपर मानेंगे। आपने शॉर्ट टर्म लोन के लिए क्लियर नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे कि मार्केटिंग सोसाइटी का सदस्य और क्रेडिट सोसाइटी का सदस्य है, उससे लोन में लें तो मान लीजिए उसके पास जमीन नहीं है तो मकान सिक्योरिटी के अन्दर दे दे तो उसको लोन मिल सकेगा। तो मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं कि मकान वगैरह के ऊपर फर्स्ट चार्ज क्रियेट करने का अधिकार देना नामुनासिब रहेगा। जब १६४८ में बॉम्बे में एक्ट पास हुआ तो

(श्री पी० के० चौधरी)

कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्सपेन्शन के लिए सोचते थे और यहां आज हम मकान के ऊपर फर्स्ट चार्ज क्रियेट करने का सोच रहे हैं, तो उस समय उनके दिमाग में तो सोसाइटीज् के एक्सपेन्शन की बात थी, वे हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव थे और लैण्ड के ऊपर ही फर्स्ट चार्ज क्रियेट करना चाहिए था और यहां पर मकान के ऊपर फर्स्ट चार्ज क्रियेट करना चाहते हैं और सब जगह पर charge on immovable property of members borrowing loans from certain societies याने कोई सदस्य जो किसी सोसाइटी से लोन लेगा तो इम्मूवेबल प्रोपर्टी के ऊपर फर्स्ट चार्ज क्रियेट होगा और वह ऐसा "Not with standing anything contained in this Act or in any other law for the time being in force:

(i) any person who makes an application to a society of which he is a member for a loan shall, if he owns any immovable property, make a declaration in the form prescribed by rules or by the Registrar, and such declaration shall state that the applicant thereby creates a charge on the immovable property owned by him and specified therein for the payment of the amount of the loan which the society may make to the member in pursuance of the application and for all future advances......"

तो इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ लैण्ड का ही सवाल नहीं है बल्कि उसके मकान के ऊपर भी फर्स्ट चार्ज क्रियेट करेंगे तो उसका सोशियल कॉन्सीक्वेन्स क्या होगा। कोई व्यक्ति लोन लेता है और फिर मान लीजिए वह उस लोन को नहीं दे सकता तो उसका मकान आप जब्त करेंगे और उसको बेचेंगे। खास तौर पर से ऐसा देखा गया है कि काश्तकारों के पास गांवों में कोई दस-पन्द्रह मकान तो होते नहीं हैं, उनके पास तो रहने के लिए एक ही मकान होता है। अब उसके लोन लेने के बाद में आप फर्स्ट चार्ज क्रियेट कराते हैं और बाद में किसी कारण से, क्योंकि यह मैकेनिकली सारी बातें चलेंगी, सरकारी काम मेकैनिकली चलते हैं, ऑर्डर इश्यु होगा तो उसकी वसूली सरकार करेगी, हां, अगर कोई प्राइवेट आदमी से लोन लिया हुआ होता है तो वह रहम भी खा लेता है और सोचता है कि चलो दो महीने के बाद ले लेंगे या फिर कोई टर्म्स तय कर लेता है कि ज्यादा पैसा लेंगे, लेकिन जब कानून बन जायेगा और कानून से सारे काम चलेंगे, तो मान लीजिए काश्तकार समय पर पैसा नहीं दे सका तो फिर आप उसके मकान के ऊपर कुर्की लायेंगे और चाहे मकान बेच दे या नीलाम कर दे, लेकिन हरेसमेन्ट तो जरूर होगा याने काश्तकार समय पर किश्त नहीं दे पाया तो सरकारी लोग जाकर उसको तंग करेंगे और कहेंगे कि पैसा लाओ नहीं तो हम तुम्हारा मकान नीलाम करेंगे याने इसका मतलब यह है कि गांव में दंगा होगा।

दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, छोटे छोटे गांवों में उसे ले जाना चाहते हैं और आज सिर्फ गांवों में पन्द्रह फीसदी लोग मुश्किल से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेम्बर हैं और हम चाहते हैं कि एक एक आदमी एक एक फैमिली इसकी मेम्बर बने। अब मैं कहता हूँ कि यह जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी के सिक्योरिटी के रूप में रखने का क्लॉज़ है इसको आप रखेंगे तो

(श्री पी० के० चौधरी)

मुश्किल से लोग सोसाइटी के मेम्बर होकर लोन लेंगे । कम से कम अच्छे आदमी की तो लोन लेने की हिम्मत नहीं होगी । वह यह सोचेगा कि कोई सोसाइटी से हजार, दो हजार रुपया तो लोन मिल नहीं सकता, मिलेगा तो दो-पांच सौ रुपया और क्रेडिट लिमिट ऐसा ही तय करते हैं तो अब इतने रुपया के लिए जिसके पास जमीन नहीं है तो उससे आप कहेंगे कि मकान को आप सिक्योरिटी के रूप में रखो । इसमें यह भी नहीं है कि सारी की सारी चीजों के ऊपर डिक्लेरेशन लेंगे if he owns any immovable poperty चाहे वह मकान हो या प्रोपर्टी हो सारा का सारा आपका चार्ज बन जायेगा ।

तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसा करने से चाहे ज्यादा सिक्योरिटी नजर आती है कि हमारे लोन रियलाइजेशन में ज्यादा आसानी से रिकवरी कर लेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य से आप इस मूवमेंट को आज चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज जो विलेज सोसाइटीज हैं, मनीलैन्डर्स के ग्रिप से निकल आये और एग्रीकलचर प्रोडक्शन आपका जो है वह आगे सिर्फ तब बढ़ सकता है जब कि एग्रीकलचरिस्ट्स को सीज़नल ऑपरेशन्स के लिए, उसकी खेती के लिए, काम करने के लिए पैसे रुपये की जरूरत होती है, बीज खरीदने के लिए और चीजों के लिए यह आप जब तक सप्लाई नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा । और दूसरी बात आप जो आज गांवों की तरक्की करना चाहते हैं, देहात को आबाद बनाना चाहते हैं, वह तब तक नहीं बना पायेंगे जब तक कि चीप क्रेडिट यानी रेट से, सस्ते ब्याज से क्रेडिट यानी कर्जा लें । वह नहीं दे सकते हैं तब तक आपका पर्पज़ सर्व नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन इस नियम से उनको और सुविधा हो जायगी । अभी तक किसान को मेनली क्रेडिट मिलता है जमीन पर । उसको अब वाइड करके जमीन नहीं हो तो भी मकान की सिक्योरिटी पर कर्जा देते हैं । नेक्स्ट इयर यह भी हो सकता है कि बगैर सिक्योरिटी के भी दें, actually you are increasing the opportunity for giving loans to the Kisan.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, जो प्रिन्सीपल एक्ट है और जिसको अमेंड करने वाले हैं उनमें लोन्स देते हैं तो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए देते हैं । क्लॉज़ २६ के पार्ट (ए) के सब-पार्ट (१) की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं । एक तो क्रोप पर रहेगा और दूसरा, "upon any cattle, fodder for cattle, agricultural or industrial implements or machinery, or raw materials for manufacture or stock in trade or workshops, godown or place of business, supplies to or purchase by such member in whole or in part from any loan whether in money or goods given to him by the society." यानी सोसाइटी की तरफ से जब पैसा दिया जाता है, और खास तौर से यह जो २६ ए का नया क्लॉज एड किया जा रहा है, मैं जहां तक समझता हूं उसका यूज सिर्फ मीडियम टर्म के लिए किया जाना चाहिए और वह होगा भी । वहां स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लोन देते हैं, जैसा कि बैल खरीदने के लिए लोन दिया है । जब बैल खरीदने के लिए हम देते हैं तो फिर जो प्रोविजन किया गया है तो बैल पर फर्स्ट चार्ज क्रियेट हो जाता है,

Page No.41

(श्री पी० के० चौधरी)

क्योंकि बैल के लिए रुपया लेकर आधा पैसा सोसाइटी ने अपने पास से दिया है even if a part is paid from the land, then also you make it a first charge on any other article.

चाहे यह बैल हो, ट्रेक्टर हो, चाहे जोत हो, सब पर फर्स्ट चार्ज हो गया है। उसके लिए आप इम्मूवेब्ल प्रोपर्टी पर भी करना चाहते हैं ताकि लोन बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाय। मैं कहता हूं कि सिक्योर्ड जरूर हो जायगा, लेकिन साथ ही साथ लोग आप से कर्जा लेने में डरेंगे।

दूसरी चीज यह है कि यह सारी की सारी इम्मूवेबल प्रोपर्टी इसलिए लेना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो सुपरवाइज़री फंक्शन है, वह बराबर नहीं है, वह स्लेक है। और आज हम कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को हजारों रुपया एक साथ नहीं देते हैं। लौंग टर्म सोसाइटीज़ को हजारों रुपया देते हैं–लैण्ड मोर्टगेज बैंक। लेकिन जहां टक मीडियम टर्म लोन है वह मामूली सा देते हैं और स्पेसिफिक पर्पज के लिए देते हैं, कोई ट्रेक्टर खरीदने के लिए देते हैं, और जब ट्रेक्टर खरीदने के लिए पैसा दिया है तो ट्रेक्टर का इन्स्टालमेंट जमा नहीं होता है, वह पैसा नहीं देता है तो ट्रेक्टर जब्त कर लो। गोडाउन, वर्कशॉप, प्रोड्यूस सब जब्त कर सकते हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि रहने का मकान आप छोड़ दें।

दूसरी बात जो लोन रियलाइज़ेशन में दिक्कत आती है जिसके लिए यह क्लॉज़ लाया जा रहा है, इसलिए होती है, जैसा कि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में कहा है, और रीसेन्टली मेहता कमेटी अपोइन्ट हुई थी कॉम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने कोआॅपरेटिव इन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हुए कहा है कि लोन जो रियलाइज नहीं हो रहा है, सोसाइटी का लोन लेप्स होता है उसके २–३ विशेष कारण हैं। एक कारण तो यह बताया कि जो लोन दिया जाता है तो प्रोडक्शन, पता, ग्राम जो होता है उसके साथ में उसका कोई नहीं रहता है, ऐसे ही लोन देते हैं। लोन देना चाहिए प्रोडक्शन प्रोग्राम पर। स्पेसिफिक प्रोग्राम पर लोन देना चाहिए। उसको सुपरवाइज़ करना चाहिए कि वाकई में इस काम के लिए लोन का उपयोग होता है या नहीं। मान लीजिये कि लोन लेते हैं बैल खरीदने के लिए, और लोन लेकर कोई तीर्थ चला जाता है या शादी विवाह में खर्च कर देता है तो कहां से लोन वसूल करेंगे। लेकिन बैल के लिए लोन देते हैं तो बैल से वह काश्त करता है, खेती करता है। वह बैल खरीद कर काश्त करेगा तो उसका रिटर्न आता है, और वह सालवेन्ट रहता है। इसलिए आपका लोन उससे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आप आज सुपरविज़न नहीं रखते हैं। लोन जिस पर्पज के लिए दिया है आप यह नहीं देखते हैं कि वाकई में उस पर्पज़ के लिए लोन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। यह देखते नहीं हैं। यह आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब स्टेट पार्टनर हो गई है। पहले आज तक यह फिक्र नहीं थी। आज से ५० साल से कोआॅपरेटिव मूवमेंट चल रहा है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं थी। रिकवरी के लिए ऐफिशियसनेस नहीं थी कि कैसे रिकवरी करें, और सोसाइटीज फैल हो जाती थीं। लेकिन आज परवाह इस बात की हो गई है, क्योंकि आप उसमें पार्टनर हैं। आज रिजर्व बैंक स्टेट गवर्नमेंट की गारन्टी पर करोड़ों रुपयों का लोन सेन्ट्रल

(श्री पी० के० चौधरी)

कोऑपरेटिव बैंक को देती है और वह स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए देती है। सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर ओन दी गारन्टी ऑफ गवर्नमेंट, सिक्योरिटी गवर्नमेंट अन्डर राइट करती है तब सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक एक करोड़ या दो करोड़ का लोन देगी। तो इसकी गारन्टी गवर्नमेंट दे रही है और सेन्ट्रल बैंक लोन लेती है और सेन्ट्रल बैंक सोसाइटीज को देती है। अब गवर्नमेंट के सिर पर जिम्मेदारी आ गई है और अगर रुपया डूब जायगा तो रिजर्व बैंक को स्टेट को भुगतान करनी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि रुपया सिक्योर्ड रहे, लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि सुपरवाइज़री डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर्स या सारी जो मशीनरी उन्होंने सेट-अप की है। यह बराबर फंक्शन कर रही है या नहीं, वह उसको कन्ट्रोल नहीं करना चाहते हैं। They want the shortest cut to safeguard their money, but they do not want the shortest cut for success of the plan.

यदि सक्सेस ऑफ दी प्लान करना है तो मैं कह सकता हूं यह कोई मेरी ही बात नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट को काफी स्टडी किया गया है। ५० साल से कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, वह मूवमेंट फैल हो गया था। क्यों फैल हुआ, उस पर काफी जांच-पड़ताल हुई। एक्सपर्ट लोगों ने की है, ऑल इंडिया बेसिस पर जांच पड़ताल हुई। कई कमेटियां स्टेट गवर्नमेंट ने एपाइन्ट की हैं। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के मातहत रिजर्व बैंक की तरफ से एक सर्वे कमेटी अपाइन्ट हुई थी। उन्होंने कहा था कि लोन के रियलाइज़ेशन में डिफिकल्टी है उसको एवोइड करने का एक ही तरीका है और वह तरीका यही है। उन्होंने २—४ पॉइन्ट्स दिये हैं जो कल भी मैंने पढ़कर सुनाये थे। फर्स्ट पॉइन्ट यह है कि प्रोडक्शन प्रोग्राम पर लोन दिया जाया। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए लोन दिया जाय और यह सुपरवाइज़ किया जाय कि जो लोन लिया गया है, जैसे कि बैल खरीदने के लिए लिया गया है तो क्या वह लोन बैल खरीदने में लगाया गया है या उसकी शराब पी ली या लोन हमने दे दिया किसी औजार खरीदने के लिए, ट्रेक्टर खरीदने के लिए? लेकिन ट्रेक्टर नहीं खरीद करके उस पैसे से जीप खरीद कर बाजार में घूमते हैं।

जो आप सुपरवाइज करेंगे तो लोन जो आपने दिया है it would be fruitfulmovestment किसान लोगों की पैदावार बढ़ाने के के लिये पैसा लगाया या नहीं, इसको सुपरवाइज नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी लोन की वसूली हो सकती है। हारवेस्ट का टाइम प्रोपर टाइम है लोन की वसूली करने का हारवेस्ट के टाइम, का सेल होता है उस टाइम आपका इन्सपेक्टर या और कोई ऑफिसर वहां जावे तो लोन की वसूली हो सकती है।

दूसरा सवाल यह है कि जगह जगह मार्केटिंग सोसाइटीज खोलने का ढांचा तैयार करके उसके जरिये क्रोप बाजार में बेचनी चाहिये। जब मार्केटिंग सोसाइटीज़ की मार्फत किसानों की क्रोप उठेगी तो सारे साल की इन्कम मार्केटिंग सोसाइटीज के थ्रू पास करेंगे और उसकी मार्फत आप ड्यूज रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ

Page No.43

(श्री पी० के० चौधरी)

आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं। पिछले साल आपने मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई हैं लेकिन मंत्रीजी मुझे बता दें कि एक भी मार्केटिंग सोसाइटी का काम शुरू हुआ है क्या? आपने रजिस्ट्रेशन ऐसी सोसाइटीज़ का कर दिया होगा लेकिन क्या किसी ने काम शुरू किया है। जो आसान तरीका है उसको अमल में नहीं लाना चाहते हैं लेकिन ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो घर बैठकर पठान के माफिक या यों कहूं कि शाइलोक के माफिक रुपया हम वसूल करेंगे। लेकिन यह नहीं देखेंगे कि रुपयों का सदुपयोग होता है या नहीं। इसीलिये मैं......

श्री अध्यक्ष : आपके और भी अमेन्डमेन्ट्स हैं सबको एक साथ मूव कर दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : इसके ऊपर बोल लूं, then others will be takenup.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ३ पर आपके जितने अमेन्डमेन्ट हैं उन सबको मूव करके एक साथ बोल दें तो जवाब हो जावे।

श्री पी० के० चौधरी : एक एक करके बोल जाऊंगा।

इम्मूवेबल प्रोपर्टी के ऊपर अमेंडमेंट है, उसके बारे में मैंने कहा है कि लैंड में उनका इन्टरेस्ट रहना चाहिये, उसमें तब्दीली नहीं करनी चाहिये।

दूसरा अमेंडमेंट है : "Add the following proviso to part (1) of the (new section 29-A sought to be inserted: —

Provided that such declaration shall be obtained from those persons alone who have been advanced medium term loans repayable after a period of 18 months to 5 years and no such declaration shall be required from persons applying for short term loans."

यह जो है क्लॉज़ ३ का, न्यू सेक्शन २६-ए, उसके फर्स्ट पार्ट में प्रोविजो हम रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि यह प्रॉविजो नहीं लगाया, तो इससे मंत्रीजी भी कन्फ्यूज्ड हैं, शोर्ट टर्म लोन्स के डिक्लेरेशन में इम्मूवेबल प्रोपर्टी का उपयोग नहीं होना चाहिये। साल भर के अन्दर जिसका पेमेन्ट होता है या १५ महीने में जिसका पेमेंट होता है, उसके लिये भी इम्मूवेबल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन नहीं करायेंगे, इस सम्बन्ध में उनकी भी मंशा क्लीयर नहीं है। मैं समझता हूं शोर्ट टर्म लोन के लिये नहीं होना चाहिये। इसलिये जो प्रोविज़ो मैंने प्रपोज किया है उसे एक्सेप्ट कर लिया जायगा तो शोर्ट टर्म लोन का एग्जीक्यूशन करना चाहेंगे तो नहीं कर पायेंगे। इसका यूज नहीं करेंगे इसकी कोई गारन्टी नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के दिमाग में बात आ गई तो उसके लिये कोई मुमानियत नहीं है कि इस क्लॉज़ को यूज़ नहीं करें। इसलिये प्रोविजो रख दिया जाय, to create first charge on somebody's immovable property. वह सिर्फ मीडियम टर्म लोन के लिये होगा, शोर्ट टर्म लोन के लिये नहीं होगा।

मेरा तीसरा अमेंडमेंट है : "Part (ii) of the new section 29-A sought to be inserted be deleted."

पार्ट २ में यह कहा गया है : "any per-

Page No.44

(श्री पी० के० चौधरी)

son who has borrowed a loan from a society of which he is a member before the date of the coming into force of the Rajasthan Co-operative Societies (Amendmant) Act, 1958 and who owp any immovable property, shall, as soon as possible, make a declaration in the form and to the effect referred to in clause (i) and no such person shall, unless and until he has made such declaration, be entitled to exercise any right as a member of the society." यह जो क्लॉज़ है, वह मेरे ख्याल से सुपरफ्लुअस क्लॉज़ है। आज तक आपने उनको जो लोन दिया है वह एडीक्वेट सिक्योरिटी लेकर ही दिया है। अब इस कानून के आने के बाद आयन्दा कोई भी लोन वह लेता है If he takes any loan. ऑटोमेटिकली उसको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। लेकिन आप पिछले लोन के लिये भी जो आज से एक साल या दो साल पहले या तीन साल पहले या पांच साल पहले लिया गया है, लागू करना चाहते हैं ताकि वह भी डिक्लेरेशन भर दे। यदि भरता है तो आप उसको सोसाइटी का मेम्बर नहीं रहने देते हैं या उसको लोन लेने से इन्कार करते हैं। आज तो उसूलन, as a matter of principle किसी कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना कॉम्प्लीकेशन पैदा करता है। इससे अनन्नेसेसरी, डिस्सेटिस्फेकशन होता है और डिस्कन्टेन्टमेंट होता है। आज से चार साल पहले जिसने लोन लिया है उसके मकानात हैं या कुछ भी उसके पास है उसका आप डिक्लेरेशन भराना चाहते हैं। वे लोग इसको एक किस्म का मोर्टगेज समझेंगे और अनन्नेसेसरी गांवों में इससे शंका पैदा होगी व चर्चा होगी और आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज तक जितने लोन्स दिये हैं you have advanced them under adequate security क्योंकि आज तक कोऑपरेटिव की जो पॉलिसी थी उसको ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट मानते थे लेकिन आज हम कोऑपरेटिव पॉलिसी को ज्यादा लिबरीलाइज़ कर रहे हैं, उसको ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट नहीं कर रहे हैं, we are making it more liberal, more progressive and more expanding. इसको हम एक्सपेन्ड करना चाहते हैं, इसको संकुचित नहीं कर रहे हैं। इसलिये पहले जो पॉलिसी रही है और जिसके लिए सब ने माना है कि आज तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का अप्रोच ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट रहा, उसको आगे बढ़ाना है तो उसको लिबरलाइज़ करना चाहिये, इसलिये कानून लाते हैं और जिनको हम क्रेडिटवर्दी पहले मानते थे, उनको तो पहले मिलता ही था, लेकिन जिनको क्रेडिटवर्दी नहीं मानते हैं, उनको भी लोन मिल सके, उसके लिये प्रोविज़न करने जा रहे हैं। इस हालत में स्ट्रिन्जेन्ट रेगुलेशन के अन्डर में एडीक्वेट सिक्योरिटी मानकर जिनको लोन दिया है उनसे डिक्लेरेशन मांगना मैं ठीक नहीं मानता हूँ, इसलिये इसको डिलीट करना चाहिये। आयन्दा जो लोग लोन लेंगे, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पिछला लोन जिनको दिया गया है, उनसे डिक्लेरेशन लेना ठीक नहीं समझता।

१ म० प०

उस क्लॉज़ में मेरा यह भी अमेंडमेंट है, "The words 'or of a landlord in respect of rent or any mony recoverable as rent' appearing in lines 5 and 6 of part (iii) of the new section 29A sought to be inserted, be deleted.

पार्ट ३ में यह है : "a declaration made under clause (i) or clause (ii) may

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

be varied at any time by a member with the consent of the society in favour of which such charge is created and shall, subject to any prior claim of the State Government..."

इसमें प्रायर क्लेम सोसाइटीज़ के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है "in respect of land revenue or any money recoverable as land revenue or of a landlord in respect of rent or any money recoverable as rent, have the same effect as if the property covered by the declaration were mortgaged to the society for the repayment of the loan and advance therein specified."

तो इसमें मेरा जो संशोधन है वह सिर्फ लैंड लॉर्ड को प्रायर क्लेम दिया जाता है उसके लिए है और प्रिन्सिपल एक्ट में जो टेक्निकल ऑब्जेकशन दिया है और उसके लिये जो आर्ग्युमेंट्स हैं वे ही इसी पर लागू होते हैं। कोई वजह नहीं है कि लैंड लॉर्ड को सोसाइटी पर प्रायर क्लेम न दें जब कि the state is a partner. २६–ए में जो सेक्शन ४ है, उसमें एक नया प्रोविज़ो एड करना है। वह सेक्शन ४ क्या है ? वह यह है :

"no member shall alienate the whole or any part of the immovable property specified in the declaration made under clause (i) or clause (ii) until the whole amount borrowed by the member together with interest therein is paid in full and any such alienation shall be void,"

अब इस क्लॉज़ में कहा जाता है कि किसी की इम्मूवेबल प्रोपर्टी हो, जमीन हो, जो फर्स्ट चार्ज प्रोपर्टी हो गई हो, इसको कोई एलीनेट नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, ट्रान्सफर नहीं कर सकता, जब तक कि पूरा लोन और इन्टरेस्ट पे नहीं कर देता। उसमें मैं यह प्रोविज़ो रखना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि उसने सारे का सारा लोन आपको दे दिया हो और आपका थोड़ा बहुत रुपया रह गया है, एक आध किश्त रह गई है, १००)-५०) रुपए रह गए हों और जिस प्रोपर्टी पर फर्स्ट चार्ज किया हो, वह एक हजार, दो हजार तीन हजार की हो, अब उसे जरूरत है कि उसमें से कुछ प्रोपर्टी के हिस्से को बेच दे या ट्रान्सफर कर दे, उसके लिए यह प्रोविज़ो रखा है, उसमें यह है कि ऐसी हालत में सोसाइटी को अधिकार है कि रिड्यूस्ड अमाउन्ट ऑफ लाइबिलिटी, जितनी प्रोपर्टी को ट्रान्सफर करने का अधिकार दे सकती है, यह सोसाइटी को अधिकार देना चाहते हैं। मान लीजिए कि थोड़ी ब्याज या किश्त रह गई हो, १० रुपए बाकी रह गए हों, और उसने सारे का सारा मकान बेच दिया, तो पर्सनल सिक्योरिटी भी काश्तकार की होती है, मकान की सिक्योरिटी पर भी हम लोन नहीं देते इसलिए पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर भी हम उसको प्रोपर्टी ट्रान्सफर करने का राइट दे सकते हैं बशर्ते कि सोसाइटी इसको ठीक समझे, यह प्रोविज़ो एक अनेबलिंग क्लॉज़ है, सोसाइटी को एक अनेबलिंग क्लॉज़ देते हैं। अगर सोसाइटी लोन का मेजर पोर्शन रिकवर हो गया हो और १०, ५ रुपया रेंट का बाकी रह गया हो तो इस क्लॉज में दिया गया है कि अगर १० रु० बाकी रह गए हों, तो भी हजार रुपए की प्रोपर्टी बेच नहीं सकता, उसे ट्रान्सफर नहीं कर सकता। इसलिए यह जो अमेंडमेंट मैंने रखा है "to add part (iv) of the new section 29 : A "provided that such alienation can be done by members with the

(श्री पी० के० चौधरी)

previous permission of the society."

और मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर सोसाइटी देखेगी कि प्रोपर्टी का अलाइनमेंट राइट दे देती है तो रुपया डूब जायगा। रुपया उनका खतरे में होगा, वह रिकवर नहीं होगा तो सोसाइटी परमिशन नहीं दे। आखिर यह कानून बना रहे हैं, यह सोसाइटी के इन्टरेस्ट से बना रहे हैं, सोसाइटी रुपया वसूल कर सके इसलिए बना रहे हैं। इसमें सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर सोसाइटी ठीक समझे तो किसी प्रोपर्टी को ट्रान्सफर करने का, अलाइनमेंट करने का राइट दे दे। यह एक बहुत ही अच्छा प्रोविजो है, इसको मंजूर करना चाहिए, मंत्री महोदय को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ का जो एक्सप्लेनेशन है उसके (ए) पार्ट में सोसाइटी की डेफिनिशन दी है :

"For the purpose of this section, a society shall mean:--

(a) any resource society the majority of the members of which are agriculturists......" इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार से है कि जो 'दी मेजोरिटी ऑफ' शब्द है इनको हटा दिया जाय। आज भी जितनी सोसाइटीज हैं और जहां तक इस संशोधन विधेयक का पर्पज है, वह यह है, जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है :

"......short term loans for seasonal agricultural operations......"

काश्तकार को राहत देने के लिए, सहायता देने के लिए हमने इस ऋण की व्यवस्था की है। लेकिन जहां तक मुझे सोसाइटीज का फंक्शन देखने का मौका मिला है जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके बारे में जितनी भी शिकायतें इस सदन में और बाहर सोसाइटीज़ के सम्बन्ध में सुनने को मिलती हैं, उनका कारण यह है कि जिन लोगों के लाभ के लिए सोसाइटीज बनाई जाती हैं, उनके अतिरिक्त बीच के लोग सोसाइटीज में आ जाते हैं। जिन लोगों का कुछ प्रभाव बाहर के लोगों में होता है, कुछ इधर उधर राज-काज के दफ्तरों में घूमते फिरते हैं, ऑफिसर्स से सम्बन्ध रखते हैं, वे आगे आकर सोसाइटीज़ का निर्माण करते हैं और निर्माण करके सरकार से ऋण लेते हैं और उस ऋण का बड़ा भाग अपने उपयोग में लाते हैं। वास्तव में जिन लोगों के लिए ऋण की व्यवस्था थी, जिन लोगों को ऋण देकर हम योजना का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, वह उत्पादन इसलिए नहीं बढ़ता है और जो लाभ हम इस ऋण से पहुंचाना चाहते हैं, वह इसलिए नहीं पहुंचता है कि ऋण का अधिक भाग बीच के लोग ले जाते हैं। इस प्रकार की सोसाइटी हमारे जिले में भी हैं जिनके अन्दर इस प्रकार के लोग हैं जो कभी खेती नहीं करते हैं, खेती पर उनकी आजीविका नहीं है, वे ऋण दिलाने की व्यवस्था करते हैं और सोसाइटी के मेम्बर होते हैं और स्वयं उसमें से बहुत बड़ा भाग लेकर अपने दूसरे उद्योग धन्धों में उसका उपयोग करते हैं। तो तब तक ऋण का उपयोग सही तरीके से नहीं होता है तो योजनाओं में लाभ नहीं होगा

Page No.47

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

और ऋण का पूरा उपयोग तभी हो सकता है जब इन सोसाइटीज में जो ऋण लेने वाले हैं, उनका सरकार से सीधा सम्बन्ध हो। राजस्थान के अन्दर स्थान स्थान पर ब्लॉक्स खोले गये हैं और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी विभाग का एक क्लर्क और एक ऑफिसर रखते हैं। वे स्वयं जाकर प्रयत्न करते हैं और सोसाइटीज का निर्माण करवाते हैं। जब वे स्वयं सोसाइटीज का निर्माण करवाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उन लोगों को भी लें जिनका एग्रीकल्चर से सम्बन्ध नहीं है। जब स्वयं राज्य अधिकारी वहां जाता है और सोसाइटीज का निर्माण करवाता है तो इस प्रकार का प्राविजन क्यों रखें कि और भी आदमी आ सकते हैं जिनका एग्रीकल्चर से सम्बन्ध नहीं हो। हमने सबसे पहले जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऋण की योजना चालू की है, उनको लाभ हो और उस ऋण का उपयोग हो, यह तभी हो सकता है जब कि मेजोरिटी एग्रीकल्चरिस्ट्स की हो, उसके मेम्बर केवल एग्रीकल्चरिस्ट्स हों। इस प्रकार का प्रोविजन करके चलें तो ऋण का लाभ होगा। वरना जितनी शिकायतें आती हैं, कि गबन हो गया है, घोटाला हो गया है, हिसाब नहीं मिलता है, यह सब इसलिए होता है कि जिन लोगों को ऋण मिलना चाहिए, उनको ऋण मिलता नहीं है और जो उद्योग धन्धे चलाने वाले होते हैं, वे ऋण ले जाते हैं। इसलिए जो काम वास्तव में करना चाहते हैं वह नहीं होता है। अतः मेरा संशोधन है कि 'मेजोरिटी' शब्द उड़ा दिया जाय जिससे कि एग्रीकल्चरिस्ट को लाभ हो। इसका जो पार्ट (बी) है, उसमें लिखा है :

"(b) any society or class of societies specified in this behalf by the State Government by a general or special order."

इसके सम्बन्ध में भी मेरा विरोध है और विरोध मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि सरकार को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए कि सरकार स्वयं सोसाइटीज का निर्धारण कर दे कि इन सोसाइटीज को इस मद में से ऋण देंगे। अगर इस प्रकार का निर्धारण किया तो इसका मतलब यह होगा...

१.६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

कि कोई भी सरकारी अधिकारी, जो कि सोसाइटी का मेम्बर है और जिसका सोसाइटी से सम्बन्ध होता है, सोसाइटी को डिक्लेअर करवा लेगा, ऋण लेने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। क्योंकि पार्ट (बी) में एग्रीकल्चरिस्ट का नाम नहीं आता है, पार्ट ए) में एग्रीकल्चरिस्ट आता है, (बी) में नहीं आता है।

तो इससे मुझे पूरा विरोध है कि सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहिये, सरकार के हाथ में इस प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या फर्माया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No amendment.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अमेंडमेंट नहीं है, पर विरोध तो कर सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I am there to decide. You please proceed on.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मन्त्री महोदय ने डाइरेक्ट मुझ से कहा, इसलिये उनको डाइरेक्ट उत्तर दिया।

तो इसको तो हटा देना चाहिये, पहले में तो यह है कि मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स एग्रीकल्चरिस्ट्स हों पर (बी) में तो कोई भी सोसाइटी जिसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स नहीं है, वह वहां के अधिकारियों से सांठ गांठ कर लें तो वे अधिकारी सरकार को लिख देंगे कि इस सोसाइटी को ऋण दे देना चाहिये, तो सरकार उसको ऋण दे देगी। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह रूरल क्रेडिट की स्कीम रखी है, वह पूरी नहीं होगी, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। अत: एक्सप्लेनेशन में (बी) धारा है, उसको तो मूलत: ही हटा देना चाहिये। बिना संशोधन रखे हुए ही मैं इसका विरोध करता हूं।

(श्री दयाकृष्ण विजय और श्री नारायणसिंह के बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, इस पर मेरा एक अमेंडमेंट है, मेरे अमेंडमेंट के पहले श्री पी. के. चौधरी ने एक प्रस्ताव रखा है उस संशोधन की भावना के अनुसार मेरा संशोधन है। यद्यपि मैं इस संशोधन को पेश नहीं करना चहता, इसके सपोर्ट में ही मैं बोलना चाहता हूँ।

हम जो सोसाइटीज बनाते हैं तो हमारे सामने उद्देश्य रहता है कि अधिकतम काश्तकारों को सहायता दें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो जायं। जितनी सोसाइटीज बनती हैं उनमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो काश्तकार नहीं हैं, बल्कि कितनी ही तो सोसाइटीज़ ऐसी बनती हैं कि जो बिल्कुल बोगस सोसाइटीज़ होती हैं, वन मेम्बर सोसाइटीज़ होती हैं, बाकी के अंगूठे लगाये जाते हैं। कितने ही उदाहरण मैं मन्त्री महोदय के सामने रख सकता हूं कि इस प्रकार की सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जिनमें ऐसे लोग हैं, जो न काश्तकार हैं और न काश्तकारों से किसी प्रकार का सम्बन्ध रहा है और कइयों में ऐसे साइलेंट मेम्बर्स हैं जिनको पता तक नहीं है कि कितना ऋण लिया गया है, किस काम के लिये खर्च किया गया है, किस काम के लिये लिया गया था, किस प्रकार उस ऋण का भुगतान किया जायगा ? वे लोग तो पहले ही कर्जदार थे, उनकी कर्जदारी को मिटाने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है, पर वे तो इस तरह की व्यवस्था से वैसे के वैसे कर्जदार बने रहेंगे।

दूसरे मूवेबल प्रोपर्टी की परिभाषा है, उससे यह ध्वनित नहीं होता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें हैं, जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में बताया है "land or interest in land."

सामयिक कृषि कार्यवाहियों के लिये अल्पकालीन ऋण, ऐसे मध्यम श्रेणी के तथा छोटे छोटे कृषकों को, जिनका भूमि पर कब्जा है और जो उसकी पैदावार के हकदार हैं, यद्यपि उनका ऐसी भूमि में कोई स्वत्व नहीं हो, अनुमानित पैदावार की प्रतिभूति पर सहकारी समितियों द्वारा दिये जा सकेंगे।"

तो इस प्रकार का क्लॉज २६ (ए) है, जिसमें मूल प्रोपर्टी है, उससे ध्वनित नहीं होता है कि उनका चार्ज है, प्रभार है, वह हार्वेस्ट पर रहेगा। यह इससे ध्वनित नहीं होता। कल भी यह कहा गया था। पर माननीय मंत्री महोदय ने इसको कल क्लीयर नहीं किया। या तो ऐसा लगता है कि जो

Page No.49

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट है उसमें जिन बातों को दिखाया गया है उनको मन्त्री महोदय व्यवहार में लाना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। पर हमारे राजस्थान में हम देखते हैं कि रिपोर्ट में सिफारिश और और बातों की की जाती है और दूसरे प्रकार के तरीके सरकार प्रयोग में लाना चाहती है। अगर किसान की सारी की सारी जमीन मार्टगेज हो जाती है, पूरी की पूरी अनुमानित फसल मार्टगेज हो जाती है, तो आने वाली शेष फसल से न तो वह अपने परिवार का पालन कर सकता है और न अपना पालन कर सकता है। तो जिस काश्तकार के पास इस भूमि से फसल आयेगी और उससे अपने परिवार का पालन करेगा, वह सारी की सारी पैदावार अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकार में है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उस काश्तकार को, पैदावार आने के बीच का जो समय है, उसमें उस पैदावार में से कोई चीज लाने और आने की इजाजत नहीं देगी। जैसा कि हमारे देखने में आता है कि कोई काश्तकार दूसरों की जमीन पर काश्त करता है, तो फसल पकने से लेकर घर आ जाने के बीच के समय में वह काश्तकार उस पैदावार की चीजें लाता रहता है और खाता रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर मक्का बोई है तो जब से मक्का थोड़ी थोड़ी पकने लगती है उस समय से जब तक वह घर नहीं आ जाती तब तक मक्का लाता रहता है और खाता रहता है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चार्ज में यह फसल रहेगी तो वह ऐसा नहीं करने देगी। तो ऐसी सूरत में जो काश्तकार पहले से ही निर्धन है, हम उसको मदद देना चाहते हैं, पर फसल घर आने के बीच का जो तीन-चार महीने का समय है, वह कैसे गुजारेगा? इस बीच के समय में जो वह फसल में से काट कर खाता रहता है, वह नहीं खा सकेगा। यह २६ में क्लीयर नहीं है। मिस्टर चौधरी ने संशोधन रखा था कि लैंड और इन्टरेस्ट इन दी लैंड रख दिया जाय। यह रख देते हैं तो इससे सारी चीज क्लीयर हो जाती है। मिस्टर चौधरी का वह अमेंडमेंट मानने लायक है। उन्होंने बम्बई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कानून की धारा १४ ए. ए. का उदाहरण दिया और कहा कि इस प्रकार का क्लॉज़ रखा है, २६ ए पर १४ ए. ए. को लगा दिया है। यह बात भी इसमें नहीं आई है। अत: श्री पी. के. चौधरी ने जो संशोधन रखा है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री जगदीशप्रसादजी ने दूसरा संशोधन रखा है, उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने संशोधन रखा है कि मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स काश्तकार रहेंगे; इसको हटा कर सारे के सारे मेम्बर्स काश्तकार रहेंगे, यह कर दिया जाय। वरना होता क्या है कि सोसाइटीज़ में काश्तकार तो होते हैं कम और ऐसे लोग जिनका दफ्तरों में और ऑफिसर्स तक अप्रोच होता है, वे उन लोगों से मिल कर कुछ दूसरे लोगों के या अपने परिवार के लोगों के अंगूठे लगा लगा कर भारी भारी लोन्स गवर्नमेंट से ले लेते हैं और इस प्रकार लोन लिये हुए रुपये का निजी कार्यों में उपयोग करते हैं। इसलिये जो यहां रखा गया है, मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स काश्तकार होंगे, उसके स्थान पर सारे के सारे मेम्बर्स काश्तकार रखे जायें ताकि निरर्थक रूप से उस ऋण में लिये हुए रुपये को अपने कार्य में न लगा सकें।

एक्स्प्लेनेशन में दूसरी पंक्ति रखी है:

"(b) any society or class of societies specified in this behalf by the State

(श्री दयाकृष्ण विजय)

Government by a general or special order.''

यह स्पेसिफिकेशन का अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाय कि अमुक सोसाइटी को सरकार ऋण देगी। इस प्रकार की बात सरकार के हाथ में देना न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार का क्लॉज यहां रखना अन्यायपूर्ण होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा (बी) को हटा दिया जाय और जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि मेजोरिटी ऑफ दी मेम्बर्स काश्तकार हों, उसे हटा दिया जाय और उसके स्थान पर सारे के सारे काश्तकार मेम्बर्स रखे जायं और मिस्टर पी० के० चौधरी ने इम्मूवेबल प्रोपर्टी के सम्बन्ध में संशोधन रखा है, उसको स्वीकार करना चाहिये।

श्री नारायणसिंह (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक मौजूद है और उसमें फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अमेन्डमेंट रखा है। उनका सुझाव था कि इस अमेन्डमेंट के लिये या दूसरे अमेन्डमेंट के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में दिया जावे वह बात तो मुझे उचित नहीं लगी और उसके लिये जो निर्णय लिया गया, वह ठीक ही लिया गया। यह ऐसा अमेन्डमेंट नहीं, जिसके लिये इस प्रकार का तरीका अख्तियार किया जाता। यह बिल अमेन्डेड रूप में आया है, इसके अनुसार रबी अभियान होगा। रूरल क्रेडिट सोसाइटीज के सुझाव आये, उन सब बातों को देखते हुए कुछ सामयिक आवश्यकता का निर्माण हुआ, जिसके कारण सरकार ने यह उचित समझा कि यह बिल लाया जावे, जिससे कि काश्तकारों को जल्दी से जल्दी उन सोसाइटीज़ का लाभ मिल सके। इसी मकसद से यह बिल सदन में लाया गया है। यहां यह भी कहा गया कि ऑल इण्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है. उनको पूरी तरह से इस बिल में कार्यान्वित नहीं किया गया है। तो उसके लिये मैं यह कहूंगा कि इस विषय में माननीय मन्त्री महोदय से स्वयं से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि यह संशोधन लाना बहुत जरूरी था और यह आमूलचूल परिवर्तन करना बहुत जल्दी की बात थी, इसलिए इसके लिये उन्होंने आश्वासन दिया है कि मार्च के महीने में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं। उन्होंने यह बताया कि अगर हम उसके लिये बैठ जाते हैं तो यह आवश्यक चीज भी रह जाती है। अभी जो अमेन्डमेंट माननीय श्री पी० के० चौधरी ने रखा "Substitute the words 'land or interest in land' in place of the words 'immovable property' wherever they occur in the clause 29-A.'' यह जो उन्होंने अमेन्डमेंट रखा, इसके सम्बन्ध में जो भ्रम हमारे सामने उपस्थित हुआ है, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सैद्धान्तिक एतराज था कि अगर हम इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर कोई हस्तक्षेप करते हैं तो ये जो सोसाइटीज बनी हैं वे एक प्रकार से लोकल मनीलैण्डर्स का रूप धारण कर लेती हैं और इस प्रकार यह एक प्रतिक्रियात्मक कदम दिखाई देता है। इसको रोकने के लिये हमने मनीलैण्डर्स बिल में पूरा ध्यान रखा है। इस दृष्टि से यह सैद्धान्तिक बात बनती है। इसके अलावा एक व्यावहारिक बात भी है यद्यपि श्री पी० के० चौधरी ने पूरी तरह से उसे व्यक्त नहीं किया लेकिन वह सदन की बहस में काफी जोर से आई कि जब हम सोशल पेटर्न पर अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, जब हम मूल आधार सोशल पेटर्न रखना चाह

Page No.51

(श्री नारायणसिंह)

हैं तो संपत्ति को आधार मानकर कानून बनाना कहां तक जायज है और इस विचार की धारणा में यह भी बात कही गई कि जो लोन दिया जावेगा व केवल संपत्ति के आधार पर ही नहीं, लैण्ड पर राइट है, उस आधार पर नहीं, बल्कि लेबर का क्या आधार होता है, उस पर भी दिया जावे। इन दो सिद्धान्तों से यह अमेन्डमेंट इम्मूवेबल प्रोपर्टी के खिलाफ आता है। मैं समझता हूँ यह "land or interest in land," इस बात को पूरी तरह से हल नहीं करता। हमें ऐसे वर्ग को लेना चाहिये जिनका इन्ट्रेस्ट इन लैण्ड पूरा हो सके। हम पहले ही बड़ी बुरी उलझन में पड़े हुए हैं। "land or interest in land" के आधार पर बारानी जमीन जोती जाती है। सब टिनेन्ट की जमीन भी है, ऐसी जमीन को लेबरर्स भी कल्टीवेट करते हैं। यदि इन्टरेस्ट इन लैण्ड वाले ही खुदकाश्त हो जावें, तो हम पूरी राहत सब को नहीं दे सकते। इसके अलावा हमें सब लोगों को समुचित रीति से लाभ पहुँचाने की बात को सोचना है कि जो लोग हल लेकर जमीन जोतते हैं उन सबको इसका फायदा होना चाहिये, produce or interest in produce. मिल सके। land or interest in land, हमारे मकसद को पूरी तरह से हल नहीं करता और जो शोर्ट टर्म लोन है वह तभी उपलब्ध हो सकता है, जब हम सभी लोगों का हित ध्यान में रखें। मीडियम टर्म लोन की बात अलग है। अब यह बात रह जाती है सोचने की कि आया हमें इम्मूवेबल प्रोपर्टी को रखना चाहिये या हटाना चाहिये।

इसके लिए ज्यादातर बम्बई सोसाइटीज एक्ट की दुहाई दी जाती है और यदि उसकी नकल करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि बम्बई सोसाइटीज एक्ट भी एक विशेष की तरह की विचारधारा की भूमिका में बना है और यदि हमें सोशियलिस्टिक पेटर्न पर जाना है तो मैं यह कहूँगा कि बम्बई सोसाइटीज एक्ट में भी वह मूल-धारा शायद नहीं रही है। अगर हम काश्तकारों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, जिनका इन्ट्रेस्ट इन लैंड [interest in land] आसानी से सिद्ध नहीं हो सकता, तो हमें इस land and interest in land की बात को हटाना पड़ेगा और प्रोड्यूस पर आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यह संशोधन बिल इसी मकसद से लाया गया है कि काश्तकारों को जल्दी से जल्दी राहत मिले और सोसाइटीज़ से लोगों को विशेष फायदा हो सके।

अब रबी अभियान और दूसरे कारणों की बात कही जाती है। बीज आदि की काश्तकारों को जरूरत बहुत जोरों से महसूस हो रही है और उसके लिए उनको लोन की जरूरत रहती है और उनको मेग्ज़िमम और मिनिमम फायदा देखना पड़ता है। हमें उसको एक प्रकार से विशेष प्रकार की परिस्थितियों में राहत पहुंचाना है और सोसाइटीज़ मदद पहुंचा सकती हैं।

अब डेफिनेशन की बात आती है। मैं समझता हूँ कि कुछ डिफॉल्टर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि हम कहां तक फाइनेन्स किस विषय के लिए करें ताकि सीड की तकाबी देने में और किसानों को परिस्थियों का सामना करने में मदद मिल सके और उनको मेग्ज़िमम क्रेडिट मिल सके। डिफॉल्टर्स के बारे में भी साफ निर्देश है। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो कानून हमारे सामने हैं उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उनको

(श्री नारायणसिंह)

हमको ठीक करना होगा । मैं समझता हूँ कि यह कानून बहुत अच्छा कानून है और इसको जितना जल्दी पास किया जाए अच्छा है ।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : Let me see whether it exists.

एक माननीय सदस्य : We should adjourn now.

श्री उपाध्यक्ष : Only because of this ? We will have it just now.

(कुछ माननीय सदस्यों के सदन में पदार्पण पर)

Is it present now ? It is a question of co-operation, please proceed.

श्री नारायणसिंह (आरी) : सेक्शन २६(ए) की बहस के दौरान में यह भी बात बताई गई कि स्टेचुअरी चार्ज है, कोऑपरेटिव में इसको पहला चार्ज कराना चाहिए । उसमें लैंड लॉर्ड आदि को गौण रखना चाहिए, लेकिन लैंड रेवेन्यु को भी गौण रखा जावे, यह विचारणीय है ।

कुछ बोगस सोसाइटीज के बारे में भी बातें कही गई कि लोग बोगस सोसाइटीज बना लेते हैं । हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना होगा । इसके अलावा जहां काश्तकारों का प्रश्न आता है वहां पर मेजोरिटी और माइनोरिटी की बात से हल नहीं होता । यह मामला तो काश्तकारों की डेफिनिशन से चलेगा ।

किसी ने कहा कि कुछ लोग स्वयं काश्त नहीं करते और दूसरों से काश्त करवाते हैं और सोसाइटीज़ से लोन ले लेते हैं तो ऐसी दशा में उनको लोन जो मिलता है उसका फायदा सही तरीके से काश्तकारों के पास कैसे पहुंचता है, या बोगस सोसाइटीज़ लोग फ्रेम कर लेते हैं, इस बात की दृष्टि से इस बिल पर विचार कर सकते हैं, मुझे इस पर शक है ।

इन बातों पर, जब हम सोसाइटीज़ का कानून पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन कर यहां लायें, उस वक्त सोच सकते हैं । बाकी प्रोड्यूस पर फर्स्ट चार्ज करने की बात है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ । कोऑपरेटिव्ज़ को यदि हमें बढ़ाना है, यदि हम यह मानते हैं कि एग्रो इकॉनोमी की या छोटे व्यवसायों की रीढ़ की हड्डी ही कोऑपरेटिव्ज़ हैं तो वास्तव में हमें परम्परागत पथ से आगे बढ़ कर कुछ ऐसे भी लाभ उनके सामने रखने पड़ेंगे जिनसे कोऑपरेटिव्ज जन-साधारण में पॉपुलर हो और उनकी तरफ जन-साधारण की प्रवृत्ति हो ।

तो इन सब बातों को लेकर मैं यह समझता हूँ कि जो अमेंडमेंट माननीय श्री पी० के० चौधरी ने रखा है कि शब्द land and interest in Land शब्द इम्मूवेबल प्रोपर्टी की जगह रखे जायं । मैं इसे मानता हूँ और मैं इस बात से सहमत हूँ कि "immovable property" शब्द कुछ घातक शब्द मालूम पड़ते हैं, सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, लेकिन "land and interest in land" इन सारी चीजों को पूरी कर देगा, इसमें मुझे शंका है । इसलिए इस ओर ध्यान देना है कि इसकी जगह "produce or interest in produce" शब्द रख सकते हैं या नहीं ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ पर सरकार की पक्ष की तरफ से अमेन्डमेन्ट आया है उस पर दो शब्द मैं भी बोलना चाहता हूँ । मैं सरकार

(श्री मदनसिंह)

को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस कानून के लिए, मैं यह समझता हूँ, सब ही इस सदन के माननीय सदस्य चाहते थे, जैसी कि दो चार महीने पहले रिक्वेस्ट भी की थी और तगड़ी रिक्वेस्ट सरकार से की थी कि ऐसा कानून सरकार लाये। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने फर्माया कि रत्री अभियान के सम्बन्ध में इस कानून के लाने की इतनी जरूरत हो गई थी कि यह कानून पास हो जाना चाहिए था और यदि यहाँ यह कानून पास हो जाता है, तो सही रूप में कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़, जो करीब समाप्त होने को हो गई थीं, आगे चल सकेंगी। कोआॅपरेटिव्ज़ इसलिए समाप्त होने को हो गई थीं कि जो लोन नहीं दिया गया था, वह वापिस रिफन्ड हुआ। हम सब लोगों की शिकायत थी कि ऐसा कोई जरिया होना चाहिये कि जिसके कारण से कर्जा वापिस रिफन्ड हो सके और लोगों को आयन्दा लोन मिल सके। हर एक सदस्य ने सरकार को सुझाव दिया था कि कोआॅपरेटिव्ज़ खत्म हो रही हैं, कोई लोन वसूल करने का जरीया नहीं है। काश्तकारों की भी ताकत नहीं बढ़ेगी, अगर जो काश्तकार जमीन जोतते हैं उसी पर लोन दिया गया तो। काश्तकार आज जमीन पर कर्जा लेने से डरता है, उसको हमेशा भय रहता है कि कहीं उसने कर्जा जमीन पर लिया और वापिस रिफन्ड नहीं कर सका तो उसकी जमीन चली जावेगी। श्री पी. के चौधरी साहब की समझ में यह अमेन्डमेन्ट कैसे बैठा की जमीन पर लोन दिया जाय ? मैं इसका विरोध करता हूँ और गवर्नमेन्ट ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसका समर्थन करता हूँ और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यह कानून जल्दी पास होना चाहिये, जिससे कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ का जो काम बन्द पड़ा है वह पुनः चालू हो।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और गवर्नमेन्ट ने जो "The majority of cultivators शब्द रखे हैं, उनका मैं विरोध करता हूँ। अभी भी गवर्नमेन्ट के पास बहुत सी शिकायतें हैं कि जिन लोगों ने लोन ले लिया, उनके बारे में यह भी पता नहीं है कि वे काश्तकार हैं या नहीं। काश्तकार के नाम से लोन ले लिया और वापिस रिफन्ड नहीं किया, उनका उन गावां में पता तक नहीं है। शेखावाटी में इस प्रकार का हुआ कि काश्तकारों के नाम से दूसरे लोग लोन ले आये हैं और उन्होंने लोन वापिस रिफन्ड नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय भी इस चीज़ को समझ गये होंगे। इसमें मेजोरिटी की क्या बात है, फेयर एन्ड सिम्पल बात यह ही होनी चाहिये कि काश्तकार को लोन दिया जाय। ऐसी चीजों को कानून में रखने से हमारे मन में शंकायें पैदा होती हैं और ऐसी चीजें यदि कानून में रहती हैं तो वह सरकार के लिये भी अच्छी नहीं है। इसलिए पहला अमेन्डमेन्ट जो सरकार की ओर से तीसरे क्लाॅज में रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। सरकार की ओर से "The majority of" शब्द रखे हैं, उनको हटा देना चाहिये, अन्यथा बहुत गड़बड़ी हो रही हैं, वे और होंगी और उनसे कोआॅपरेटिव बन्द ही हो जावेंगी। रही कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की बात, सो मैं समझता हूँ कि यह सब के लिए ही अच्छी चीज़ है और बहस की ज्यादा चीज़ नहीं है। ये शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, सीकर से आने वाले मान-

(श्री मोगजी भाई)

नीय सदस्य के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। सहकारिता के आधार पर और काश्तकार को उसकी पैदावार के आधार पर अधिक से अधिक लोन दिया जाय। गवर्नमेन्ट का जो संशोधन है, यह वहां तक तो ठीक है कि सारे काश्तकारों को सहायता मिल सके और खेती के काम में, अधिक अन्न पैदा करने के लिए औजारों को उपलब्ध करने का काम समय पर हो सके। लेकिन जहां काश्तकारों की मेजोरिटी का सवाल है, वहां गड़बड़ियां हो जाती हैं। सहकारिता का आधार बहुत अच्छा है। सरकार ने यह रखा है कि काश्तकार को राहत मिले, वहां तक तो अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी खामियां हैं, जिनको सरकार दुरुस्त नहीं कर रही है। सहकारी आन्दोलन एक समाजवाद का नारा है कि सहकारिता के आधार पर सामुहिक खेती हो और सहकारिता के आधार पर छोटे उद्योग धन्धों को चलाया जाय। तो जहां सामुहिक खेती हो, जहां सामुहिक खेती हो, जहां काश्तकारों के पास खेती के कोई साधन न हो वहां छोटे काश्तकारों को यदि सरकार की ओर से कर्जा मिल सके, जिसके आधार पर वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें और अधिक उत्पादन कर सकें, तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने इसमें अक्ल भी पूरी नहीं लगाई है, इसमें सरकार ने हमेशा एक टांग फंसा रखी है, जिससे इन छोटे काश्तकारों को बहुत दिक्कतें आती हैं। उनको समय समय पर कर्जा नहीं मिलता और सहकारी समितियों में ऐसे आदमियों को कर्जा मिल जाता है जो काश्तकार नहीं है। वे काश्तकारों के नाम पर कर्जा ले लेते हैं और उसके मेम्बर होकर, उसमें शरीक हो कर, उन पर हावी हो जाते हैं। जिस चीज़ से छोटे काश्तकारों को फायदा होना चाहिये, उनको फायदा न होकर फायदा वे लोग उठा रहे हैं, जो काश्तकार नहीं हैं! मैं बताऊं कि बांसवाड़ा में सहकारी समिति......

श्री उपाध्यक्ष : आप उदाहरण मत दीजिये। सीधा सा अमेन्डमेन्ट है, उसी पर बतावें।

श्री मोगजी भाई : मैं उदाहरण के रूप में कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप उदाहरण नहीं दें, केवल अमेन्डमेन्ट पर ही बोलें।

श्री मोगजी भाई : तो काश्तकार को समय पर लोन नहीं मिलता, उसका कारण यह है कि सरकार ने इस प्रकार के प्रोविज़न रखे हैं. जिनसे एक आड़ लगा रखी है। इससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं और काश्तकार को वह फायदा नहीं मिलता जिसकी कि उसको जरूरत है। उनको समय पर इस प्रकार से रकम नहीं मिलती। जितनी रकम काश्तकार को दी गई है, जिस आधार पर रकम ली, उसके बाद फसल की पैदावार हो गई, तो काश्तकार ने अपने हिस्से को रकम जमा करवा दी। वैसी हालत में क्या होता है कि जो सरकारी आदमी इन सोसाइटीज़ में रहते हैं, गैर काश्तकार जो समितियों में रहते हैं, वे जो कर्जा जमा कराते हैं, उन रुपयों का घोटाला कर जाते हैं, सरकार में उसको जमा कराते नहीं। जहाँ एक काश्तकार इसलिये जमा कराता है कि दूसरी बार उसको लोन मिलने में सहूलियत होगी, लेकिन जब वह लोन का रुपया गायब हो जाता है, तो दूसरा लोन उसको मिलता नहीं। छः महिने तक और बारह महिने तक रकम जमा कराने पर भी लोन नहीं मिल पाता नहीं। मिलने का कारण यह है कि दूसरे जो लोग मेजोरिटी के

(श्री मोगजी भाई)

आधार पर उसमें रहते हैं, वे इस प्रकार का घोटाला करके छोटे काश्तकार को समय पर धोखा देते हैं। इसलिये काश्तकार के नाम पर एग्रीकल्चर के अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, नकली आदमी रहेंगे और वे काश्तकारों को समय पर धोखा देगें। इसलिये 'मेजोरिटी' शब्द हटा कर, काश्तकार लोग हैं, उनको रखना चाहिये, ताकि काश्तकारों को लोन समय पर मिल सके और जमा कराने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की रहे। मैं तो यह समझता हूं कि सहकारी आन्दोलन का नाम लेकर. काश्तकारों के नाम पर दूसरे लोगों को फायदा देना चाहते हैं। काश्तकारी का जो धंधा करने वाले हैं, उन लोगों को इसमें न रख कर, सहकारिता में अविश्वास पैदा करके, सहकारिता को भंग करने की साजिश है। मैं यह समझता हूं कि इनका पूर्ण अधिकार रहे यदि सहकारी समितियों को हमें पहले प्राथमिकता देनी है, तो हमें मेजोरिटी शब्द को निकाल कर, जो वास्तव में काश्तकार हैं उन्हीं को इसमें रखना चाहिये। इस प्रकार की खामियां रहने से काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिये यह जो 'मेजोरिटी' शब्द है उसको हटा दिया जाय......

श्री उपाध्यक्ष : आप उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री मोगजी भाई : मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि मेजोरिटी में वे ही लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। जो गरीब अनपढ़ काश्तकार हैं, उनको तो उसमें स्थान मिलेगा नहीं और सरकारी आदमी जो रहेंगे वे काश्तकारों के पल्ले कुछ पड़ने नहीं देंगे, जिस प्रकार वे चाहेंगे, मेजोरिटी के हिसाब से प्रस्ताव पास कर देंगे......

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार शब्दों को तो आपने चार-पांच दफा रख दिया और भी कोई तर्क रखिये।

श्री मोगजी भाई : पोइन्ट जो है, वह साफ बता दूँ, हमारे यहां पर इस प्रकार की सोसाइटीज बनी है......

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपने फर्मा दिया।

श्री मोगजी भाई : इस प्रकार की जो सोसाइटीज़ बनी हैं, उनमें से १५ सोसाइटीज़ को कर्जा दिया गया। वहां पर भूमिकार नाम की सोसाइटी है...

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के उदाहरण आपको नहीं देने दूंगा।

श्री मोगजी भाई : जिन सोसाइटीज़ ने कर्जा अदा कर दिया, उनको तो मिला नहीं और वह दूसरी सोसाइटीज़ के नाम से जमा हो गया। छः और आठ महिने तक उसको कर्जा मिला नहीं, दूसरे आदमियों को मिला। इसको मैं उदाहरण के साथ बता दूं, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको उदाहरण नहीं देने दूँगा।

श्री मोगजी भाई : तो मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग, सुरक्षित) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक की धारा २८(ए) के एक्सप्लेनेशन [explanation] के पार्ट ए में जो संशोधन रखा है कि इसमें से

(श्री रामचन्द्र)

शब्द 'मेजोरिटी' [majority] निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में जहां मेजोरिटी शब्द रखा गया है, वह सरकार की ओर से विशेष बात का ध्यान रख करके ही रखा गया है। पहली बात यहां पर देखने की है कि गांव में रहने वाले सब किसान नहीं होते। किसानों के अलावा गांव में कुछ लोग दूसरे भी रहते हैं, जिनका धन्धा काश्तकारी का नहीं होता, वे दुकानदार होते हैं, कपड़े के व्यापारी होते हैं, महाजन होते हैं, खाती, लोहार, हरिजन, चर्मकार भी होते हैं, जिनका धन्धा केवल खेती करने का ही नहीं है। अगर शब्द 'मेजोरिटी' निकाल दिया जायगा, तो इसका अर्थ यह होगा कि जो सोसाइटी बनायी जायगी, वह केवल उन लोगों की बनायी जायगी जो केवल काश्तकारी का ही धन्धा करते हैं। ऐसी सोसाइटी के लाभ से दूसरे लोग वंचित रह जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो नियम बनाने जा रही है, उसमें इन सारी बातों का समावेश किया गया है जिससे भविष्य में किसान यह समझ जायं कि जहां शब्द एग्रीकल्चरिस्ट आयगा, वहां वह किस मायने में रहेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही the majority of the members of which are agriculturists शब्द रखे गये हैं, क्योंकि अगर इसमें से 'मेजोरिटी' शब्द हटा दिया गया तो फिर केवल किसानों को ही इसका लाभ पहुंचेगा, यह बात नहीं। सरकार की मन्शा यह है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह एग्रीकल्चरिस्ट हो, या नोन-एग्रीकल्चरिस्ट हो, समान रूप से सहकारी समिति का फायदा उठा सके, अगर हम केवल एग्रीकल्चरिस्ट के लिये ही इस क्लॉज़ में प्रावधान रख देते हैं तो दूसरे लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं और जिनकी संख्या इतनी कम है कि वे एक स्वतन्त्र सहकारी समिति नहीं बना सकते तो इस हालत में ऐसे लोगों का विकास रुक जायगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हुआ यह राय प्रकट करता हूँ कि इसमें 'मेजोरिटी' शब्द अवश्य रहना चाहिये।

दूसरा संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि "immovable property" शब्द की जगह "land or interest in land" शब्द रखे जायं। यहां पर यह प्रश्न है कि जो सहकारी समिति का मेम्बर है, उसके लिये यह आवश्यक है कि एक प्रेस्क्राइब्ड (prescribed) फॉर्म में डिक्लेरेशन (declaration) दे कि मेरे पास अचल सम्पत्ति (immovable property) है। क्योंकि उसको जो कर्जा मिला है, वह एक ऐसी धरोहर के आधार पर मिला है, जिसको सरकार यह समझती है कि हमारा पैसा नहीं मर जावेगा। 'हारवेस्ट' शब्द जोड़ दिया जावेगा तो हारवेस्ट स्थायी चीज नहीं है, और कर्जा हारवेस्ट की अपेक्षा अधिक समय तक स्थायी रहने वाला है। यदि केवल हारवेस्ट के आधार पर, इम्मूवेबल प्रोपर्टी के अभाव में कर्जा दे दिया जावेगा और हारवेस्ट अगर फेल हो गई तो नतीजा क्या होगा? उस किसान से वसूली मुश्किल हो जावेगी। वह कहेगा कि मेरे पास इम्मूवेबल प्रोपर्टी नहीं है, हारवेस्ट है। पर उस हारवेस्ट में कोई बीमारी लग गई, नुकसान हो गया, नष्ट हो गई, तो ऐसी हालत में मैं कैसे कर्जा चुका सकता हूं। परिणाम यह होगा कि सोसायटी का सारा पैसा नष्ट होने की आशंका पैदा हो जावेगी। इसलिये इसमें हारवेस्ट के आधार पर डिक्लेरेशन भरकर कर्जा प्राप्त करने का प्रावधान नहीं रक्खा जावे।

Page No.57

(श्री रामचन्द्र)

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्य के संशोधन का भी विरोध करता हूं ।

श्री रामकरणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह या श्री नरेन्द्रसिंह ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आसान और मामूली विषय था । मैंने कल निवेदन किया था कि जो प्रश्न उठता है, वह छोटे काश्तकारों के लिये उठता है, जिनको जमीन को बोने का हक हासिल नहीं था उनके लिये यह व्यवस्था की जाने को है । मैंने कल मान लिया था कि ऐसे सवाल पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है । आज जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य महोदय ने प्रश्न उठाया कि उसे यह सहूलियत दी जावे, इस पर मेरा उनके साथ में मतैक्य है । और मेरा मन्त्री महोदय से मतभेद है । जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी का प्रश्न आया यह इस तरह की चीज है कि अगर इसे बिल में इन्कारपोरेट कर लिया जावेगा, तो गरीब काश्तकारों की बड़ी मुश्किल होगी । जहां तक मेरा अन्दाज है, जिनके वास्ते यह प्रश्न उठाया जाता है, उनके पास क्या इम्मूवेबल प्रोपर्टी होगी ? मेरे ख्याल में तो एक झोंपड़ी या एक टाट के घर के अलावा दूसरी इम्मूवेबल प्रोपर्टी उनके पास नहीं होगी । उसकी फसल को नुकसान हो जावेगा, तो कहां से और किससे वसूल होगी वह रकम ? उसका दुरुपयोग होगा तो क्या हर्जा है इसमें भी ? आखिर हमारे यहां एक कहावत भी है कि 'घी ढले तो मूंगों में ।' अगर एक साल फसल खराब हो गई, नहीं दे सका तो बारह महीने दो वर्ष बाद में दे दे तो हर्ज क्या है ? हम देखते हैं और गवर्नमेन्ट भी इस चीज की रेमिडी नहीं कर सकी कि बहुत से अन्य सरकारी कामों में, पोलिटिकल रीजन्स से या अन्य रीजन्स से, कोऑपरेटिव विभाग का या अन्य सरकारी विभागों का काफी रुपया भी तो सही रूप में काम में नहीं आ रहा है, दुरुपयोग वहां भी कई जगह हो रहा है । तो ऐसी सूरत में इन गरीब काश्तकारों के लिये ही, जिनको आप केवल सौ रुपया, पचास रुपया देना चाहते हैं, हार्ड और फास्ट रूल आप बनावें, यह मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा । अगर इसका ज्यादा कठोरता से पालन किया जावेगा, तो जिनको आप मदद देना चाहते हैं और वास्तव में जिनकी मदद की जानी चाहिये, वे इस मदद से वंचित रह जावेंगे । इसलिये मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों का अनुमोदन करता हूं ।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : हां, श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फुलेरा से आने वाले सदस्य ने मूव किया है अमेन्डमेन्ट और उस पर जो अभी मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी कहावत कही कि 'घी ढुले भी तो मूंगों में; तो ढुलने दो । उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से ऐसा घी हमें ढोलना है या नहीं ? यह हमें सोचना है । सवाल तो यह है कि मूंग वास्तव में हैं भी या नहीं । अगर वास्तव में मूंग हैं तो घी ढुल भी जावे तो हर्ज नहीं, यह मैं मान लेता हूं । पर अगर मूंग नहीं

Page No.58

(श्री मूलचन्द डागा)

हां और घी मिट्टी में ही जावे तो मैं नहीं चाहता कि मिट्टी में ढुले।

आज तक हम जो लोन देते आये हैं, वह बापीदार को, खातेदार को, जिनको हक मिल चुके हैं, उनको देते आये हैं। ठीक बात थी। उनके पास जमीन थी इसलिये दिया गया और दिया जावे, तो इसमें हर्ज नहीं। लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि अभी तक कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भी काश्तकार हैं, जो जमीन के मालिक नहीं हुए हैं, जो बापीदार नहीं हैं, जो खुदकाश्त होल्डर नहीं हैं। उनको भी लोन दिये जाने की बात कही जाती है। एक सुविधा इस प्रकार की की गई कि जो खातेदार न होकर, गैर खातेदार टिनेन्ट हैं, और जिनको जमीन अलॉट की गई है सैक्शन १०० और १०१ के अनुसार थोड़े टाइम के लिये, उनको सरकार कुछ लोन देना चाहती है। अब आप यह चाहते हैं कि जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उनमें न जमानत किसी की लेनी चाहिये, न ठिकाना पूछना चाहिये और न नाम ही जानना चाहिये। अपने घर का ही माल है। चाहे जो ले। इसमें बिल्कुल सीधा सादा क्लॉज़ है। हम प्रोपर्टी पर कर्जा देना चाहते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड का सैक्शन ६० कहता है कि कर्जे के मामले में, काश्तकार के पास रहने का एक ही मकान है, तो ऐसी हालत में उसका मकान कुर्क नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें यह प्रोविजन किया गया कि हम उसकी प्रोपर्टी को रहन नहीं रखना चाहते, उसको मार्टगेज रखने का सवाल नहीं है। केवल उस प्रोपर्टी पर फर्स्ट चार्ज रक्खा गया है। तो कोई काश्तकार, जो साधनहीन है, वह पैसा लेकर काश्त कर सकेगा या नहीं? अगर जमीन पर केवल चार्ज रख कर लोन उसको देते हैं, तो उस हालत में इस प्रकार का संशोधन लाना चाहते हैं तो क्या वे यह चाहते हैं कि आगे ही राजस्थान का घाटे का बजट है, वह फिर घाटे का ही आवे और इस तरह से वे घाटे का बजट पैदा करना चाहते हैं.......

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन था....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़ !!

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्लियर करने के लिये अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मूलचन्द डागा : जब सदस्य लोग बोलते हैं कि हम ऐसा संशोधन रखते हैं कि जो क्रान्तिकारी होगा, उनकी क्रान्तिकारी भाषा पूछो मत, अब तो....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कटाक्ष कर रहे हैं, सदस्य महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कोई कटाक्ष नहीं। ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मूलचन्द डागा : वे चाहते हैं कि बिना चार्ज रक्खे ही लोन दे दिया जावे; चाहे फिर सरकारी रकम को रिकवर कर सके या नहीं। यथार्थवाद और आदर्शवाद में फर्क होता है। आदर्शवाद की बातें काफी हो सकती है, पर जब यथार्थवाद पर आ जाते हैं तो सोचना होगा कि उन काश्तकारों को जो खेती करना चाहते हैं, इस प्रकार की सुविधा दी जाती है कि उनको केवल अपनी प्रोपर्टी के चार्ज पर रकम दी जावे, तो उस पर इस

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रकार का संशोधन पेश करने से पहले इस पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। व्यावहारिक दृष्टि से हम उचित समझते हैं कि यह चार्ज होना जरूरी है ताकि काश्तकार पूरा ध्यान रखकर काम कर सके। इसलिये जो असल क्लॉज़ है उसमें अमेन्डमेन्ट नहीं होना चाहिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो संशोधन रक्खा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब एक सोसाइटी किसी खास पेशा करने वालों की बनती है, तो प्योरली वे ही नहीं होने चाहियें। माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ एक दुकानदार चमड़े का काम करने वाले या अन्य व्यापारी या अन्य प्रकार का काम काज करने वाले हैं, उनको नहीं मिलाया जावेगा, तो क्या हालत होगी ? सदस्य पूरी तरह परिचित नहीं होंगे, जितने भी अलग अलग पेशा और कार्य करते हैं, उनके लिये अलग अलग सोसाइटियां बनाई जा सकती हैं, और बनाई जा रही हैं और बनाई गई हैं। इसलिए विशेषकर काश्तकारों को सहूलियत देने के लिए अगर कोई सोसाइटी काश्तकारों की है, तो उसमें प्योरली काश्तकारों को ही लिया जाये; ताकि उसमें किसी प्रकार से नये लोग न आ सकें। यह कोई खास चीज नहीं है, सभी सोसाइटीज में सभी प्रकार के अगर कोई इल्लीगल मेम्बर घुसकर नाजायज़ ढंग से काश्तकारों को उसमें न रखकर फायदा उठायेंगे तो इस तरह से उन काश्तकारों को जितना फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा दूसरी सोसाइटीज बहुत सी हैं, जैसे मोटर ऑपरेटर्स की सोसाइटीज़ हैं, ट्रान्सपोर्ट सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी इस प्रकार की शायद चीज है कि केवल मोटर ऑपरेटर्स को ही उसके कनसर्निंग मेम्बर्स है, उनको सदस्य बना सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट्स की सोसाइटी बने, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट ही लिये जायें, यह खासकर मेरा निवेदन है।

२ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Member-in-charge of the Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज़ ३ के सिलसिले में कुछ संशोधन इस सदन के माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये। फुलेरा से आने वाले एक माननीय सदस्य ने करीब चार–पांच संशोधन इस क्लॉज़ में रखे हैं और सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा है। उनके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने समर्थन में बातें कहीं और कुछ ने उन संशोधनों का विरोध भी किया। इस क्लॉज़ के बारे में जिसको कि मैं कल भी काफी साफ तरह से समझा सका था, वह यह है कि आज तक हमारा जो कोऑपरेटिव का कानून है, उस एक्ट में अभी तक किसी भी सोसाइटी को सोसाइटी के मेम्बरों से इम्मूवेबल प्रोपर्टी के लिए डिक्लेरेशन लेने का और उसके बाद में उस डिक्लेरेशन के ऊपर अमल करने का अधिकार नहीं था। उस अधिकार को हम इस संशोधन से देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस क्लॉज़ को हम पढ़ें, तो जहां मैंने कल भी इस बात पर जोर दिया था कि यह सोसाइटीज़ के लिए लाजिमी नहीं होगा कि वह अपने मेम्बरों से,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सोसाइटीज़ के मेम्बरों से इस प्रकार का डिक्लेरेशन मांगे । किस प्रकार की सोसाइटीज़ को डिक्लेरेशन मांगना चाहिए, उसके बारे में इसके एक्सप्लेनेशन में दो बातें लिखी हैं कि सरकार अमुक प्रकार की सोसाइटीज़ को खास हुक्म के द्वारा या जनरल हुक्म के द्वारा यह निर्देश देगी कि इस प्रकार की सोसाइटीज़ के मेम्बरों से सोसाइटीज़ को इस प्रकार के डिक्लेरेशन्स लेने चाहिए और एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इसमें ऐसा दिया हुआ है कि मेजोरिटी एग्रीकल्चरिस्ट्स की हो, एग्रीकल्चर सोसाइटी के अन्दर । उसके बारे में संशोधन आया वह भी एक प्रकार का निर्देशन है । तो यह क्लॉज़ कुछ अमुक प्रकार की सोसाइटीज़ के लिए है, जो अपने मेम्बरों से जिनको जो कुछ एडवान्स वह सोसाइटी दे, सिक्योरिटी के रूप में उनकी इम्मूवेबल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन ले सकती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में इम्मूवेबल प्रोपर्टी की बेसिक और बुनियादी बात है कि किसी सहकारी समिति के जो माननीय सदस्य मेम्बर बनते हैं उनको आपस में एक दूसरे का पूरा विश्वास होना चाहिए । सोसाइटीज़ की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, वह ज्वाइन्ट होती हैं लिमिटेड भी होती हैं और अनलिमिटेड भी होती हैं और रुपया जो सोसाइटीज़ सहकारिता बैंकों से या और दूसरी इन्स्टीच्यूशन्स से या सरकार के जरिये, जो कर्जा सहकारी समिति लेती है, उसको चुकाने की जिम्मेदारी उस सहकारी समिति की है । सहकारी समिति को अपना ऋण, जो उसने उधार लिया है उसको चुकाने के लिए, जो उसके इन्डीविजुअल सदस्य हैं, जिनको काफी बड़ी बड़ी रकमें लोन के रूप में देते हैं, अगर उस लोन की प्रापर सिक्योरिटी, उस इन्डीविजुअल मेम्बर से वह सहकारी समिति नहीं लेती है, तो जो कर्जा इन्डीविजुअल मेम्बर्स को दिया जाता है, उसके डूबने का खतरा रहता है । जब किसी सहकारी समिति का निर्माण होगा, जिसको यह विश्वास नहीं हो कि जो रकम वह कहीं से लाते हैं और वह जब इन्डीविजुअल मेम्बर्स को देते हैं और उसकी वसूली के अन्दर उनके पास इस प्रकार के डिक्लेरेशन लेने का कोई प्रावधान नहीं है कि इम्मूवेबल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन ले सके कि कितनी इम्मूवेबल प्रोपर्टी हैं, कितना रुपया उनको उधार दिया जा सकता है और किस हद तक वह रुपया सिक्योर रहेगा, तो हमारी जो सहकारिता की भावना है, उसके खत्म होने का डर है, इसलिए यह धारा जो इस कानून के नीचे से अब तक गायब थी, उसका प्रावधान करना जरूरी था और कानून से इस संशोधन के रूप में यह धारा रखी है, तो यहां विरोध होता है कि इस प्रकार की धारा कानून में नहीं होनी चाहिए । फिर उसके बाद में यह समझ कर कि सब सहकारिता के लिए जरूरी नहीं है और जिस प्रकार का संशोधन धारा २ के जरिये किया है कि क्रेडिट सोसाइटीज़ जिन लोगों को उनके प्रोड्यूज के ऊपर लोन एडवान्स करना चाहती हैं, उनको यह डिक्लेरेशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी भी कई सोसाइटीज़ हैं जिनको डिक्लेरेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है । पर हां, कुछ सोसाइटीज़ जरूर ऐसी हैं, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, यह बड़े बड़े कर्ज उधार लेती है, वह अपनी लाइबिलिटीज़ के ऊपर लेती है, सरकार के जरिये लेती है और जो अलग अलग स्कीम्स हैं, हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ रुपया उधार लेती है और लाखों रुपयों की तादाद में रुपया उधार लेती है और वह सोसाइटी जो कर्ज के रूप में रुपया लेती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है, अपने इन्डीविजुअल मेम्बर्स से अगर सिक्योरिटी और डिक्लेरेशन नहीं ले पायेंगी, उनकी अचल सम्पत्ति की, और जैसा एक दूसरा संशोधन रखा है कि इसके अन्दर "land or interest in land रखना चाहिए और इसके सिवा कुछ नहीं रखना चाहिए और इम्मूवेबल प्रोपर्टी (immovable property) का प्रोविज़न नहीं रखना चाहिए, यह एक मिसाल के तौर पर मैं सदन के सामने अर्ज़ करता हूँ कि जैसे हाउसिंग सोसाइटी बनती है और उसके मेम्बरों के पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, न लैण्ड है और न लैण्ड का इन्टरेस्ट है, तो क्या आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा ? अगर आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बिल्कुल ही उल्टा हो जायेगा। इसलिए इम्मूवेबल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन लेना लाजिमी होगा। यह मिसाल के तौर पर मैंने बात बताई। दूसरी सोसाइटीज़ हो सकती हैं, जैसे तेलियों की समिति बनती है. वह काफी कर्जा लेते हैं, तिलों के लिए लेती हैं, घानी के लिए लेती है, तो उन सहकारी समितियों को इतना बड़ा रुपया देते हैं और इम्मूवेबल प्रोपर्टी भी अगर उसके सदस्यों के पास नहीं है तो फिर तिलों की तो सिक्योरिटी हो नहीं सकती, इसलिए मकान की सिक्योरिटी इन्डीविजुअल मेम्बर से लेना लाजिमी है। इस कारण यह यह डिक्लेरेशन मांगते हैं। साथ ही यह भी देखते हैं कि इन्डीविजुअल मेम्बर की कितनी शक्ति है लोन के लेने की। अगर आपस में मेम्बरों का विश्वास भी पूरी तौर से कायम नहीं होगा तो वह सहकारी समिति ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। तो कुछ औद्योगिक समितियां और हाउसिंग सोसाइटीज़ और इस प्रकार की अनेक सोसाइटीज़ काम कर सकती हैं, जिनके इन्डीविजुअल मेम्बर्स को अलग अलग लोन देकर काम करवाना पड़ता है। कई ऐसी छोटी छोटी समितियां हैं, जिनमें इन्डीविजुअल्स लोन काफी बड़ी तादाद में लेते हैं और वह सोसाइटीज़ को देना होता है। तो यह कहना कि इसकी जरूरत नहीं थी, यह बहुत जरूरी है। इस बढ़ते हुए कोऑपरेटिव के स्फियर में इस क्लाज़ को लाना जरूरी था। इन्टरेस्ट इन लैण्ड (interest in land) की जो बात कही गई है, मिसाल में मैंने समझाया है कि उससे पर्पज सर्व नहीं होता है। इसलिए इम्मूवेबल प्रोपर्टी का वर्डिंग रखना पड़ता है। इसके बाद में २,३ धाराओं पर संशोधन रखा है। दूसरी धारा में कहा गया है, इसको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की समितियां प्रेक्टिस में बन गई हैं, और प्रावधान नहीं होने से, आपस में मेम्बरों में विश्वास जमाने के लिए, प्रोपर्टी सिक्योरिटी लेने के लिए प्रावधान लागू किया जाना चाहिए चाहे वे सोसाइटी बन चुकी हो। इसलिए दूसरी धारा का होना जरूरी है। इसलिए इन संशोधनों को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ।

उसके बाद में कहा कि चौथे प्रोविज़न में एक प्रकार का प्रोविज़ो लगा देना चाहिए। जिस प्रोविजन की जरूरत है, वह चाहे तो सोसाइटी से पूछकर एलियनेट कर सकता है। उसके पहले नहीं कर सकता है। यह ठीक बात है। यह बात इम्प्लाइड है। सोसाइटी को एक इन्डिविजुअल मेम्बर डिक्लेरेशन दे चुका है, और सोसाइटी के नोटिस में यह रहता है कि बहुत थोड़ा इन्सिग्नीफिकेन्ट अमाउन्ट रह गया है ब्याज का, तो सोसाइटी मेम्बरों के नोटिस में लाकर, अगर वह प्रोपर्टी को बेचना चाहता है तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके

Page No.62

(श्री नाथूराम मिर्धा)

डिसीजन दे सकती है, इसमें कानूनन की कोई दिक्कत नहीं है । तो इस प्रकार के प्रोविजो की इसमें आवश्यकता नहीं है । इसलिए जो संशोधन माननीय सदस्य ने इस धारा में रखा है, और जितने संशोधन इसमें आये हैं, मैं खुद ऐसा नहीं मानता कि यह उनकी समझ में नहीं आया है, लेकिन यह एक तरीका है सोचने का और वे सोचते हैं कि किसी न किसी प्रकार का संशोधन रखना चाहिए, और बहस की जानी चाहिए और उसको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जिस दृष्टिकोण से आम तौर पर लोग नहीं देखते हैं । हर एक चीज़ ऐसी होती है दुनिया में कि वह कई प्वाइन्ट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है, उस पर दलील दी जा सकती है । वे दलीलें देते हैं तो उनको सुनता हूं, बड़े गौर से सुनता हूँ । लेकिन उनमें ज्यादा तथ्य मुझे नज़र नहीं आता है । इसलिए मैं किसी भी, एक भी संशोधन को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और सब संशोधनों को नामन्जूर करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने संशोधनों को वापिस ले लें । अगर वे नहीं लेते हैं, तो सदन उनको नापास कर दे ।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Mr. Dy. Speaker, Sir, on a point of order, Sir, what did the hon'ble Minister mean by saying "कि मैं सब संशोधनों को नामन्जूर करता हूँ ।" He is not authorised to reject them. He can simply say that he is not prepared to accept them.

श्री उपाध्यक्ष : This is not the point of Order.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow any point of information.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of privilege, Sir, I could not hear what was said.

श्री उपाध्यक्ष : I mean to say that the question raised by you is not so important and I do not entertain it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Then I think that the information......

श्री उपाध्यक्ष : I would not allow any sort of information to be extracted from the Minister because I don't think it proper now.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : On a point of privilege, Sir, I feel that under the circumstances when you are disallowing me to have a information, which is a very useful and necessary information then I think it is a privilege of the House, sir, and of safeguarding the rights and privileges of the Hon. Members of......

श्री उपाध्यक्ष : Well it is for the Chair to decide whether this is important or not. The House knows that it is not important. I disallow any further debate on this point.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Mr. Dy. Speaker, Sir, I was just saying that......

श्री उपाध्यक्ष : I would not entertain any point of information now.

(विराम)

Shri P.K. Chudhari : pease resume your debate.

श्री पी. के. चौधरी: (फुलैरा) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके सिलसिले में जो उन्होंने आॅग्युमेन्ट्स पेश किये है, वे आॅग्युमेन्ट्स कोई कन्विन्सिंग आॅग्युमेन्ट्स तो नहीं लगे हैं। रिसोर्स सोसाइटी (resource society) का उन्होंने जिक्र किया है कि डिक्लेरेशन क्यों जरुरी होता है, और जरुरी इसलिये होता है कि इन्डस्ट्रियल कोआॅपरेटिव सोसाइटी' हाउसिंग सोसाइटी जब लोन देगी तो इम्मूवेबल प्रोपर्टी जो वह मकान वगैरह हैं, उसके लिये डिक्लेरेशन हम लेगें। मैं यह निवेदन करना चहता हूँ कि जब मैंने अमेंडमेंट मूव किया था, तो उस टाइम मैंने कहा था कि यह स्पेसिफाई कर देना चाहिये कि कौन सी सोसाइटी के लिये एप्लाई करेंगे। और आप इन्डस्ट्रियल सोसाइटी के लिये करते हैं, तो इन्डस्ट्रियल सोसाइटी के लिये आपके पास प्रोविज़न हैं, एग्ज़िस्टिंग एक्ट में भी। इन्डस्ट्रियल सोसाइटी को आखिर में आप लोन किस लिये देते हैं? आप लोन देते हैं प्लान्ट्स खरीदने के लिये, आप लोन देते हैं रॉ मेटीरियल्स खरीदने के लिये, और जो मोडीफाइड क्लॉज़ हैं, उसमें उसके ऊपर आपका फर्स्ट चार्ज रहता है, "upon any cattle, fodder for cattle, agricultural or industrial implements or machinerl, or raw materials for manufacture or stock in trade or workshops, godown or pieace of business, supplies to or purchase by such member in whole or in part from any loan whether in money..." यानी यह डिक्लेरेशन नहीं देकर, आपने यह कहा कि यह जो डिक्लेरेशन नहीं देगें तो ऐसी सोसाइटीज़ को जो लोन दिया जायगा, ऐसी सोसाइटीज़ को जो लोन देगें, तो उस लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। जहां तक इन्डस्ट्रियल सोसाइटीज़ का सवाल है, वह जब लोन देगी, तो प्लान्ट्स वगैरह, मशीनरी वगैरह जो है, स्टाक इन ट्रेड है, उसके ऊपर सिक्योरिटी रहती है। इसलिये लोन सिक्योर्ड रहता है, आप लोन को रियलाइज कर सकते हैं। जहां तक हाउसिंग सोसाइटी का सवाल रहता है, हाउस के लिये लोन हाउसिंग सोसाइटी देती है, तो सारे के सारे मकान व जमीन की, सिक्योरिटी उसके पास रहती हैं, और जब तक मेम्बर लोन पे अप नहीं कर देता है, तब तक उस हाउस का पूरा प्रोप्राइटरी राइट नहीं होता है, उसके पास। मुझे इस बात का खेद है माननीय मंत्री महोदय, खुद ही अपने दिमाग में उन संशोधनों वगैरह, क्लॉजेज़ के बारे में क्लिअर नहीं है। कल उन्होंने कहा था, मार्केटिंग सोसाइटी के लिये, रिसोर्स सोसाइटी के लिये कहा था। कानून में रिसोर्स सोसाइटी को डिफाइन किया गया था मार्केटिंग सोसाइटीज़ वगैरह को। लेकिन आज आपने बताया कि मार्केटिंग सोसाइटी लोन नहीं देती है। मार्केटिंग सोसाइटी के सदस्य लोन लेते हैं, कोआॅपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट के मेम्बर्स की हैसियत से वे लोन लेते हैं। इसलिये इस क्लॉज को मार्केटिंग सोसाइटी पर लगाने के लिये आपने कहा था। आपका सबसे बड़ा, केपिटल आॅर्ग्यूमेंट था कि एक्सप्लनेशन में साफ कर दिया है। रिसोर्स सोसाइटी का जो आॅर्ग्यूमेंट देते हैं, इन्डस्ट्रियल सोसाइटी पर लगाने का, हाउसिंग सोसाइटी पर लगाने का, वहां भी मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, प्लान्ट्स, स्टाक इन ट्रेड, रॉ-मेटेरियल्स, सब के ऊपर आपका फर्स्ट चार्ज रहता है, तो फिर उसकी इम्मूवेबल

(श्री पी० के० चौधरी)

प्रोपर्टी और मकान वगैरह दूसरीचीजें हैं। उसके ऊपर डिक्लेरेशन देने की जरुरत नहीं है। दूसरी बात जो हाउसिंग सोसाइटी के लिये कही है कि हाउसिंग सोसाइटी में करने की जरुरत है। हाउसिंग सोसाइटी में लोन जब दिया जाता है तो सारे का सारा जो मकान बनता है, सारी की सारी जमीन ज़ायदाद उस बिल्डिंस की होती है उसमें गवर्नमेन्ट का फर्स्ट चार्ज रहता है he cannot transfer it- जब तक कि सोसाइटी का लोन पे अप नहीं करता है। तो एक चीज़ तो यह महसूस होती है कि दलील वगैरह जो दी गई, वह एक भी कन्विन्सिंग नहीं है।

तीसरा संशोधन एक प्रोविजो एड करने के लिए हैं, जो क्लॉज़ के पार्ट (४) में मैंने किया था, "right of alienation" के लिए। उस सिलसिले में उन्होंने यह कहा कि यह बात सही है कि लोन पे अप कर देता है और १०) , २०) रुपये ब्याज के रहते हैं, तो वह क्यों नहीं कर सकता है, ट्रान्सफर ? उसके लिए सोसाइटी युनेनीमसली तय कर दे, तो ट्रान्सफर कर सकता है। लेकिन आपने कानून बना दिया है :

"no member shall alienate the whole or any part of the immovable property specified in the declaration made under clause [i] of clause [ii] until the whole amount borrowed by the mamber together with interest thereon is paid in full and any such alienation shall be void."

अब जो कानून आप बना देते हैं, उसमें प्रोविजन रखते हैं "no member shall transfer" और जो ट्रान्सफर करेंगे वह वोइड हो जायगा। तो क्या वह सोसाइटी के द्वारा रिज़ोल्युशन पास करने से लीगल हो जायगा ? १०) या १५ रुपये ही रह जायेंगे तो रिज़ोल्युशन से तय करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वे कैसे तय कर सकते हैं जब कि आप कानून बना देते हैं और आप कहते हैं, you say that no member shall alienate whole or part of the property.

एक तरफ तो कानून बना रहे हैं और कानून में जब इसको इल्लीगल ठहरा दिया, तो सोसाइटी तो क्या सोसाइटी का बाप भी रिज़ोल्युशन पास करके ट्रान्सफर नहीं कर सकता।

दूसरी बात आप कहते हैं, ऐसे बिना सोचे समझे अमेंडमेंट लाये जाते हैं। एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि मंत्रीजी ने जो दलील दी है, वह ऐसी दलील हैं, it is a reflection on the mover of the amendment. One, who has understood the implications of the amendment, will not say like this.

यह रिप्लाई जो आपका है, it is an indication of the ignorance of the Hon' ble Minister. फिर आप कहते हैं, अमेंडमेंट लाया जाता है, लेकिन अमेंडमेंट क्यों लाये जाते हैं, बगैर सोचे-समझे लाये जाते हैं, it is also a reflection and the Minister should not throw or cast such a persion on the members. इसको मैं रिज़ेन्ट करता हूँ, यह एक प्रकार का रिफ्लेक्शन कास्ट करना है। मैं तो चेलेन्ज करता हूँ।

इम्पार्शियल पर्सन्स बैठा दीजिये, and see whether the amendments, which have

Page No.65

(श्री पी. के. चौधरी)

been moved, are with good intentions or not. और जो रीजन्स दिये गए हैं, whether they are reasonable or not, आपको जो बताया, it can be established from the proceedings of this House. आपने एक दफा तो यह कहा कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ और रिसोर्स सोसाइटीज़ के लिए लागू होगा और जब पूरा क्लॉज पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि it is not meant for marketing societies, रिसोर्स सोसाइटीज़ के लिए है and the primary object of this is to obtain credit for its members. मार्केटिंग सोसाइटीज़ अपने मेम्बर्स को क्रेडिट देने लिए नहीं बनाई जाती है । यह शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ क्रेडिट के लिए नहीं बनाई जाती हैं, यह अपने मेम्बर्स को कभी क्रेडिट नहीं देती है । कल आपने यह कहा और आज आपने यह कहा कि रिसोर्स सोसाइटीज़, इन्डस्ट्रियल सोसाइटीज़ और हाउसिंग सोसाइटीज़ इसमें आवेगी । मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा जिस मकान के लिए लोन दिया जाता है, उसका उस मकान पर ही प्लेज रहता है । जिस आदमी का खुद का मकान है उसको मकान बनाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी कभी लोन नहीं देती है, यह शायद मंत्रीजी नहीं जानते हैं । हाउसिंग सोसाइटी किसी को कर्जा देगी, उससे मकान का डिक्लेरेशन लेगी यह आपने बताया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हाउसिंग सोसाइटी मकान जिसके पास है, उसको कर्जा नहीं देती है, मंत्रीजी शायद इस बात को नहीं जानते हैं ....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ही सब कुछ जानते हैं, दूसरे नहीं जानते ।

श्री पी० के० चौधरी : आप खुद मानते हैं, आपको जानकारी है, लेकिन दलील जो देते हैं, that varies from point to point. कभी कोई आर्ग्युमेंट आता है, तो कभी कुछ आर्ग्युमेंट आता है । मैं मानता हूँ कि मंत्रीजी ने अपने माइन्ड को एप्लाई नहीं किया है । अमेंडमेंट स्वीकार नहीं करना है, इस ख्याल से उन्होंने आर्ग्युमेंट्स दिए हैं । जो आर्ग्युमेंट्स दिए हैं वे कन्विंसिंग नहीं हैं and that has not met the points which were raised; पॉइन्ट जो रेज किये हैं उनको मीट नहीं करते हुए दलीलें दी हैं ।

जहां तक प्रोविज़ो है, क्लॉज ३ के पार्ट (१) में, वह भी बहुत उपयुक्त प्रोविज़ो था । यह मध्यम टर्म लोन के लिए यूज़ किया जायगा । आप भी मानते हैं, चाहे कुछ भी ख्याल हो, यह जो प्रोविज़ो है, declaration in the ferst term, वह सिर्फ मध्यम टर्म पर होना चाहिए । इसको आप एग्ज़ीक्युटिव के डिस्क्रिमिनेशन पर रखना चाहते हैं । मुझे यह मालूम नहीं पड़ता कि सारे लॉ में एम्बीग्युटी क्यों रखते हैं; स्पेसिफिक बात क्यों नहीं करते हैं ? इसलिए जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वे स्पेसिफिक करने के लिए लाए गए हैं, ताकि एप्लीकेशन में कन्फ्युज़न न हो या रोंग इम्प्लीकेशन नहीं हो । इन शब्दों के साथ में मेरे अमेंडमेंट्स को विथड्रॉ करने की इजाज़त चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो अमेन्डमेन्ट श्री पी० के० चौधरी ने रखा है कि :

"Provided that such alienation can be done by members with the previous permission of the Society."

इसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ....

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी को वापिस ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ पर जो अमेन्डमेन्ट्स श्री पी० के चौधरी ने रखे हैं, उन सब को वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री पी० के० चौधरी : Sir, I withdraw my amendments.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसका उत्तर मंत्रीजी ने जो दिया वह बिल्कुल अस्पष्ट है। यहां तक कि डग से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसके अन्दर गांवों में रहने वाले जो लोहार गिरी या खाती का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इसका सदस्य बना देना चाहिए। यह तो माना जा सकता है कि काश्त से संबंधित लोगों को यदि सहकारी समितियों में सदस्य बनाते हैं तो उसमें आपत्ति नहीं हैं। लेकिन जो काश्त से संबंधित नहीं हैं, काश्त से संबंधित धंधा नहीं करते हैं और शहरों में रहकर दुकानदारी या नेतागिरी करते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों को यदि सहकारी समितियों में लिया जाता है तो उसका मतलब यह है कि उनको जो पैसा इन समितियों से मिलेगा, उसका दुरुपयोग होगा और वह संस्था अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकेगी। इसका कारण यह है कि इस प्रकार का व्यक्ति किसी भी प्रकार से इस धंधे से संबंधित नहीं है, जिसके लिये यह संस्था बनाई गई है। वे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ही इसमें रहते हैं। उनको ऋण देना और संस्था में सम्मिलित करना कहां तक न्यायसंगत है, क्योंकि धारा ४० के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऋण ले सकता है। तो इस प्रकार के सदस्य जो एग्रीकल्चरिस्ट्स नहीं है, लेकिन सोसाइटी के सदस्य हैं, वे सदस्य होने के नाते सोसाइटी से ऋण लेकर खेती के काम में नहीं लगायेंगे और अपने धंधे में लगाएंगे। ऐसी हालत में समझ में, नहीं आता कि किस कारण इस अमेंडमेंट को मंत्री महोदय स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं इसको सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि in part (a) of the explanation of clause 3 में जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री नाथूराम मिर्धा : मूव नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : I propose so raise an issue of privilege Mr. Deputy Speaker. It is an inallienable right of every member of this august House to raise a point of order or a point of information and when it is once raised and placed before the Chair it is open for the Chair to accept or to reject it. But when you say that you are not prepared to allow any point of information or a point of

Page No.67

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

order on a particular subject it means that my point of information and point of order, both were rejected in advance. I have to submit that it is opposed to all the parliamentary procedures and I have to state that it affects the general rights of the Members of this House. I am sure, it was not your intention and you never wanted to encroach upon the rights of the Members of this House like that. I think your directions were that you will not allow any point of information or order but how could you pre-anticipate and give your decision without knowing what I have to say. I did not want to interfere and disturb the speakers at that time but now I wish to raise this and again submit it for your reconsideration that I could not have been prevented in anticipation of raising any point of information or order. If it was necessary, I have a right to exercise it. I cannot be prevented from my right for which I propose to stand up and I can always exercise it. Now I hope that it was not your intention.

श्री उपाध्यक्ष : What is the intention, I have heard the Hon'ble Member. He first stated that it is a point of privilege and he withdraw it and then he said that it was a point of information. He later on said that it was a point of order. I could very rightly judge the position and then I had given my impressions. Any how what is that move? A member can place that issue. This has never been the intention of the Chair to curtail the freedom of speech of any member of this august House.

श्री विश्वम्भरनाथजोशी : I am very grateful for the information of the Chair. Now the point what I was submiting is that the Hon'ble Minister had used the expression, and while replying those amendments, he said that he rejected all the amendments. My submission was that this language was wrong with reference to the amendments putforth before the House. If it was used...

श्री उपाध्यक्ष Before the Hon'ble Member commences let me verify it from the proceedings whether he stated this or not ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नामंजूर है। मैं पर्सनली नामंजूर करता हूं, यह नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I am sure that the Hon'ble Members will bear in mind that the Hon'ble Minister..........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा था कि मैं इन अमेंडमेंट्स को नामंजूर करता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : You said, you reject it.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नामंजूर करता हूं, I don't accept it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सदन नामंजूर कर सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नामंजूर करता हूं। मैंने नहीं कहा, कि सदन नामंजूर करता है।

श्री उपाध्यक्ष : That is all what you wanted to speak.'

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : It is not open for the Hon'ble Minister to reject it. It is the House to reject or accept. मैं इनको मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हूं। सदन एक सोवरिन बोडी है, अगर वह उचित समझेगा तो मंजूर करेगा, अगर उचित नहीं समझेगा तो नामंजूर करेगा। इसके बारे में डिसीज़न होगा कि मंजूर करे या नामंजूर करे। मंजूर—नामंजूर करने का सदन को अधिकार है, मिनिस्टर साहब का अधिकार नहीं है कि सदन के अधिकारों का स्वयं उपयोग करते हुए कहें कि नामंजूर करता हूं। यह जो फ्रेज्योलोजी है, वह सोवरिन बोडी की डिग्निटी के अनुरूप नहीं थी और माननीय मंत्रीजी को इसका ख्याल रखना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : No need of any more clarification. It is only a little confusion in the expression. He said, he was not prepared to accept the amendment, and then it was a mere repetition of the same expression, as such there is nothing and it does not require any more clarification.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : He meant that he was rejecting.

श्री उपाध्यक्ष : the Proceeding also reveal it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : If you are satisfied, that is allright.

२. ३३ म० प०

क्लॉज़ेज ४, ५, १ प्रिएम्बल टाइट्ल इत्यादि।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज ४, ५, १ और प्रिएम्बल, टाइटिल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खंड ४, ५ व १ तथा प्रिएम्बल, टाइट्ल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, १६५८ को पारित किया गया।

२.३५ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री उपाध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इस सम्बन्ध में जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, १९५८, जिसके ऊपर राज्यपाल की असेन्ट आई है, उसका गजट में पब्लिकेशन हुआ है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : The Bill has been placed on the Table of the House.

श्री भैरोंसिंह : जब तक यह एक्ट नहीं बनता...

श्री उपाध्यक्ष : And it is also published in the Gazette.

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख को हुआ है साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : १५ नवम्बर, १९५८ ।

श्री भैरोंसिंह : मैं फोर्थ अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं कह रहा, राजस्थान टिनेन्सी (थर्ड अमेंडमेंट) बिल के लिए कह रहा हूं जो पास हो चुका है, उसके लिए असेन्ट आ चुकी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, The Rajasthan Tenancy (Fourth Amendment) Bill, 1958. Shree Anoop Singh to move his resolution.

(विराम)

श्री अनूपसिंह ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने पेश है, जिसके लिए मैं मानता हूं कि कई हालतों में इसमें कॉन्सीक्वेन्शियल चेंजेज हैं, फिर भी उसमें कई ऐसी चीजें है, जिनको हम आज यहां बैठ कर कानून के रूप में बदल दें, तो वाकई यह कोई ठीक तरीका नहीं होगा । इसलिए मेरा सुझाव था, एक अमेंडमेंट था कि इस अमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय, जिसमें इसके ऊपर जिस तरीके से, जिस ढंग से, विचार किया जाना जरूरी है, उस तरह विचार किया जायगा और इसके बाद जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाती है तो फोर्थ अमेंडमेंट बिल, फिफ्थ अमेंडमेंट बिल, सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल, जो कि पेश हो चुके हैं और सर्क्युलेट किये जा चुके है, इन ३, ४, ५, ६ अमेंडमेंट्स को, थर्ड अमेंडमेंट बिल तो पास हो चुका है, फोर्थ, फिफ्थ व सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल्स को एक जगह कन्सोलिडेटेड फोर्म में ले लिया जाय, जिससे ये एक जगह मिले न होने के कारण एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे को ओवर लेप करते हैं, कोई लेकुनाज़ हैं, वे सब निकल जायेंगे और सिलेक्ट कमेटी में इन पर ठीक ढंग से विचार करने का मौका मिल जायगा । केवल यहां बैठ कर इस तरह से इसे राजस्व मंत्री जी पास करवाना चाहते हैं, यह कोई लेजिस्लेशन पास करने का, बिजनेस करने का सही ढंग, सही तरीका नहीं होगा । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो फिफ्थ व सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल्स आने वाले है, उनके साथ इसको भी सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय, जिसमें इन पर विचार करके, सब को एक जगह रख कर, एक दूसरे के कॉन्सीक्वेन्शियल इफेक्ट निकाल कर विचार किया जाय तो ठीक रहेगा । इसके बारे में ज्यादा अर्ज करना मैं ठीक नहीं समझता क्योंकि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अमेंडमेंट बिल्स में कई ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं । इस लिए जरूरी यह है कि उनको अलग अलग तरह से जांचा जाय और एक दूसरे के इफेक्ट्स निकाल दिये जायं । इसलिए मेरा

(श्री अनूपसिंह)

नम्र निवेदन है कि मेरा यह प्रस्ताव मंजूर करते हुए इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल और (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, दोनों का एक कन्सोलिडेटेड फॉर्म तैयार करके प्रेस को दिया था और वह छप गया है । अगर ऐसा है और कन्सोलिडेटेड फॉर्म आने वाला है, तो यह मालूम हो जाय कि उसको छपवाया क्यों है, उसका उपयोग क्यों न हो ? इस बारे में राजस्व मंत्रीजी कुछ सूचना दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष, सूचना यह है कि दोनों बिल अलग अलग लिये जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं छपवाने के बारे में पूछ रहा हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्वेश्चन आप क्वेश्चन अवर में पूछिये, मैं आन्सर दूँगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो क्वेश्चन नहीं, इन्फार्मेशन चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : I will uot allow this point of information.

श्री भैरोंसिंह : यह बता दें, तो इन्टेन्शन मालूम हो जाय कि किसलिये एक साथ छपवाया ?

श्री उपाध्यक्ष : No. I don't allow it

श्री भैरोंसिंह : इसमें काफी खर्चा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : whatever may be the information, but it is no tmaterial for the House.

(विराम)

श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान टिनेन्सी (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल हमारे सामने है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह फोर्थ अमेंडमेंट, कुछ हद तक, जो थर्ड अमेंटमेंट आया था इसी सैशन में कुछ दिन पहले, उससे मिलता जुलता है, इसीलिये उस वक्त भी हमने उसका विरोध किया था कि राजस्थान केनाल एरिया में जो खातेदारी राइट्स किसानों को मिले हुए हैं, जिन किसानों के राइट्स थे, जिनको बीकानेर स्टेट के जमाने से बीकानेर टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदारी राइट्स मिल चुके थे, व जिन किसानों को जिस दिन से टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ और उस दिन वह एरिया कोई केनाल एरिया नहीं था, इस नाते उनको खातेदारी राइट्स मिल गये थे, उन किसानों के खिलाफ सरकार की ओर से इस प्रकार का कानून पास करके जो खातेदारी राइट्स उन किसानों को मिले हुए है, उनको छीनना कहां तक उचित है ? वह धारा, वह बिल पास हो गया । अब जो अमेंडमेंट सरकार की ओर से हमारे सामने पेश हुआ है, वह यह है कि जिन किसानों को खातेदारी राइट्स मिल चुके है, उनको कोर्ट में दावा

(श्री गिरधारीलाल)

करना पड़ेगा और यह साबित करना पड़ेगा कि हमें खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं और इसके बाद में कोर्ट विचार करेगा और अगर उचित समझा कोर्ट ने, तो कोर्ट किसानों को खातेदारी राइट्स देगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि राजस्थान का किसान, पहली बात तो, अनपढ़ है। शिक्षा की कमी के कारण किसान बहुत से कानून-कायदे, जो राज्य की ओर से इस असेम्बली में पेश होते हैं, और जो किसानों के हित के लिये होते है, पर किसान अनपढ़ होने के कारण उन कानून, कायदों से फायदा नहीं उठा सकते। माननीय उपाध्यक्ष, किस प्रकार कोर्ट में दावा किया जायगा, किस प्रकार वह साबित करेगा? पहली बात तो यह है कि साबित करना मुश्किल है। पिछले सेशन में सरकार पर यह दोष मंढा गया कि जिन किसानों के खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं, उनके हक को सरकार उनसे छीन रही है, उस पर सरकार यह संशोधन रख रही है कि कोर्ट में दावा करके अपने राइट्स को साबित करें। कोर्ट में साबित किया जायगा तो खातेदारी राइट्स मिलेंगे। पहली बात यह है कि खातेदारी राइट्स कैसे मिलेंगे, एक तो कागजों से साबित करेगा कि मैं खातेदार था, और मुझे खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कुछ क्षेत्रों में बीकानेर के टिनेन्सी एक्ट के माफिक खातेदारी राइट्स मिल गये। तो जो किसान पढ़े लिखे हैं, वे तो दावा करेंगे पर जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई रिकार्ड नहीं हैं, वे कैसे दावा करेंगे? दूसरी ओर आप देखेंगे तो राजस्थान केनाल जैसलमेर की बहुत सी भूमि को सींचेगी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, जैसलमेर की भूमि की सर्वे, पैमाइश, गई साल हुई थी। पहले वहां कोई सर्वे या पैमाइश नहीं हुई थी वहां बहुत भूमि है, किसान खेती करते थे और जागीरदार को एक दो रुपया सालाना भेज देते थे। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बिना रेकॉर्ड के वे लोग कैसे साबित करेंगे कि उन्हें खातेदारी राइट्स मिल चुके हैं। तीसरी बात यह है कि सरकार की मंशा क्या है और क्या नहीं है यह तो हम पहले ही जान चुके हैं। १५ अक्टूबर, १६५५ में कानून बनाया, जिससे किसानों को खातेदारी राइट्स दिये, किसानों ने उस रोज संतोष की सांस ली। राजस्थान के अन्दर वह दिन एक बहुत अच्छा दिन था, जब किसानों ने समझा कि हमें हमारे खातेदारी राइट्स मिले। पर सरकार ने धारा १५ के अन्दर अमेंडमेंट किया कि हमने भूल की है, और उस भूल को सुधारते है। वह भूल क्या थी, वह यह थी कि राजस्थान केनाल एरिया का नाम हमने नहीं दिया, केनाल एरिया का तो दिया है पर राजस्थान केनाल एरिया का नाम नहीं दिया। इसलिये उस भूल को सुधारते हैं कि इस धारा १५ के तहत राजस्थान केनाल एरिया में किसी को खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। यह जो संशोधन हमारे सामने है उससे सरकार साबित करना चाहती है कि जिनको खातेदारी राइट्स मिल चुके है, उनके खातेदारी राइट्स रहेंगे, पर शर्त यह है कि कोर्ट में वे साबित कर दें कि उनको खातेदारी राइट्स मिल चुके है। पर इस प्रकार साबित करना असंभव है, क्योंकि किसान अनपढ़ है। ज्यादा एरिया ऐसा है जिस पर पैमाइश नहीं हुई है, और पैमाइश नहीं होने के कारण किसी के पास रेकॉर्ड नहीं है। दो आदमी कोर्ट में जा कर कहेंगे कि

Page No.72

(श्री गिरधारीलाल)

इसको खातेदारी राइट्स इस जमीन पर मिल चुके हैं और दूसरी ओर के दो आदमी कह देंगे कि इसको खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं, इसका फलां दिन से कब्जा नहीं है। तो इस प्रकार की कई कानूनी अड़चनें हमारे सामने आयेंगी और किसानों को खातेदारी राइट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि कानून ही इस प्रकार का लचीला है। अगर किसानों को खातेदारी राइट्स देने की सरकार की नीयत होती तो थर्ड अमेंडमेंट ही नहीं लाती। जब १५ अक्टूबर १६५५ में खातेदारी राइट्स मिल चुके थे, तो इस प्रकार का संशोधन लाने की क्या आवश्यकता थी ?

मूल एक्ट की धारा ३५ है, उसमें संशोधन किया है। इसमें सरकार ने "any other charge" शब्द के पश्चात् "imposed by law or" शब्द रखे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है और माननीय सदस्यों ने कई बार अपनी इस प्रकार की इच्छा जाहिर की है कि राजस्थान का किसान बहुत गरीब है और गरीब होने के नाते वह टैक्सेज़ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर प्रकार के टैक्सेज लगते हैं, उसका बोझ किसान पर पड़ता है। जैसे सेल्स टैक्स लगता है, उसका भी इन्डाइरेक्ट या डाइरेक्ट इफैक्ट काश्तकारों पर पड़ता है। ग्राम पंचायतें या नगरपालिकाएं भी जो टैक्सेज़ लगाती हैं, उनका प्रभाव भी किसानों पर पड़ता है। इस प्रकार किसानों पर बहुत से कर लगे हैं। किसान गरीब है और मैं समझता हूं कि यदि ऐसी ही व्यवस्था चलती रही, तो किसानों की हालत कभी ठीक नहीं हो सकेगी। आज हम देखते हैं कि लाखों रुपया ब्लॉकों में खर्च हो रहा है और वह उन लोगों को राहत देने के रूप में खर्च होता है। मगर हम देखते हैं कि इतने लाखों रुपयों के खर्च के बावजूद भी किसानों को जो समाज की रीढ़ हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज प्रजातन्त्र के युग में भी किसानों की वही हालत देखते है जो राजाओं और जागीरदारों के समय में थी। आज का किसान गरीब है, इसलिए मैं यह कहूंगा कि उन पर इस प्रकार के टैक्सेज़ नहीं लगने चाहिए। शहरों पर आप कितना रुपया खर्च करते हैं और उनको कितनी फैसेलिटी देते हैं और गांवों में कितना कम खर्च करते हैं। गांव वाले भी आपको एग्रीकल्चर टैक्स वगैरह देते हैं, उसी प्रकार से, जिस प्रकार शहर के व्यापारी आपको टैक्स देते हैं, मगर गांवों की सुविधाओं और शहरों की सुविधाओं में कितना अन्तर है। मैं यह कहूंगा कि हमने एक टैक्स की हद बांध दी है, मगर किसानों से हम भूमिकर लेते हैं वह बिल्कुल नाजायज है। इसके अलावा इसको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि शायद राजस्व मन्त्री महोदय की यह इच्छा है कि अभी टैक्स का कार्य समाप्त नहीं हुआ है और आगे वर्षों में, यह टैक्स जो वर्तमान में है और भी बढ़ जावेगा और मुझे विश्वास है कि ६ महीनों बाद किसानों पर टैक्स और भी बढ़ जावेगा। हम पहले से कह रहे हैं कि किसानों पर कर का बोझ बहुत अधिक है और राजस्थान का किसान यह महसूस करता है कि जब तक लगान पर लगान लगाये जाते रहेंगे, तब तक उसका कोई हित नहीं होगा। जमीन सरकार की है, इस बात को मानते हैं लेकिन आप उसके लिए उससे एग्रीकल्चर टैक्स लेते हैं। आप एक तरफ यह कहते हैं कि हमारे यहां अनाज की कमी हो रही है, ज्यादा अनाज पैदा किया जाए। मैं यह कहूंगा कि यह समस्या तभी हल हो

(श्री गिरधारीलाल)

सकती है जब किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। जब तक किसानों की आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी, यह समस्या सुधर नहीं सकती। जब किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तभी वे आधुनिक ढंग से खेती कर सकेंगे, क्योंकि अभी उनको साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये वही प्रोडक्शन रहेगा जो किसान पहले था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस धारा में यह जो संशोधन किया है कि किसान पर और टैक्सेज़ बढ़ाये जावें, इसके लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये। प्रवर समिति इस सम्बन्ध में विचार करके उचित समझे, तो उसके बाद में इस बिल को पास किया जा सकता है। इसके अलावा मूल एक्ट की धारा में संशोधन किया है कि कोई भी किसान जमींन अगर बेचेगा, तो पहले जिस तरह से वह लिखित रूप में बेच सकता था, अब नहीं बेच सकेगा और अब उसको सरपंच से तस्दीक करानी होगी। अगर सरपंच वहां पर नहीं मिला तो उसे तहसील के पंचायत अधिकारी से तस्दीक करानी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि दिखने में और कहने में तो बहुत ठीक है कि आप सरपंच से या पंचायत अधिकारी से खुदस्तत करा लें, तो क्या एतराज़ है, लेकिन आप देखते हैं कि गांवों में आजकल पार्टीबाजी और दलबन्दी चल रही हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित पंच और सरपंच ही हैं। यह पार्टीबन्दी पिछले दो चार-सालों से बहुत ज्यादा चल रही है। इस प्रकार की पार्टीबाज़ी पहले कभी नहीं देखी गई थी और सरपंच इस पार्टीबाजी से अपने आप को किसी भी हालत में अलग नहीं रख सकते। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरपंच के बजाय अगर किसी को आपको रखना ही है, तो तहसीलदार को रख दें या इसके साथ में गांव के दो और मुखिया जोड़ दें तो ठीक रहता। अगर एक किसान जमींन बेचता है, तो जब तक तहसीलदार या सरपंच उस पर हस्ताक्षर नहीं करें, वह उसे नहीं बेच सकता। पार्टीबाजी में बंधने के कारण वह दस्तखत करने से इन्कार भी कर सकता है या पैसे भी मांग सकता है। जब पैसे मांगता है तो आप जानते हैं कि आजकल भ्रष्टाचार किस प्रकार फैल रहा है और अगर यह रहा, तो और भी ज्यादा फैलेगा। अगर आपको इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सरपंच के साथ साथ आप गांव के लोगों और मुखिया को जोड़ दीजिये, तो यह ठीक रहेगा। अगर आप यह नहीं मानते तो सरपंच के स्थान पर तहसीलदार जोड़ दीजिये। मैं समझता हूं कि इससे दोनों को फायदा होगा। माननीय उपाध्यक्ष, इन शब्दों के साथ मैं, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें कई कमियाँ हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे।

श्री मोहरसिंह (चूरू): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संशोधन पेश हुआ है, उसमें मेरा प्रस्ताव है कि उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में काश्तकारी कानून पर कहीं भी संशोधन आये उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस पर पूर्ण रूप से विचार करके सदन में उसको पास किया जाये और सदन के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार उसको पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही पास किया जावे जिससे फील्ड में जाकर काश्तकारों पर इसका अच्छा असर पड़े और आजकल वही कानून अच्छा कहलाता है काश्त-

(श्री मोहरसिंह)

कारों के लिये जो काश्तकारों को फायदा पहुँचाता है और जिसके लिए बार बार मैं यही कहता रहा हूँ कि किसान ही भारत की रीढ़ है, देश की रीढ़ है। जबकि हमारे यहाँ अनाज की कमी है, हमें किसानों को अन्न पैदा करने के लिए ज्यादा सहूलियतें देनी चाहिये, न कि उन्हें अन्न पैदा करने से रोका जावे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जावे। कुछ देर पहले एक संशोधन पास किया है जिसमें यह किया गया है कि राजस्थान केनाल एरिया में जो लोग बसेंगे उनको खातेदारी हक नहीं मिलेंगे, उन लोगों को खातेदारी राइट्स से वंचित रखा गया है। आज हम समाजवाद का नारा लगा रहे हैं, प्रगतिशीलता का नारा लगाते हैं और यह कहते हैं कि किसानों के लिए हम कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं, सरकार यह कानून बना रही है कि खातेदारी हकूक किसानों को कम से कम मिले। समझ में नहीं आता कि यह क्या मामला है। इससे साफ है कि हमको सरकार की ओर से एक हाथ से दिया जाता है उसको दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। इसके अलावा किसानों को यह कहा जाता है कि वे एस. डी. एम. के पास जाकर चार आने के स्टॉम्प पर दरख्वास्त पेश करके अपनी जमीन का हक हासिल करें और यह बताएं कि १५ अक्टूबर, १९५५ से पहले मैं इस जमीन पर काबिज़ था। काश्तकार लोग खेत में सुबह से शाम तक अनाज की खेती करता रहता है, उनको समय नहीं मिलता कि वे अदालतों में जाकर इस प्रकार की कार्यवाही करें। इसके अलावा वे अनपढ़ भी होते हैं, इसलिये उनके लिये तो यह एक तकलीफ ही पैदा की गई है कि वह एस. डी. एम. के पास अदालत में जावे और कहे कि मुझे खातेदारी हक मिले। यह तो मामला हमें किसी प्रकार समझ में नहीं आता। किसान क्यों जाये। हम इस प्रकार का कानून बना कर समाजवाद का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस प्रकार का कानून बना कर किसान के लिये अड़चन ही पैदा करते हैं। मैं समझता हूं कि यह कानून किसान के हित में अच्छा नहीं है। आज हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम बढ़िया से बढ़िया कानून बनायें, जिससे किसान तरक्की करे। आज अनाज की कमी है और अच्छे कानून से किसान ज्यादा अन्न पैदा करेगा और इससे अनाज की कमी पूरी होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह निश्चय ही अड़चन वाली चीज़ है कि किसान एस. डी. एम. की अदालत में जाकर दावा पेश करे। इससे अच्छा तो यह होगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे जहां इस पर विचार होगा। किसान क्यों जाए अदालत में। सरकार के पास सारा रेकॉर्ड है, उसको खातेदारी अधिकार मिल चुके थे, रेकॉर्ड सरकार के पास होते हुए भी यह किसान पर बोझा क्यों डाला जा रहा है कि वह एस. डी. एम. की अदालत में जाकर अर्जी पेश करे। इसका नतीजा यही होगा कि किसान को अपने रेकॉर्ड का पता लगाने के लिये लोगों को रिश्वत देनी होगी और इससे रिश्वत का बाज़ार गर्म होगा। इसके अलावा इन सारी चीजों का नतीजा आपको क्या मिलेगा। नतीजा वही मिलेगा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। पहिले तो जो काश्तकारी कानून में गुंजाइश रखी उसके तो मरीज किसान हैं ही और आज यह एस. डी. एम. की अदालत

(श्री मोहरसिंह)

में दावा पेश करेंगे कि उनको खातेदारी हक मिल चुके हैं, मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी जबर्दस्त रुकावट उनके खेती के काम में होगी। इसको हमें महसूस करना चाहिये। और यह जिम्मेदारी सरकार को खुद ब खुद लेनी चाहिये कि क्या किसान खातेदारी राइट्स से वंचित हो जाता है, उससे वह छूट जाता है या मुस्तस्ना हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेन्ट ले सकती है और उसको लेनी चाहिये। इसलिए इन सारी बातों के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये।

३ म० प० –

छठे क्लॉज में दूसरी चीज़ आई है...

"within four years from the date of the commencement of this Act..."

चार वर्ष कितने प्रपन्च से, कितने चक्कर से भरे हुए शब्द है। सन् ५५ से चार वर्ष। कितना अर्सा हो गया। आप और हम विचार सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम तो काश्तकारों को सहूलियतें पैदा करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि काश्तकारों को हर प्रकार की सहूलियतें मिलें, उसके लिए हर प्रकार से कोशिश करते हैं। और इसीलिए चौथा अमेंन्डमेंट पास करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि महीने, दो महीने के बाद जनता को मालूम पड़ेगा तो ८ महीने का ही समय रह जायगा। फिर वह एस. डी. एम. के पास जाकर दर्ख्वास्त करेगा, कहेगा कि मेरे खातेदारी राइट्स छीने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक जबर्दस्त चक्कर है और उसके मार्ग में एक जबरर्दस्त रोड़ा है जो आज के ज़माने के अनुकूल नहीं है, जो समाजवाद का दावा करते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं उसके अगेन्स्ट में वह धारा है जो काश्तकार के लिए मौजू नहीं है, वह उसकी प्रगति में बाधक है; उसके लिए घातक है। वास्तव में कानून बढ़िया वही हो सकता है कि जो छोटा और संक्षिप्त हो, जिसमें सारे पहलू सरलता से समझे जा सकते हैं, जिसमें इस प्रकार की पेचीदगियां न हों, जिसका फील्ड में एक्शन बढ़िया हो, जिससे किसानों को सहूलियतें मिलें, किसान निश्चित होकर ज्यादा से ज्यादा अन्न की खेती करें, देश की जरूरत को पूरा करें, उसके मार्ग में इस प्रकार की अड़चने न हों और यदि कोई उसके मार्ग में अड़चने हों तो वह साफ करें। यह हमारा काम नहीं है कि इस प्रकार के कानून पास करके उनके मार्ग में सहूलियतों के बजाय रोड़े अटकायें, उसके मार्ग को अवरुद्ध करें। सहूलियतों के बजाय आज उसके मार्ग में हम उलझने ही डाल रहे हैं। इन सारी बातों के लिए मैं कह रहा हूँ कि यदि यह सिलेक्ट कमेटी में आ जाय तो वहां वे सारी उलझनें और अड़चनें दूर हो सकती हैं।

एक अड़चन और आई है जो मेरे माननीय साथी द्वारा साफ कर दी गई कि धारा ३५ के अन्दर नवें क्लॉज़ के अनुसार अमेन्डमेंन्ट लाया गया है कि एक 'any other charge' के बाद 'imposed by law' शब्द जोड़े जायं।

एक तरफ तो किसान के लिए प्रगतिशील कानून बनाने का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ इस प्रकार की लूपहोल्स रखना चाहते हैं, उनके लिये गुन्जाइश रखते हैं, क्या खूब, बहुत प्रगति कर गये, बड़े ऊंचे चढ़ गये जहां अन्न का डेफिशिट है, कमी है।

(श्री मोहरसिंह)

किसान पर कर्जा अब भी बढ़ता जा रहा है और उस किसान पर फिर तरह तरह की चीजें लगा दें, टैक्स लगा दें और कहें कि बड़ा प्रगतिशील कानून बनाया है हमने, पटवार जैसा टैक्स उन पर हो और और चीजें टैक्स के रूप में हो। तो यह सारा एक चक्कर है, एक षडयन्त्र के रूप में है और यह हमारे सामने उसी रूप में आ रहा है। मैं बड़ा जरूर बोल रहा हूं इसलिए कि हम लोग भुक्तभोगी हैं। चाहते और कहते हैं कि पटवार टूट जाना चाहिये और ग्राम पंचायतों को अधिकार मिल जाने चाहिये। लेकिन इन चक्करों के तो दुबारा लागू करना चाहते हैं। उन सारी चीजों को रखना चाहते हैं। टिनेन्सी एक्ट की मूल धारा में यह रखा गया हैं कि ग्राम पंचायतें और ग्राम के नम्बरदार अटेस्टेशन करें तब जा कर जमीन दे सकते हैं और वह सरेंडर हो सकती है। माननीय सदस्यों को मालूम है और जो खास तौर पर गांवों में रहते हैं उनको मालूम है अच्छी तरह कि आज डेमोक्रेसी में इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ग्राम पंचायतों को ये अधिकार मिलने चाहिये, वे ग्राम के ज्यादा नज़दीक हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि उनका सदुपयोग हो। हम राजस्थान में तीन चार वर्ष से पंचायतों को देख चुके हैं कि किस तरह से पंचायतों में पक्षपात फैला हुआ हैं और आज भी पक्षपात बढ़ता जा रहा है और उन्हीं पंचायतों, जिनके पंचों की अभी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। को अधिकार देना किसानों की प्रगति के मार्ग में और ज्यादा रुकावट लाना है। इसलिए इन सब बातों के लिए विचार करने की आवश्यकता है। कौनसी चीज और अधिकार आज इस प्रजातंत्र के युग में किसानों के हित में है इन सारी बातों को विचारने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय जहां कि उन सब बातों पर विचार किया जा सके और उन सब बातों को कन्सोलिडेट कर के वह हाउस के सामने रख सके। इसलिए मैं हाउस के सामने प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय की ओर से जो फोर्थ अमेन्डमेन्ट बिल आया है उसको सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिये। इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद कि किसानों को अधिक से अधिक क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं और जिससे यह बिल अधिक से अधिक प्रगतिशील है, यह कहा जा सके और उस प्रगतिशीलता के नारे को पूरा किया जा सके। इन शब्दों के साथ इसको सिलेक्ट कमेटी में रखने का मेरा प्रस्ताव है। ये दो शब्द मैंने इस पर कहे है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून मकड़ी का एक जाला है, जिसमें से वकील लोग फाड़ कर निकल जाते हैं, और गरीब लोग फंस जाते हैं। यहां भी टिनेन्सी कानून बनाया गया। टिनेन्सी कानून जब राजस्थान में निकला तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि बड़ा प्रगतिशील कानून किसानों के लिए निकला है। बड़ी वाहवाही हुई, तारीफ हुई। लेकिन सवाल पैदा होता है फिर यह अमेन्डमेन्ट्स पर अमेन्डमेन्ट, संशोधन पर संशोधन क्यों ! और संशोधन लाने का जो तरीका है वह भी बड़ा सुहावना है। मैंने उस तरीके को देखा है और जब कोई सेक्शन ४, राजस्थान टिनेन्सी

Page No.77

(श्री मूलचन्द डागा)

(फोर्थ अमेन्डमेन्ट, बिल को पढ़ता है, पहला वाक्य पढ़ते ही उसको मालूम होता है कि बड़ा अच्छा संशोधन है। ऑबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स दिये हैं। इनमें पहले १५ (ए) को तो टच नहीं किया। टच करने का भी एक तरीका है। पहले सेक्शन ५५, ५६ को रखा है और उसके बाद १५ (ए) को रखा है। यह नहीं कि पहले ही सेक्शन १५(ए) को ले लें, सेक्शन ३५ को ले लें ' लेकिन पहले रखा है सेक्शन ५५, ५६। इससे यह मालून होगा कि बड़ा अच्छा अन्मेडमेन्ट ला रहे हैं। जिससे काश्तकारों की रक्षा हो रही है, ग्राम पंचायतों से अटेस्टेशन नहीं होता है इसलिये पढ़ने वाले, भरोसा करते हैं और मैंने भी पहले पढ़ा और देखा तो लगा कि बिल्कुल ठीक अमेन्डमेन्ट है, आगे देखा तो उल्टी धारा चल रही है सेक्शन ५५ के बाद सेक्शन १५ (ए) आ रहा है। अगर आप स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में पहले ही सेक्शन १५ (ए) रखते हैं, जिसके ज़रिये हम उन काश्तकारों को बेदखल करते हैं और उनको अधिकारों से वंचित करते हैं जिन अधिकारों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तब लोग समझते हैं कि इसका विरोध करना चाहिये और मैं ठीक कहता हूं कि आप पूरे एक्ट को पढ़ ले। सिलेक्ट कमेटी में जाने का सवाल इसलिए पैदा होता है कि हम में से कई लोग कोर्टस् में मुकदमा लड़ने नहीं जाते। व्यवाहारिक दृष्टिकोण को भली भाँति समझ नहीं पाते, सेक्शन १५ (ए) में डिक्लेरेशन वर्ड को क्यों रखा गया है। एक सामान्य कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत पहले से काश्तकार खातेदारी हक पर काबिज़ हैं। आपने सेक्शन ८८ और दे दिया, जिसके अन्तर्गत हर व्यक्ति खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसी चीज में माननीय मंत्री महोदय का खुद का अमेन्डमेन्ट है, जिसके द्वारा काश्तकार को अधिकार देते हुए भी अगर कोई लड़ने वाला काश्तकार होगा, जिसके पास पैसा काफी होगा तो वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ कर तय करवायेगा कि जब उनको एक दफा खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं, तो उसके लिये क्या जरूरत है कि वह डिक्लेरेशन करने जाय। क्योंकि आपके कानून १५ (ए) के सेक्शन द्वारा उसको कानूनी अधिकार मिल चुका है, उनको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, इस प्रकार के लोगों को खातेदारी राइट्स ग्रान्ट करेंगे, डिक्लरेशन का दावा करें या दर्ख्वास्त करें इन पाइन्ट्स के आधार पर सिलेक्ट कमेटी में जाने की क्या जरूरत है।

दलित जातियों को फ्री जमीन धारा १०० और १०१ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार देने का तय हो चुका है। राजस्थान लैन्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा १०१ के अन्तर्गत बने नियमों के आधार पर आप फ्री लैन्ड डिस्ट्रिब्यूट करेंगे। आप उसमें लिख रहे हैं: "Provided that nothing in the Section shall bar the recovery of the price of land allotted..." आपने सेक्शन १०१ के अन्तर्गत जमीन अलॉट की, दलित जाति के काश्तकार को, उस बेचारे ने मेहनत करके जमीन को ठीक किया, उसको आप रिकवर कर सकते हैं। धारा १०१ के अन्तर्गत आप अलॉटमेन्ट करते हैं, अलॉटमेन्ट के रूल्स बन चुके, वैसी हालत में अब क्या जरूरत है कि इस सेक्शन को फिर रिपीट करें ?

तीसरी बात यह कि जब आप यह मान चुके हैं कि जो जोते उसकी जमीन और जो बोवे उसका खेत और विनोबा भावे की इस

Page No.78

(श्री मूलचन्द डागा)

वाणी को कांग्रेस ने माना है। उसी के अनुसार अपना एग्रीकलचर प्लान सरकार चला रही है, फिर ऐसे प्रगतिशील कानून के अन्दर जहां राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का बहुमत होगया लेकिन उस बहुमत को कम करने की कोशिश अब की जा रही है। स्टेट होल्डर्स जो हैं, जो सेक्शन १६ के अन्तर्गत खातेदार हो गये, आप उनकी रक्षा के लिये प्रोविज़न बनायें। सेक्शन १३ में हम मानते हैं कि एक काश्तकार जो खातेदार बन चुका है। उस १६ (ए) में एड करना चाहते हैं: "Provided that upon the estates holder..." इसमें यह भी करना चाहते हैं, अगर कोई खुदकाश्त जमीन काफी प्राप्त कर चुका है और उस हालत में उसको खातेदारी हक मिल चुके हैं, खुद काश्तकार नहीं फर्द गिरदावरी में खुद का नाम काश्त करने वालों में दर्ज है, और वास्तव में काश्त करने वाला दूसरा आदमी है, अब आप कहते हैं कि उनको सब टिनेन्ट घोषित कर दें। एक काश्तकार जो बराबर दस साल से काश्त करता चला आ रहा है, उसको भी आप कह सकते हैं कि तुम कभी भी टिनेन्ट नहीं बन सकते। क्या आपका प्रगतिशील कानून यही है ? आप उनको एक इनाम देना चाहते हैं और वह यह कि तुम सब टिनेन्ट हो और तुम्हारा शोषण करने के लिये टिनेन्ट मौजूद हैं। आप उनको इस हक से वंचित क्यों नहीं करते ? जिसने दस साल तक जमीन को जोता नहीं और जब आप चाहते हैं ज्यादा अनाज पैदा हो, हमारी एग्रीकल्चर की स्कीम बढ़े, जब आप उसको जमीन का मालिक बनाते नहीं, तो वह कैसे इस कार्य में योग दे सकता है ? जिस काश्तकार को १३ (ए) में पॉवर्स मिल चुके हैं, जिसकी जमीन है, उसको खातेदार घोषित कर दिया जायगा। उसके बाद हम

३.१८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

यह चाहते हैं, जो लोग काश्तकार है वर्षों से, उनको सब टिनेन्ट घोषित न किया जाय और न उसको खातेदारी अधिकार दिये जायें। सारे क्लॉजेज़ ७, ८, ९, १०, के ऊपर माननीय मंत्री महोदय के अमेन्डमेन्ट्स हैं, उन अमेन्डमेन्ट को पढ़ लीजिये। उससे आपको मालूम होगा कि ऐसे बिल को सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये और वहीं पर इस बारे में डिस्कशन हो सकता है। आवश्यकता हो तो जो रातदिन इन मामलों को डील विथ करते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है और जिस क्षेत्र के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उन लोगों की भी राय ली जा सकती है.......

"Any person claiming that he possesses and is in enjoyment of Khatedari rights in any land referred to in sub sectiem. 1..."

If he is in enjoyment of khatedari rights and even then he can go to the court of law. it means you ask him to go to a court and get an order from the court that he should be declared as a khatedar आपका यह मतलब पहले प्रोजम्पशन है than any person claiming that he possesses and is in enjoyment of Khatedari rights...'. फिर इसको अधिकार देते हैं।

मैं इस स्टेज पर आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि सेक्शन चार पर जो अमेन्डमेन्ट रखा है, वह सारे क्लॉजेज़ में है, इस पर कानूनी दृष्टि से, छिद्रान्वेषण की दृष्टि से विचार करना बहुत आवश्यक

(श्री मूलचन्द डागा)

है । यहां पर हम विचार नहीं कर सकते । अगर हम इस प्रकार का संशोधन कर देते हैं, तो हमारे आगे आने वाले प्रगतिशील कानूनों के लिये बाधा उपस्थित होगी ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है, उसका मैं विरोध करता हूँ । विरोध करने का कारण यह है कि यह एक छोटा सा बिल है, यह किसानों के हित के लिये बनाया गया है, इसमें डिले करने की आवश्यकता नहीं है । इसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि धारा २ में, कि अजमेर, सुनेल एरिया को इसमें मिलाने का सवाल है । इसके बाद धारा ३ में, जागीर रिज़म्पशन और जमींदारी एबॉलिशन हुआ है, इस प्रकार एबॉलिशन शब्द को भी एड करने के लिये रखा है । इसलिये इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय । इसी प्रकार एक अमेन्डमेन्ट है कि चार आने के बजाय २५ नये पैसे किया गया । इसमें एक राज्य सरकार ने रियायत भी दी है, छः आने के बजाय ३५ नये पैसे का प्रोविज़न है, जब कि छः आने के ३७ नये पैसे होते हैं ।

जब कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के रूल्स के अनुसार ६ आने के ३७ नये पैसे होते हैं, इसमें दो नया पैसा टैक्स और कम कर दिया है । (हंसी) तो यह ६ आने वालों के साथ रियायत कर दी गई है . इसलिये यह कह देना कि यह बिल आया है, इसमें समाजवादी सिद्धान्त नहीं है और किसानों पर तबाही आने वाली है सो यह कहना ठीक नहीं है ।

मान लीजिये एक जगह खातेदारी राइट्स मिल गये, जैसे राजस्थान केनाल एरिया है, वहां आगे जाकर लैंड डेवलप होने वाली है, वहां किसी ने दर्ख्वास्तदी कि खातेदारी राइट्स दे दिये जावें, तो इसमें क्या गुनाह है । वह भी चार आने के कागज़ पर दरख्वास्त एस० डी० ओ० को देगा । अब इससे होगा क्या ? अभी तक किसी ने भी कह दिया कि मेरे खातेदारी अधिकार हैं, पर वास्तव में उसके हैं नहीं, तो इससे एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हो जावेगा । किसी को अगर कोई सन्देह हैं तो वह दूर हो जावेगा । जिसका हक है उसको वह बराबर मिलेगा । सरकार उसका हक उसको देने से कब डिनाई कर रही है ? इसलिये २५ नये पैसे की अगर दर्ख्वास्त दे देगा तो कोई गुनाह नहीं हो जावेगा ।

इसके बाद धारा ५५ में एक अमेन्डमेन्ट है । इसमें यह है ग्राम पंचायत के अभाव में तहसील पंचायत काम करेगी । पहले म्युनिसिपैलिटी थी ओरिजिनल बिल में। म्युनिसिपैलिटी से किसान का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री तनसिंह : वह तो अब भी है । तहसील पंचायत पहले भी थी ।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : फिर तहसील पंचायत को अधिकार दिये गये हैं ।

(हंसी)

तो इसी प्रकार से कहा गया पंचायत के बारे में कि पंचायतों को अधिकार देने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा । यह समझ में नहीं आया जब जन प्रतिनिधि वे हैं, किसानों ने चुनकर उन्हें वहां भेजा है, किसानों के द्वारा ग्राम पंचायतें चुनी जाती हैं, तो अगर वे काम

(डॉ. बहादुरसिंह)

करती हैं तो भ्रष्टाचार कैसे बढ़ गया ? यहां हम भी जन प्रतिनिधि हैं, चुनकर आये हैं इसी तरह से वे हैं। तो यह तो वहां के लोगों के देखने की बात है। फिर अब तो यह भी प्रश्न ही नहीं, क्योंकि गुप्त मतदान होगा। फिर कैसे भ्रष्टाचार बढ़ेगा ? इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो संशोधन आये हैं, उन पर भले ही विचार किया जा सकता है, उन पर यहां पूरी बहस की जा सकती है, और संशोधन लाये जा सकते हैं। तो इस दो नये पैसे का फायदा किसान को अवश्य उठाने देना चाहिये। (हंसी) धारा १२ में है। चार आना, छः आना और आठ आना। अब छः आने के ३५ नये पैसे कर दिये। चार आने के तो २५ हैं ही और आठ आने के ५०। वैसे सरकार के रूल के अनुसार छः आने के ३७ नये पैसे होते हैं। तो यह दो नये पैसे कैसे कम कर दिये ? सरकार आजकल टैक्स कम नहीं करती, फिर यह टैक्स कम कैसे कर दिया ?

श्री सभापति : सिलेक्ट कमेटी में ५० के ३७ रह जावेंगे शायद।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : इसलिये किसान के हित के लिये प्रस्ताव वापिस ले लें तो उत्तम है।

(हंसी)

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अब एक माननीय सदस्य ने इस संशोधन प्रस्ताव के विरोध में कुछ बातें कहीं। उन्होंने यह बताया कि यह किसान के हित में है। पहली बात तो उन्होंने यह निकाली कि छः आने की जगह ३५ नये पैसे हो गये। दो पैसे का फायदा हो गया। लेकिन इस बिल की जिन जिन धाराओं में परिवर्तन और परिवर्द्धन किया जा रहा है और उससे जो महत्वपूर्ण अन्तर सिद्धान्तों में लाया जा रहा हैं, वह दो पैसे से कहीं अधिक महत्व का है। यदि ३८नयेपैसे की जगह ३७नये पैसे हो जाते तो कोई खास अन्तर नहीं पड़ता। पर अन्तर इस बात का है कि हमने धारा १५, जो पहले एक्ट में थी, के मुताबिक कानून में अक्टूबर १६५५ के बाद में एक सिद्धान्त स्वीकार किया कि जो भूमि पर काश्त करता है उसको उस भूमि पर खातेदारी हकूक मिलते हैं। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद में इसमें हमने एग्जम्प्शन रखा १५ (ए) को लागू करके और इस को लागू करने के बाद में यदि १५ (ए) का पूरा इतिहास देखा जावे तो मालूम होगा कि सरकार स्वयं इसमें निश्चित नहीं थी। पहले पहल उसने निश्चित भूमि पर, शायद चम्बल एरिया पर लागू किया। इसके बाद संशोधन करके केनाल एरिया चम्बल और जवाई एरिया पर लागू किया और अब इसके बाद में थर्ड अमेन्ड-मेन्ट बिल जो एक्ट के रूप में आ गया है, उसमें जितने भी हक मिल सकते थे, उनको डिनाई कर दिया और अब इसके बाद में फोर्थ में उनके हक को स्वीकार किया। पर शर्त यह रखी है कि जो यह मानते हैं कि १६५५ के अक्टूबर से पहले पर्मानेन्टली जमीन जिनको मिल चुकी है, तो उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एस० डी० ओ० के दफ्तर में २५ नये पैसे की दरख्वास्त देकर। अगर ५५ में सामान्य किसान के लिये लागू करते

(श्री तनसिंह)

तो ठीक था। पर उनके लिये तो यह कहा कि कानून लागू होते ही खातेदारी के राइट्स मिल गये और पटवारी इसका इन्दराज कर देगा। हमने विशेष परिस्थिति केनाल एरिया की रखी है। अब यह कहते है कि हमने उनको खातेदारी हक जो पहले दे दिये और संशोधन में ले लिये थे, वही दे रहे हैं, तो भी सिद्धान्त की बात होती। पर दरअसल में देखा जावे तो हमने एक ओर वे अधिकार दिये हैं, तो वह देने की बात दिखावा-मात्र है। कारण इसका यह है कि हम हर किसान से यह एक्सपेक्ट करें कि वह चार साल के भीतर अपनी दर्ख्वास्त दे और एक डिक्लेरेटरी स्यूट दे, तब हकदार हो सकता है और इसके बाद ही रेकॉर्ड ऑफ रैंट में तब्दीली की जा सकती है। यदि हम मानते हैं कि १६५५ की अक्टूबर के पहले जिन किसानों को भी केनाल एरिया में भूमि पर्मानेन्ट अलॉट हुई है, तो उन्हें खातेदारी हकूक मिल गये। यदि नियम साफ है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, तो डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं रहती। पटवारियों को अपने आप रेकॉर्ड को देखकर उसके आधार पर जांच करके खानापूर्ति कर लेनी चाहिये। इसके बाद डिक्लेरेशन कराने की स्थिति तो तब पैदा होती है जब कोई डिस्प्यूट होता है।

माननीय सभापति महोदय, यह डिक्लेरेशन की हालत भी तब पैदा होती है जब किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई हक में डिस्प्यूट पैदा होता है। हमारे यहां पर डिस्प्यूट का सवाल नहीं है। इस कानून के मुताबिक हर किसान को जो क्लेम करता है कि मेरा यह राइट है, उस हर क्लेमेन्ट को यह डिक्लेरेशन करना आवश्यक रहता है। तो सिद्धान्ततः खातेदारी के हक लेकर जो भूमि को काश्त करता है और जिसके दावे को स्वीकार किया गया है, वह सामान्य रूप से नहीं पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार किया, पर एक्सैप्शन लगा दिया, जो कि व्यर्थ है। समय रक्खा है चार साल का, from the date of the commencement of this Act. यह एक्ट अक्टूबर, १६५५से लागू हुआ। इस तरह चार साल का अर्सा होता है, अक्टूबर ५६ में। अब ११ महीने इस में शेष रहे हैं। हम एक ओर जहां इतने बड़े इलाके में, जिसमें गंगानगर का एरिया है, राजस्थान केनाल का एरिया है, जवाई और चम्बल का एरिया है, १६५५ से पहले जिन लोगों को स्थायी तौर पर जमीनें दी जा चुकी हैं, वे कितने होंगे, किसान कितने होंगे, यह इस समय अनुमान लगाना भी मुश्किल है। यदि सरकार इस स्थिति में है कि सरकार के पास आंकड़े हैं, तो आंकड़ों से स्पष्ट कर सकती थी कि वह तो सिर्फ पांच दस ही आदमी है या पांच पचास है, तो समझा जा सकता था कि ११ महीने का समय उन थोड़े से आदमियों के लिये काफी हैं। पर प्राइमाफैसी हम तो यह समझते हैं कि हजारों आदमी ऐसे होंगे, इतने बड़े इलाके में, जिनको अक्टूबर १६५५ के पहले अलॉट कर दी गई थी भूमि, तो फिर ११ महीनों में उनको कितना श्रम, कितना कष्ट और कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? ११ महीने के अन्दर सबको दावा दाखिल करना पड़ेगा। यह भी साथ साथ है कि यदि एक दावे के अन्दर कोई कानूनी नुक्स रह गया और दावा रिजेक्ट हो गया तो उसकी मियाद चली जाती है दावा पेश करने की। इस तरह से जो समय दिया गया है चार साल का वह केवल गुमराह करने का समय है। इसके

(श्री तनसिंह)

अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण अमेन्डमेन्ट है सरेन्डर करने के बारे में और वह यह है सरेन्डर करने के बाद में कब्जा देने की बात। अभी जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था, उन्होंने बताया था कि बड़ा सुन्दर अमेन्डमेन्ट है सेक्शन ५५ में। और सेक्शन ५५ में अमेन्डमेन्ट यह है कि पहले तो अटेस्टेशन कराना पड़ता था ग्राम पंचायत के सरपंच से और यदि ग्राम पंचायत का सरपंच न हो और अगर कहीं पर ग्राम पंचायत फंक्शन नहीं करती हो तो 'Headman of the village where there is no Grampanchayat' याने Headman of the v llage. का सवाल था। अब रखा गया है तहसील पंचायत। यदि यही बात होती तो एतराज की बात नहीं होती, मगर किसी जगह हैडमेन न हो, विलेज पंचायत भी नहीं हो तो उस समय तहसील पंचायत का रखना ठीक है। गावों में पंचायतों में आपस में पार्टीबाजी भी होती है, लेकिन फिर भी यदि तहसील पंचायत रखा जाता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है, यदि गौर से हम सैक्शन ५५ को और जो उसका अमेन्डेड रूप होगा, उसको देखें तो उसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात इसमें नजर आती है। सेक्शन ५५ में तो था, "surrender his holding by giving up possession thereof in writing..." तो इसका अर्थ यह था कि पज़ेशन देने का तरीका क्या है, यह सेक्शन ५५ में स्पष्ट था। पजेशन देने का तरीका था, केवल एक लिखित रूप में यदि कोई चीज लिख दी जाये कि मैंने अमुक भूमि पर अपना कब्जा छोड़ दिया है और वह लिखित है और वह किसी के द्वारा अटेस्टेड हो जाये, पंचायत के सरपंच द्वारा, तो वही काफी माना जाता है लेकिन इस समय यहां पर जो अमेन्डमेन्ट किया है उसके मुताबिक यह इस प्रकार हो जायगा : "may surrender his holding by giving up his possession thereof accompanied with a writing attested by a Sarpanch" इसका अर्थ यह होगा कि सरेन्डर पज़ेशन देकर करना है, तो वह सरेन्डर किस तरह से कर सकता है। एक तो गिविंग-अप पज़ेशन है then it should be accompanied with a writing. तो giving up possession with a writing की बात, दोनों अलग अलग हो गईं। पहले तो था giving possession in writing. पजेशन यदि राइटिंग में दे दिया गया है, लिखित में दे देते हैं, तो वह माना जाता था और इस समय accompanied with a writing attested by– तो वह पज़ेशन का देना, कब्जे का देना, अलग किया हो गई और जो लिखा हुआ है उसे देना दूसरी बात हो गई। इन दोनों को एक-सा होना चाहिए। यदि पजेशन दिया गया तो राइटिंग में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं पज़ेशन का क्या स्वरूप होगा। फिज़िकल पज़ेशन किस प्रकार से भूमि का होगा। वह तरीका यही होता है कि लिखित में हम लिखकर दे दें कि अमुक भूमि पर कब्जा दे दिया और अमुक भूमि पर जिस समय कब्जा करा दिया, यही काफी माना जाता है। लेकिन यहां पर इसके साथ ही साथ इस प्रकार का कब्जा किस प्रकार दिया जायेगा यह साफ नहीं है और accompanied with a writing से स्पष्ट हो गया तो हमें फिज़िकल तौर पर कब्जा देना पड़ेगा। अब उस फिज़िकल तौर के कब्जे में क्या स्थिति होगी, क्योंकि अब लैण्ड होल्डर्स केवल जागीरदार ही नहीं रहे, केवल वही आदमी आज लैण्ड होल्डर्स नहीं हैं जो जागीरदारों के नाम से कहलाते थे बल्कि

(श्री तनसिंह)

अब तो लैण्ड होल्डर स्टेट स्वयं हो गई । मैं ऐसी अवस्था पज़ेशन देने की बात यदि लिखित में तहसीलदार को दे देते हैं, तो यही पर्याप्त नहीं माना जाये, बल्कि तहसीलदार को या पटवारी को मौके पर ले जाकर सिम्बोलिक पज़ेशन देना होता, इस प्रकार की बात इस नये प्रकार के संशोधन से दिखाई देती है । तो मैं नहीं समझ पाता कि यह अड़चन नई क्यों लगाई गई है, कैसे यह पज़ेशन इसके स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में बताया गया है ? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय मन्त्री महोदय किस प्रकार गुमराह करने की चेष्टा करते हैं ? आपने बताया सेक्शन ५५ में जो अमेन्डमेन्ट है, उसका कारण : "one of the important amendments proposed to be made is in sections 55 and 56 of the Act relating to surrenders. There is reason to believe that surrenders are often obtained from cultivators by unlawful means. It is, therefore, considered necessary to provide that no surrender shall be deemed to be valid unless evidenced by a duly attested writing." अब यहां हमारे सामने जो तस्वीर रखी गई है, वह यह है कि गलत तरीके से और अवैधानिक तरीके से किसानों से वह जमीन हड़प ली जाती है, लेकिन वास्तव में देखा जाये तो जहां इसको इतना स्पष्ट करने की आवश्यकता है, उसमें एक और अड़चन लगाई जाये कि अटेस्टेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, तो ठीक है लेकिन यहां पर बात दूसरी है । अब तो लैण्ड होल्डर जागीरदार नहीं रहे, बल्कि स्वयं स्टेट हो गई और जागीर रिज़म्पशन के बाद में अब वह चीज तो स्वयं स्टेट पर लागू होती है । ऐसी अवस्था में यह जो कार्यवाही संशोधन १० के द्वारा जो सैक्शन ५५ में करते हैं, उसके साथ साथ एक और कठिनाई पैदा हो गई । इस सरेण्डर का क्या अभिप्राय होता है ? यदि इस समय कोई व्यक्ति भूमि सरेण्डर करता है तो वह जमीन सरेण्डर की जाती है, क्योंकि जुलाई, १६५४ के बाद में सारी जागीरों का रिज़म्पशन हो चुका है । अब ऐसी बहुत ही कम जागीरें हैं जिनका कि रिज़म्पशन नहीं हुआ है । तो अब उसके बाद में जो सरेण्डर की गई हैं जमीनें, उनके ऊपर कोई और असर नहीं पड़ता है ! उनके ऊपर तो असर इतना ही पड़ता है कि आगे की साल का लगान काश्तकार से वसूल नहीं किया जायेगा, यदि जमीन फर्स्ट मई से पहले सरेण्डर कर देते हैं । लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने इसको क्लिष्ट बनाने की चेष्टा सिर्फ इसलिए की कि यदि समय पर कोई आदमी सरेण्डर कर देता है तो इमीजियेटली उसको अलॉट नहीं की जा सकती । ऐसी अवस्था में उसके सरेण्डर को वैलिड नहीं बता कर उसे गलत बता देते हैं और उससे लगान वसूल करने का दूसरा तरीका ईजाद करते हैं । बस यही एकमात्र इस क्लॉज़ का अभिप्राय लगता है ।

इसके अतिरिक्त एक और रोचक संशोधन है, वह है क्लॉज़ १२ के पार्ट (ii) में :—

"for the words 'one year' in column 4, the words 'three years' shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted."

अब आर्टिकल सीरियल नम्बर ६८ में यह था :—

"Application for ejectment of Ghair Khatedar tenant, tenant of Khudkasht or sub tenant:—

(श्री तनसिंह)

(i) under clause (a) and (b)......

(ii) under clause (b) and (c)......"

एक साल की मियाद को तीन साल तक बढ़ाई। अब इसका वास्तविक अध्ययन करें, तो प्रतीत होगा कि यह एक ऐसा कानून बन रहा है कि जैसे ही कानून शुरू हो उससे पहले उसकी मियाद खत्म हो जाती है। तीन साल की मियाद, सन् १६५५ के अक्टूबर से अक्टूबर ५८में खत्म होगी, इसलिए आज हम नवम्बर, ५८ में बैठ कर कानून पास कर रहे हैं और उस कानून को तीन साल ही हुए हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इस कानून को पास करने का अभिप्राय क्या था? या तो अभिप्राय यह हो सकता है कि ऐसे इजेक्टमेंट जो सन् १६५५ के अक्टूबर के बाद में हुए हैं, एक साल के बाद याने १६५६ के बाद ऐसे इजेक्टमेन्ट हुए हैं जो कानून के अन्तर्गत ठीक नहीं हैं और जो इजेक्टमेंट हो चुके हैं, उनको ठीक तरह से करने के दृष्टिकोण से यह अमेंडमेंट किया जा रहा है। जैसे तीन साल की अवधि हुई, तो इस बीच में यदि कोई इजेक्टमेंट हो गया तो कानून के द्वारा वह इजेक्टमेंट ठीक इजेक्टमेंट माना जायगा। वर्ना तो उसकी बाद में, किसी स्थान पर अपील होती। तो अपील कोर्ट में १६५६ के बाद पेश होती है, इसलिए वह टाइम बार्ड है। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस महत्वपूर्ण चीज को क्यों ३ साल के बाद में परिवर्तित करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे यह मालूम हो सके कि तीन साल के बाद में अवधि बढ़ाने का क्या अभिप्राय है? और वह अभिप्राय इसी स्थिति में है कि तीन साल की मियाद बढ़ानी है। तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। दिसम्बर १६५६ में करते हैं, जब कि उसका प्रभाव खत्म हो गया है अक्टूबर सन् १६५८ में। तो यह स्थिति इस कानून में है।

मैं मानता हूं कि इसमें कई बातें केवल कॉन्सीक्वेन्शियल हैं, बिल्कुल फोर्मल तरीके की है, जैसे कि एक, दो और तीन क्लॉजेज़ हैं, वे बिल्कुल फोर्मल हैं, और इनके लिए कहीं भी कोई नहीं कहता है। लेकिन जिन माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया था वह उनकी एक आड़ थी लेने की। मेरा अभिप्राय है कि इसमें कई संशोधन महत्वपूर्ण हैं, जैसे १५ (ए) है, जिसका कि संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ में सेक्शन ५५ में संशोधन हो रहा है, वह भी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ जो शिड्यूल में संशोधन हो रहा है, वह भी इतने का इतना महत्वपूर्ण है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि माननीय मंत्री महोदय ने थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के सिलसिले में जोर से बड़े स्ट्रेनुअसली इस बात को प्रकट किया है कि हकूक पहले थे नहीं, ले कहां रहे हैं? उन्होंने बीकानेर का हवाला दिया कि बीकानेर में पहले यह जमीन टेम्प्रेरी अलॉट होती थी। मुझे खेद के साथ में आपका ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है कि यह मान लिया जाय कि बीकानेर में पहले वह आरजी तौर पर दी जाती थी, लेकिन इसका मतलब तो यह कभी नहीं होता है। उसके साथ साथ माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि एक भी जमीन ऐसी नहीं है, एक भी खेत ऐसा नहीं है जो पर्मानेन्टली अलॉट किया हुआ हो तो हम मान सकते हैं कि हम जिस ढंग से वहां पर विचार-विमर्श कर रहे हैं वे परिस्थितियां वहां नहीं हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदय पांचवां अमेंडमेंट लाते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार

(श्री तनसिंह)

करते हैं कि आरजी तौर पर काश्त के लिए दी हुई है भूमि, लेकिन किसी को जहां पर्मा–नेन्टली अलॉट की हुई है। इसका मतलब यह है कि चाहे वह १ पर्सेन्ट, २ पर्सेन्ट, १० पर्सेन्ट या २० पर्सेन्ट हो, कितने भी हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके राइट्स इस प्रकार से अफेक्टेड होते हैं। यदि उनके राइट्स अफेक्टेड होते हैं, तो स्पष्ट रूप से जो आर्ग्युमेंट माननीय मंत्री महोदय ने थर्ड अमेंडमेंट के सिलसिले में दिया था, वह उनके खिलाफ पड़ता है। वे कहते हैं कि राइट्स नहीं ले रहे हैं। हम मान लें थोड़ी देर के लिए, दरअसल में कोई राइट्स नही थे पहले, लेकिन ५५ के अक्टूबर में वे राइट्स दे दिये। उसके बाद में उन्होंने क्या क्या उसमें परिवर्तन किये होंगे। माननीय सभापति महोदय, हम बहुत जल्दी में ऐसे कानून पास कर रहे हैं, जिनके अन्दर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वॉल्ड हो सकते हैं, बड़े कॉम्पलीकेशन्स पैदा हो सकते हैं। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने १५ अक्टूबर, १६५५ के बाद में, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक उसने समझ लिया कि खातेदारी राइट्स एक्यू हो गये, उसको कभी भी मालूम नहीं हो सकता है कि माननीय राजस्व मंत्रीजी सन् १६५८ के अन्दर इस प्रकार का कानून लायेंगे, जिससे हमारे यह हकूक, जो हमको एक्यू हुए थे, इस कॉन्टीन्जेन्सी के द्वारा खत्म हो जायेंगे। उन्होंने गुड फेथ में उस जमीन पर मकान बना लिया है। जमीन पर कोई इम्प्रूवमेंट किया है, यदि उस जमीन को ट्रांसफर कर दिया है, तो उनका क्या परि–णाम होगा? यह इस एक्ट के अन्दर साफ नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति हो सकती है १६५५ के अक्टूबर के अन्दर सभी राजस्थान के काश्त-कारों को हकूक दे दिये खातेदारी के, और किसी प्रकार से कहीं भी चाहे, वह केनाल एरिया में हों, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखा था। ऐसी स्थिति में उन सब काश्त-कारों ने अपनी जमीन की बहबूदी के लिए पैसा लगाया होगा, इम्प्रूवमेंट किये होंगे, मकान बनाये होंगे, और इसके साथ साथ किसी न किसी ने उसको ट्रान्सफर कर दिया होगा, ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं, तो उनका क्या परिणाम होगा? तीन साल से एक्यू हुए राइट्स को आज छीन रहे हैं, और कह रहे हैं कि वापिस प्रूव करो तो ऐसी अवस्था के अन्दर ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनको आज सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन वे कल सामने आयेंगी। हम कानून बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस आदमी ने बिना किसी बेई–मानी के, ईमानदारी से अपने हकूक को प्राप्त हुए मानकर पैसा लगाया, कुछ खर्चा किया, इसके अतिरिक्त डील विद् किया है, तो उस सबका इस कॉन्टिन्जेन्सी के ऊपर विचार करना है और देखना है भविष्य में।

इस पर माननीय मंत्री महोदय यह आॅर्ग्युमेंट देंगे कि आप इस एक्ट को डिले क्यों करना चाहते हैं? हमने थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक इनके सारे हकूक ले लिये हैं और इसके मुताबिक दे रहे हैं। हम मानते हैं कि इसके मुताबिक दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं, बल्कि एक रास्ता खोल रहे हैं कि न्यायालय में जाकर वह उसका दरवाजा खटखटाये, और वकीलों को पैसा दे, उसके बाद में मिले तो न्याय और नहीं तो हमेशा के लिए उसकी जमीन चली गई। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि हकूक दे रहे हैं, लेकिन

(श्री तनसिंह)

इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रश्न इन्वॉल्व्ड हैं। जिन पर आज विचार नहीं कर रहे हैं, जैसे कि १९५५ और १९५८ के बीच में, ३ साल के दरम्यान में, किसी ने क्या क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, कितना पैसा लगाया होगा, उसका कम्पेन्सेशन देने के विषय में कुछ विचार नहीं किया है। संभवत: वहां पर खास तौर के इम्प्रूवमेंट किये हों संभवत: उसने अपने बसने के लिए मकान बनाया हो तो मकान का क्या होगा ? उसके लिए क्या विचार कर रहे हैं ? यह सारी परिस्थितियां इस बिल के द्वारा सोची नहीं गई हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम इस भवन में आकर यह कहें कि क्योंकि इसमें ६ आने की जगह ३५ नये पैसे कर दिया है और दो पैसे का लाभ हो गया है, केवल इस बात के लिए कहें कि बड़ा सुन्दर अमेंडमेंट किया है। इस बात को लेकर कहते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन यदि गम्भीरतापूर्वक मनन करें, तो हमें महसूस होगा कि कई ऐसी महत्वपूर्ण खामियाँ हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम आज सोच नहीं रहे हैं।

अब सवाल है कि यह कहा जाय कि आप क्यों नहीं अमेंडमेंट देते हैं ? अमेंडमेंट देकर पास करा सकते हैं। जो वाजिब अमेंडमेंट हों, उसके लिए मंत्री महोदय कहेंगे कि वे हमेशा स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। मुझे इस बात में विश्वास कम है। केवल इन्हीं मंत्री महोदय का नहीं बल्कि सारे मंत्रियों के लिए कहता हूँ कि अमेंडमेंट की हाउस के अन्दर किस प्रकार की दुर्गति होती है। बड़ी मुश्किल से हम अपने व्यू पॉइन्ट को सामने रखते हैं, बड़ी परेशानी से रातों-रात पेपर्स तैयार करते हैं, कई मेरे माननीय मित्र रिपोर्ट्स के पन्ने के पन्ने चाट जाते हैं और उसके बाद में सारगर्भित, बड़ा महत्वपूर्ण, भाषण देते हैं, इसके बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय इस कान से आई और उस कान से गई कर देते हैं। यही नहीं, कई बार तो उनके कान में वह बात आती तक नहीं है, लेकिन वहां से वापिस लौट कर चली जाती है। इसमें अमेंडमेंट प्रस्तुत करें और वे उनको स्वीकार करेंगे, यह एक बहकावे की बात है। वस्तुत: सिलेक्ट कमेटी में जाने पर वहां गम्भीरता से एक्रॉस दी टेबल बैठकर आपस में बात करके शान्त दिमाग से उस पर विचार करते हैं। यहां पर अलग अलग साइकॉलाजी होती है और सिलेक्ट कमेटी में दूसरे प्रकार की साइकॉलाजी होती है। यहां हम 'हां' पक्ष और 'ना' पक्ष के आधार पर सोचते हैं, लेकिन वहां मिलकर एक साथ बैठकर एक युनिट के रूप में सोचते हैं। इसलिए राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान के उन किसानों के हित के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, क्योंकि हम विधान सभा के सदस्य होकर कानून बनाते हैं, यह नहीं चाहते हैं कि रोजाना अदालतों में जाकर, हाईकोर्ट में जाकर, हमारा मखौल उड़े कि इस प्रकार से कानून नहीं बनने चाहिए जो कि इतनी जल्दी में बने। जो इतनी जल्दी में बन गये, हमने देखा है कि कई ऐसे कानूनों की कोर्ट ने नुक्ताचीनी करके उनके विरुद्ध फैसला दिया है। इसका कारण यह है कि हम जल्दी जल्दी में कानून पास कर देते हैं, सारे आस्पेक्ट्स पर विचार नहीं करते हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करना या जनमत के लिये प्रसारित करने की बात करना, प्रगति के काम में रोड़ा अटकाना मान लिया लिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि हैल्दी लेजिस्लेशन बने, कानून ठीक तरह से बने, उसके लिये यह जरूरी है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण कानून सिलेक्ट

(श्री तनसिंह)

कमेटी में जाना चाहिये । मैंने तृतीय संशोधन बिल पर भी सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह सोचकर कि ऑर्डिनेन्स पास किया गया है, इसलिये ६ हफ्तों में कानून पास हो जाना चाहिये, वरना ऑर्डिनेन्स पर ही नहीं बल्कि शायद मंत्रिमंडल पर नौबत पहुँच जावे, इसलिये उसे प्रेस नहीं किया । लेकिन यह फोर्थ अमेन्डमेन्ट है और यह ऐसा नहीं है जिसके लिये बहुत जल्दी हो, इसलिये इसे तो मानना चाहिये । मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा । पिछली बार एक प्रस्ताव जमींदारी अबॉलिशन बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपने का दिया था और १७ नवम्बर से पहले रिपोर्ट पेश करने का कहा था । लेकिन भावना में आकर यह कहा गया कि यहीं तय होना चाहिये । लेकिन १७ तारीख निकल गई है और कानून वहीं का वहीं पड़ा है । १७ नवम्बर ही क्या १७ दिसम्बर भी निकल जायगा फिर भी कानून पास नहीं होगा । यदि उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता तो उस पर हैल्दी डिस्कसन होता, कंस्ट्रक्टिव सुझाव आते, लेकिन उसे सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया । जब कभी सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव आता है तब मंत्रीजी समझते हैं कि जब कभी बोलना होता है तब सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रख देते हैं । यदि इसी लाइट में सारे प्रस्तावों को लिया जायगा तो कोई फायदा नहीं होगा । लेकिन मैं समझता हूं सिलेक्ट कमेटी की भी जरूरत आयगी । आप हर कानून में आठ-दस संशोधन ले आते हैं । आपको जरूरत डाइरेक्टली नहीं तो इन-डाइरेक्टली तो पड़ती ही है । जो अमेन्डमेन्ट्स आप लाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में बताते हैं कि कुछ कमी रह गई है इसलिये यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है । लेकिन कमी क्यों रहती है ? कमी इसलिये रहती है कि मौका नहीं मिलता स्ट्रेनसली विचार करने का । हम किसी भी कानून को ठीक तरह से पास नहीं कर पाते हैं । इसी दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ यह एक महत्वपूर्ण कानून है, इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव रखा है उसे एकमत से स्वीकार करें ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय, किसी बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, उससे पहले देखना यह पड़ता है कि इसमें कौन से कॉम्पलीकेशन्स हैं और कौन से प्रिन्सिपल्स को डील करता है, जिस कारण से बिना सिलेक्ट कमेटी के इसे पास नहीं कर सकेंगे । सभी माननीय सदस्यों को विदित होगा कि कुछ दिन पहले राजस्थान काश्तकारी बिल का तृतीय संशोधन बिल पास किया था और उस समय कई लोगों ने बहस के दौरान में कहा था कि टेम्प्रेरी काश्तकारों के लिये यह लागू नहीं होता है, लेकिन पर्मानेन्ट काश्तकार जो पहले से काश्त करते आये हैं, उन पर भी लागू होता है और वे भी खातेदारी राइट से वंचित किये जा रहे हैं । यह शंका बताई गई थी और बहस में यह भी बताया गया था कि चतुर्थ बिल पेश हो रहा है, उससे इस शंका का निवारण हो जायगा और जो काश्तकार पहले से काश्त करते आये हैं उनको खातेदारी राइट देने का प्रोविजन किया गया है । यदि इसके क्लॉज़ ६ को पास नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है ? उसका परिणाम यह होता है कि पहले की शंका ज्यों की त्यों बनी रहेगी और जो

Page No.88

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पहले से काश्त करते हैं, जैसी कि बहुत से सदस्यों की धारणा है, उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। बीकानेर से आने वाले कई सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं क्योंकि खास तौर से उन्हीं के एरिया पर असर पड़ता है, इसलिये उनको तो कम से कम खुशी होनी चाहिये थी कि इसके द्वारा उनको अधिकार दिया जा रहा है, जिनको तृतीय संशोधन से छीने जाने की बात थी।

तीसरी बात पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सब-टिनेन्ट्स के बारे में कही थी कि टिनेन्ट्स को सब-टिनेन्ट्स न बनाकर खातेदार बनाया जाय......

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : I feel there is no quorum. the House is, therefore, adjourned for want of quorum till 11 a. m. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ३ बज कर ५५ मिनिट पर, वृहस्पतिवार, दिनांक २० नवम्बर, १९५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १६ नवम्बर, १६५८)

स्तम्भ   स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रमिक हितकारी समिति, सवाई-माधोपुर ।

डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, जयपुर के कार्यालय अधीक्षक ।

केकड़ी के एन्टी मलेरिया ऑर्गे-नाईजेशन में मोटर पार्ट्स की चोरी ।

गांधी सागर से सवाई माधोपुर होती हुई बिजली की लाइन ।

अमरपुरा तथा अमर सागर टैंक, जिला उदयपुर ।

बसों की संख्या ।

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली ।

चोरियां-जिला सीकर ।

उदयपुर से पाली होती हुई जोध-पुर वाली सड़क का निर्माण ।

कालोखां बांध का निर्माण ।

कृषि विभाग, चुरू द्वारा किसानों को खेती के औजारों का वितरण ।

जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा निर्माण-कारी कार्य के लिये तहसील चाकसू में धनराशि का वितरण ।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा

२६४६ प्रत्येक पत्र की विज्ञापन सम्बन्धी निर्धारित दरें ।

दौसा-लालसोट रोड ।

जन-सम्पर्क विभाग, जिला झाला-वाड़ ।

जिला झालावाड़ की सड़कों का निर्माण कार्य ।

झालावाड़ नगरपालिका की आय-व्यय ।

तहसील हिन्डोन में लैण्ड एक्वी-जिशन एक्ट के अन्तर्गत एक्वायर की गई भूमि ।

पुलिस स्टेशन का टोडगढ़ में पुनःस्थापन ।

भरतपुर रोड़ पर सिकन्दरा स्टेशन से गुढ़ाचन्द्रजी तक पक्की सड़क का ठेका ।

चोरियां—जिला सवाई माधोपुर ।

गंगापुर में लेडी डॉक्टर की कमी ।

डाक बंगला, सिकराय का निर्माण ।

वर्तमान डाइरेक्टर, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा किये गये मुअत्तिल कर्मचारी ।

जावर माइन्स को चम्बल योजना से बिजली की प्राप्ति ।

नगर से खेड़ली होकर जयपुर तक आने वाली सड़क का शिथिलता-पूर्वक निर्माण कार्य।

ग्राम पंचायत, फतेहपुर (तहसील बाराँ) को हरिजनों के लिए कुए के निर्माण हेतु दी गई धन-राशि।

मलेरिया विरुद्ध अभियान-जिला उदयपुर।

भाखड़ा सिंचाई क्षेत्र में बैटरमेन्ट रेट्स।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र।

सचिव, राजस्थान विधान सभा, ने सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी थी सदन की मेज पर रखा। वे विधेयक इस प्रकार हैं :

1. The Rajasthan Land Revenue (First Amendment) Bill, 1958.

2. The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs (Eighth Amendment) Bill, 1958.

3. The Rajasthan Tenancy (Third Amendment) Bill, 1958.

विधायी कार्य

पुर : स्थापित विधेयक

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रैगमेन्टेशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८ को पुर : स्थापित किया गया।

विचारार्थ लिए गये विधेयक

(१) राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज (संशोधन) विधेयक, १६५८ ३००८

(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री पी० के० चौधरी ने उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव को आज वापिस ले लिया। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डश: विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ-संशोधन) विधेयक, १६५८

(विचार-विमर्श)

२. श्री दामोदरलाल व्यास राजस्व मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे, श्री अनूपसिंह ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री गिरधारीलाल।

Page No.91

स्कम्भ

२. श्री मोहरसिंह

३. श्री मूलचन्द डागा।

४. डॉ० बहादुरसिंह।

५. श्री तनसिंह।

श्री सोहनलाल अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक समाप्त हो गई।

स्कम्भ

गुरुवार, दिनांक २० नवम्बर, १६५८
की कार्य सूची

राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८

(खण्डश: विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	नाम कार्य तथा ग्राम	धन राशि जो दी गई	रकम काम में आई या नहीं	बोर्ड ने जो कार्यवाही की	विशेष विवरण
१.	कुवा निर्माण, नरोत्तमपुरा	५०० रु०	१०२ रु० का कार्य हुआ है ।	पूर्ण हिसाब हेतु पत्र लिखा है ।	
२.	कुवा निर्माण, ताजखाँ का बास	१००० रु०	१,२२४ रु० का कार्य हुआ है ।	निरीक्षण करना शेष है ।	
३.	बाँध निर्माण, डोबला	५०० रु०	८३२ रु० का कार्य हुआ है ।	,,	
४.	कुवा मरम्मत, महाराजपुरा	५०० रु०	३६० रु० का सामान दिनाङ्क ५-६-५७ को मौके पर पड़ा था ।	,,	
५.	कुवा मरम्मत, डोबला	२५० रु०	श्री गुलाबचन्द के पत्र दिनाङ्क ११-२-५८ के अनुसार कुछ कार्य हुआ है ।	,,	
६.	कोठी मरम्मत, हरिनारायण पुरा	२०० रु०	४६० रु० का कार्य दिनाङ्क ५-६-५७ तक हुआ है ।	,,	

Page No.93

१	२	३	४	५	६
७.	तलाई मरम्मत, माधोपुरबास	१०० रु०	कार्य नहीं कराया है।	रकम वापिस माँगी है।	
८.	कोठी मरम्मत, माधोपुरबास	१२५ रु०	कार्य नहीं कराया है।	रकम वापिस माँगी है।	
९.	श्री औषधालय भवन रूपाहेडी के किवाड़ लगाने हेतु	५०६ रु०	कार्य अधूरा है। १६८ रु० का कार्य दिनाङ्क २४-११-५७ तक हुआ है।	निरीक्षण करना शेष है।	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ का उत्तर देखिये)

Advertisement States of news papers approved for release of Government advertisements.

S. No.	Name of Newspaper	Place	Advt. rate per col. inch.
1.	Lokwani	Jaipur.	Rs. 7/-
2.	Navyug	"	7/-
3.	Rashtradoot	"	7/-
4.	Rajasthan Patrika	"	5/-
5.	Amar Jyoti	"	7/-
6.	Mashal	"	5/-
7.	Adhikar	"	5/-
8.	Congress Sandesh	"	5/-
9.	Rajasthan Herald	"	5/-
10.	Navjeewan Sandesh	"	5/-
11.	Ayojan	"	5/-
12.	Rajasthan Chronicle	"	3/8
13.	Vikas Karan	"	2/12
14.	Nav Jyoti	Ajmer	5/8
15.	Hindwasi	"	3/8
16.	Jawala	"	3/-
17.	Hindu	"	3/-
18.	Mira	"	3/-
19.	Darbar	"	3/-
20.	Azad	"	3/-
21.	Hindustan	"	3/-
22.	Nav Bharat	"	3/-
23.	Janta	"	3/-
24.	Alwar Patrika	Alwar	3/-
25.	Rajasthan Times	"	2/8
26.	Navyug Sandesh	Bhartpur	3/-

1	2	3	4
27.	Awaz	Bharatpur	3/-
28.	Navyug Sandesh	Gangapur	3/-
29.	Gramvani	Hinduan	3/-
30.	Kranti	"	2/-
31.	Praja Bandhu	Sikar	1/8
32.	Praja Sewak	Jodhpur	5/-
33.	Jawala	"	5/-
34.	Lok Jeewan	"	3/-
35.	Lalkar	"	5/-
36.	Marwar Times	"	4/-
37.	Marwar Sandesh	Sheoganj	2/8
38.	Senani	Bikaner	3/8
39.	Ganraj	"	3/-
40.	Lok Jeewan	"	3/-
41.	Vartman	"	3/-
42.	Lokmat	"	4/-
43.	Seema Sandesh	Sri Ganganagar	3/-
44	Gram Sandensh.	"	2/-
45.	Ahuti	"	2/6
46.	Karmchari Sandesh	Bikaner	2/12
47.	Nav Jeewan	Udaipur	5/-7/- special issue
48.	Aravali	"	2/8
49.	Pandrah August	"	5/-
50.	Kolahal	"	3/-
51.	Pragati	"	3/-
52.	Pratap	"	3/-
53.	Rajasthan	"	2/6
54.	Lok Jeewan	Bhilwara	3/-
55.	Lalkar	Chittorgarh	3/14
56.	Kisan Sandesh	Kotah	3/-
57.	Jowani	"	5/-

Page No.96

1	2	3	4
58.	Dharti Ke Lal	Kotah	2/-
59.	Janta Ki Awaz	,,	2/12
60.	Swadesh	,,	2/4
61.	Rajasthan	Bundi	5/-
62.	Vishal Rajasthan	,,	5/-

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६१७ का उत्तर देखिए)

नकशा बाबत भूमि आवंटि करने हेतु धनावली (हिन्डौन) फार्म के लिये

सं०	नाम	ग्राम	भूमि जो ली गई बीघा	विस्वा	व वापिस दी गई कैफियत
१.	श्री परमा चमार	खेड़ी हेवत	३	७	
२.	„ तोता चमार	„	२	७	
३.	„ रामहेत चमार	„	१४	१७	
४.	„ बन्सी चमार	„	३	–	
५.	„ मोतीराम चमार	„	३	७	
६.	„ बिहारी चमार	„	३	७	
७.	„ गैंदा चमार	„	३	७	
८.	„ कन्ही चमार	„	२	६	
९.	„ भम्मल चमार	„	७	–	
१०.	„ परसादी चमार	„	३	७	
११.	„ फेली चमार	„	११	२	
१२.	„ कलवा चमार	„	४	–	
१३.	„ मांगी चमार	„	१	६	
१४.	„ रामोली	„	१	१०	
१५.	„ दल्ले चमार	„	१	१६	
१६.	„ बुद्धा चमार	„	१	१६	
१७.	„ मनूरी चमार	„	२	११	
१८.	„ चिरमोला चमार	„	५	१०	
१९.	„ बुन्दा चमार	„	१	१६	
२०.	„ गिलहरिमा चमार	„	८	७	
२१.	„ चेतराम चमार	„	३	–	
२२.	„ धन्ना चमार	„	१	१९	
२३.	„ मनसुखो चमार	„	२	१९	
२४.	„ मोहनलाल चमार	„	२	१९	
२५.	„ चौथी चमार	„	३	७	

Page No.98

१	२	३	४	५	६
२६.	श्री चिरमोली जाट	धनावली	६	६	
२७.	,, सोना कोली	सूरोठ	२	१७	
२८.	,, ज्वाला जोगी	,,	१	१८	
२९.	,, कजोड़ी जोगी	,,	२	१२	
३०.	,, मंगल कुम्हार	,,	१	१४	
३१.	,, मूला कुम्हार	,,	२	८	
३२.	,, कलवा माली	,,	२	८	
३३.	,, सुखा माली	,,	४	१६	
३४.	,, हीरालाल ब्राह्मण	,,	३	७	
३५.	,, रामचन्द्र वगैरह माली	,,	६	१७	
३६.	,, ‍ामोली ब्राह्मण सवाया चक		३५	–	
		कुल योग	१६८	७	

———

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ६२५ का उत्तर देखिये)

निलम्बन काल के व्यक्तियों का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	निलम्बन तिथि	पुनःप्रतिष्ठापन	चतुर्थान्श दिया गया या नहीं	निलम्बन काल में कहां रहा
१	२	३	४	५	६
१.	श्री बन्सीलाल, उपवैद्य, डूँगरा	२०-२-५६	७-८-५६	हां	अपने हैडक्वाटर पर रहे।
२.	श्री भुवनेश्वर, वैद्य, जानवी	१-२-५७	३-४-५७	निरीक्षक, जोधपुर को सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार निलम्बन के आदेश दिये गये लेकिन उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया।	अपने हैडक्वाटर पर रहे।
३.	श्री भूरामल, वैद्य, ललाना	२-३-५७	२४-४-५७	निरीक्षक, बीकानेर को सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार निलम्बन के आदेश दिये गये लेकिन उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया। अतः चतुर्थान्श नहीं दिया गया।	अपने हैडक्वाटर पर रहे।

१	२	३	४	५	६
४.	श्री नन्दगोपाल, लेखक, बूँदी	६-११-५६	२३-१-५७	हाँ	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।
५.	श्री नन्दगोपाल, लेखक, जोधपुर फार्मेसी	१७-५-५७	सेवा से मुक्त कर दिये गये	हाँ	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।
६.	श्री मदनलाल, वैद्य, आसपुर	२८-१-५७	२२-७-५७	निरीक्षक, डूँगरपुर को सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार निलम्बन के आदेश दिये गये लेकिन उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया। अतः चतुर्थान्श नहीं दिया गया।	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।
७.	श्री युगलकिशोर, वैद्य, मारजा	५-८-५५	१७-२-५६	हाँ	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।
८.	श्री युगलकिशोर, वैद्य, रास	६-८-५६	कार्यवाही चालू	हाँ	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।
९.	श्री बसन्तकुमार, वैद्य, भगवानपुरा	२२-१-५८	९-७-५८	श्री निरीक्षक, उदयपुर को सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार निलम्बन के आदेश दिये गये लेकिन उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया। अतः चतुर्थान्श नहीं दिया गया।	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।
१०.	श्री रामकृष्ण, वैद्य, बसई नवाब	७-५-५८	३०-८-५८	निरीक्षक, भरतपुर को सी. सी. ए. रूल्स के अनुसार निलम्बन के आदेश दिये गये लेकिन उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया। अतः चतुर्थान्श नहीं दिया गया।	अपने हैडक्वाटर पर रहे ।

१	२	३	४	५	६
११.	श्री पुरुषोत्तम, लेखक, उदयपुर	इसकी फाइल उदयपुर कॉलेज में होने से निलम्बन तिथि एवं प्रतिष्ठापन तिथि नहीं दी जा रही है।			अपने हैडक्वार्टर पर रहे।
१२.	श्री छाजूलाल, प्रवक्ता, कॉलेज जयपुर	४-१२-५६	११-२-५७	हाँ	अपने हैडक्वार्टर पर रहे।
१३.	श्री हरिनारायण, वैद्य, आँधी	२८-७-५६	२०-१०-५६	हाँ	अपने हैडक्वार्टर पर रहे।
१४.	श्री वैद्य घनश्याम, अलवर	इन दोनों के विषय में सूचना प्राप्त नहीं हुई			अपने हैडक्वार्टर पर रहे।
१५.	श्री दयालशरण, लेखक, अलवर				
१६.	श्री अब्दुल हक	२८-५-५७	७-२-५८	हाँ	जयपुर में रहे।

शुद्धि–पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १६ नवम्बर १६५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२६४६	अन्तिम से ६	ni	in
२६४७	४	mangement	management
२६४८	२	provion	provison
,,	२०	my be	may be
२६४६	१०	ascertian	ascertain
,,	११	paierson ?	person ?
,,	अन्तिम से ३	Suppension	suspension
२६५०	,, ७	be please to answer	be pleased to answer
,,	अन्तिम पंक्ति	June, 5819,	June, 1958,
२६६५	६, १२, व १७	श्री लत्तमण हीरात	श्री लत्त्मण हीरात
२६६७	११	उसे बंध	उस बंध
२६६८	अन्तिम से ६	कितनी फीलडमैन	कितने फील्डमैन
२६७०	१७	३१.१. बीज	३१.१६ मन बीज
२६७६	६	सक्युंलेशने	सक्युंलेशन
,,	अन्तिम से ३	रूत्स के जरिये	रूल्स के जरिये
२६८०	,, ६	तो में	तो मैं
२६८१	,, १०	(सितम्बर, ५८ अतक)	(सितम्बर, ५८ तक)
२६८२	प्रथम पंक्ति		(श्री रामकिशोर व्यास)
,,	१४	कतना धन	कितना धन
२६८७	अन्तिम से २	(श्री नाथूसिंह मिर्धा) :	(श्री नाथूराम मिर्धा) :
२६६०	१७	re-exmine	re-examine

१	२	३	४
२६६१	शीर्ष	तारांकित ग्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२६६२	२	श्री रिद्धीचन्द पालीवाल	श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल
२६६५	अन्तिम से ७	श्री भैरोंसिह (श्री जोधपुर :	श्री भैरोंसिह (श्रीमाधोपुर) :
३००३	१६	मोरिक्वटोज	मोस्क्विटोज़
३००६	१	(श्री धर्मेन्द्र परिहार)	(श्री धर्गेन्द्र परिहार)
३००६	अन्तिम से २	मैं विधेयको	मैं विधेयक को
३००८	१७	(संशोधन, विधेयक, १६५८	(संशोधन) विधेयक, १६५८
,,	अन्तिम से ३	एक कश्योरेन्स	एक एश्योरेन्स
३०१०-३०८०	शीर्ष	कोऑपरेटिव सुसाइटी	कोऑपरेटिव सोसायटी
३०१२	११	of sentor	of sent or
३०१६	१०	कल के वक्त	कल बहस के वक्त
,,	१६	प्रव्यु में	परव्यू
३०१७	अन्तिम से ६	आपने अरेन्ज	आपने रेंज़
३०१८	१७	बडा आग्युमेन्ट	बड़ा आर्ग्युमेन्ट
३६२०	१८	" Substitue	"Substitute
३०२६	२१	जहां टक	जहां तक
३०२६	१६	fruitfulnoves	fruitful inves-
३०३०	अन्तिम से ३	(new section	new section
३०३२	६	(Amendmant)	(Amendment)
,,	,,	who owp	who owns
३०३३	अन्तिम से ६	any mony	any money
३०३४	अन्तिम पंक्ति	प्रोपर्टों	प्रोपर्टी
३०४०	अन्तिम से ८	करना चहता,	करना चाहता
३०४५	अन्तिम पंक्ति	रखना चाह	रखना चाहते
३०४६	५	व केवल	वह केवल
३०४७	२	की तरह की	तरह की
,,	अन्तिम से ६	परिस्थियों	परिस्थितियों

१	२	३	४
३०६७	१३	वर्न्डिग	वर्डिंग
३०७०	६	किया है क	किया है कि
,,	अन्तिम से ८	or machinerl,	or machinery,
,,	,, ६	or pleace	or place
३०७२	,, ५	the mamber	the member
३०७५	१८	ferst term	first term
३०७७	अन्तिम से १०	so raise	to raise
३०८०	१५	प्रेज्योलोजी	फ्रेज्योलौजी
३०८२	१३	श्री उपाध्यक्ष :	श्री उपाध्यक्ष :
,,	११	श्री भैरोंसिंह :	श्री भैरोंसिंह :
३०८४	अन्तिम से ५	wi l n t	will not
३०८५	२४	अमेंटमेंट	अमेन्डमेन्ट
३०९०	अन्तिम से १०	खदस्तत	दस्तखत
३०९८	१२	अन्मेडमेन्ट	अमेन्डमेन्ट
३१०१	२१	sub sect ein	sub-section
,,	अन्तिम से ६	प्रोजम्प्शन	प्रज़म्प्शन
३१०५	८	महत्वनूर्ण	महत्वपूर्ण
,,	१६	उत्त भूमि	उक्त भूमि
३११०	३	मैं ऐसी अवस्था पजेशन	एसी अवस्था में पज़ेशन
,,	४	लिखित मैं	लिखित में
३११४	२५	एक्यू	एक्यू
३११५	१३	,,	,,
३१२४	११	सदन की मेज पर रखे गये पत्र।	सदन की मेज पर रखे गये पत्र। ३००५
,,	अन्तिम से ३	पुरः स्थापित विधेयक	पुरःस्थापित विधेयक ३००६
३१२५	अन्तिम से १०-११	राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८	राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १९५८ ३०८१

१	२	३	४
३१२८	शीर्ष	३२२८	३१२८
३१३०	प्रथम पंक्ति	Advertisement States	Advertisement Rates
३१३१	१८	44. Gram Sandensh	44. Gram Sandesh
,,	अन्तिम पंक्ति	57. Jnwani	57. Janwani
३१३३	प्रथम पंक्ति	भूमि आवद्वि	भूमि आवप्ति